पंचम माला, खंड 5, अंक 39 गुरुवार, 15 जुलाई, 1971/24 आषाढ़, 1893 (शक)
Fifth Series, Vol. V, No. 39 Thursday, July 15, 1971/Asadha 24, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

PARLIAMENT LIBRARY
No. 64522 2
Date 19.1.72

सत्यमेव जयते

[खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. V contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/
हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains
Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 39, गुरूवार, 15 जुलाई, 1971/24 आषाढ़, 1893 (शक)

No. 39, Thursday, July 15, 1971, Asadha 24, 1893 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1141	दिल्ली में होटलों और रेस्टोरेंटों के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Wage Board for Hotels and Restaurants in Delhi	1-3
1142	भारत में कृषि परियोजनाओं के लिये वित्त देने हेतु खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ किये गये करार	Agreement with FAO to Finance Agricultural projects in India	3-4
1144	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा सहकारिता विकास योजना को सहायता	Aid to Cooperative Development scheme by National Cooperative Development Carporation	4-6
1145	न्यूजीलैंड द्वारा बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये टेंटों की सप्लाई	Supply of Tents by Newzealands for Refugees from Bangla Desh	6-8
1147	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के वृत चित्र	Documentary Films by Hindustan Steel Ltd.	8-10
1148	नलकूप लगाने के लिये विदेशों से प्राप्त किये गये रिंग तथा उनका राज्यों को वितरण	Rigs for drilling tube wells obtained from abroad and their distribution to States	10
1153	तीसरी और चौथी योजना के अन्तर्गत यंत्रीकृत खेती की प्रगति	Progress of Mechanised Farming during Third and Fourth Plans	10-17
1154	खाद्य नीति के उद्देश्य और डेरी परियोजनाओं का विकास	Objectives of food Policy and Development of Dairy Projects	17-20

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1157	भूमि पर निर्भर लोगों की प्रतिशतता और भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी	Percentage of Population Dependent on Land and fall in per capita Availability of Land	20-22
1158	उत्तरी बंगाल में खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि	Increase in prices of food Grains on North Bengal	22-23
1160	राज्यों को लोहे की नालीदार चादरों का आवंटन	Allocation of Corrugated Iron Sheets to States	23-25

प्रश्नों के लिखित उत्तर — **Written answers to questions**

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1146	सोयाबीन और सूरजमुखी का आयात	Import of Soya Bean and Sunflower	25-27
1149	फरीदाबाद में उद्योगों को इस्पात का वितरण	Distribution of Steel to Industries in Faridabad	27
1150	बिहार में कोयला खानों में कोयले का भारी मात्रा में जमा होना	Accumulation of Coal in Coal Mines Bihar	27-28
1151	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा राज्यों की आवश्यकता पूरी किया जाना	National Seeds Corporation to meet Needs of States	28
1152	लाइसेंस शुदा रेलवे कुली और फेरीवार	Licensed Railway porters and Vendors Survey of Potential Ore Bearing Areas	28
1155	अयस्य युक्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण	Survey of Potential Ore bearing Areas	28-29
1156	कनाट प्लेस, नई दिल्ली के रेस्टोरेंटों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Restaurant Workers in Conaught Place, New Delhi	29
1159	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers of Durgapur Steel Plant	29-30
1161	भिलाई इस्पात कारखाने की कोक ओवन बैटरियों में खराबियाँ	Defects in coke oven Batteries of Bhilai Steel plant	30
1162	राजस्थान में सोयाबीन के उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन देने के लिये उसके समर्थन मूल्य में वृद्धि	Increase in support Price of Soyabeen to encourage its production in Rajasthan	30-31

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1163 बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या के सम्बन्ध में अमरीका के विदेश विभाग के एक अधिकारी का दिल्ली आना	U. S. State Department Official's Visit to Delhi Re: Bangla Desh Refugee Problem	31-32
1164 पश्चिम बंगाल में बिड़ला के कार्यालयों और कारखानों का पुनः खोला जाना	Reopening of Birla concerns in West Bengal	32
1165 रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम में लगाई गई मशिनों का धंस जाना	Sinking of Machines Installed in Heavy Engineering Corporation, Ranchi	32
1166 छोटे किसानों को लाभ देने के लिये वसूली नीति	Procurement Policy to Benefit Small Farmers	33
1167 पंजाब और हरियाणा में खुले माल डिब्बों में लादा गया गेहूं	Wheat Loaded in Open Wagons in Haryana and Punjab	33-34
1168 परिवहन सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण हरियाणा में गेहूं को क्षति	Damage of Wheat in Haryana due to Non-availability of Transport facilities	34-35
1169 कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि अनुसंधान कार्य सौंपे जाने पर राज्यों द्वारा असंतोष प्रकट किया जाना	Resentment by States for Assigning Agricultural Research Work to Agriculture Universities	35-36
1170 रूडकेला इस्पात कारखाने में हताहत श्रमिक	Casulties in Rourkela Steel Plant	36
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4871 खाद्यान्न की हानि को रोकने के लिये सरकारी व्यवस्था का पुनर्गठन	Reorganisation of Government Machinery to avoid losses in foodgrains	37
4872 गुजरात तथा अन्य राज्यों में खाद्य तेल बीजों का उत्पादन और आरक्षित कोटा	Production and reserved quota of Edible Oil seeds in Gujarat and other States	37-39
4873 अनन्तपुर, आन्ध्रप्रदेश में कन्टूर बन्डिंग	Controur Bunding in Anantapur, Andhra Pradesh	39
4874 काजू की खेती वाले क्षेत्र में वृद्धि करने के लिये आंध्रप्रदेश को केन्द्रीय सहयोग	Central Aid to Andhra Pradesh for increase in Acreage of Cashewnut Cultivation	39-40
4875 आसाम में इस्पात का वितरण	Distribution of Steel in Assam	40

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4876	आधुनिक बीजों तथा उर्वरकों के उपयोग के संबंध में किसानों को प्रशिक्षण	Training to Farmers about the use of modern seeds and Fertilisers	40 41
4877	गुजरात में तम्बाकू कूटने का संयंत्र लगाया जाना	Setting up of Tobacco Threshing Plant in Gujrat	41-42
4878	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में बड़े वेतन वाले पदों का बनाया जाना	Creation of high salaried posts in Heavy Engineering Corporation, Ranchi	42-43
4879	पटना स्थित कृषि उद्योग निगम द्वारा प्राथमिकता के आधार पर टैक्टरों की सप्लाई करने में कदाचारों की जांच	Enquiry into mal-practices by Agro Industries Corporation, Patna in supply of Tractors on priority basis	43-44
4880	तराई विकास निगम और कृषि उद्योग निगम द्वारा बेची जाने वाली कृषि संबंधी मशीनों के विक्रय मूल्य में अंतर	Difference in sale price of Agricultural Machines by Tarai Development Corporation and Agro Industrial Corporation	44
4881	ग्राम स्तर पर सामाजिक संस्थान	Social Institution at Village Level	44-45
4882	वन्य पशुओं के लिये भारतीय बोर्ड की सिफारिशें	Recommendations of the Indian Board for Wild Life	45
4883	बिहार में एक सरकारी उपक्रम द्वारा श्रम-नीतियों को क्रियान्वित न किये जाने के बारे में बिहार सरकार द्वारा शिकायत	Reported Complaint by Bihar Govt. re-Non implemantation of Labour Policies by Public Undertaking in Bihar.	45-46
4884	नेशनल आयरन एंड स्टील कम्पनी, बैलूर हावड़ा का बन्द होना	Closure of National Iron and Steel Company, Belur, Howrah	46
4885	सिंचाई की सुविधाओं के लिये बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को विशेष सहायता	Special Assistance to Bihar, Rajasthan and U. P. for irrigation facilities	46-47
4886	बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये अनाज और अन्य वस्तुओं की कथित कमी	Alleged shortage of Food and other articles for Refugees from Bangla Desh	47
4887	क्विलोन में काजू के छिलके से तेल निकालने के लिये अनुसंधान संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal for Research Institute for Cashew Nut Shell Liquid at Quilon	47-48

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4888	पंजिम में हुए कृषि मेले से संबंधित वित्ती अनियमिततायें	Financial Irregularities at Agricultural Fair held in Panjim	48
4889	आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का उपयोग	Import substitution of inigenous items	48-49
4890	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 का सभी खानों में लागू किया जाना	Extension of EPF Act, 1952 to all Mines	49-50
4891	भूख से मुक्ति अभियान के अधीन स्विटजरलैंड से प्राप्त सहायता	Assistance from Switzerland under freedom from Hunger Campaign	50-51
4892	चावल का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को नये किस्म का चांवल बांटा जाना	Distribution of new varities of Rice to farmers to increase per acre production thereof	51-52
4894	उड़ीसा में ग्रेफाइट पर रायल्टी	Royalty on Graphite in Orissa	52-53
4895	लोह-उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Iron Industry	53
4896	केन्द्र द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं के लिये मध्य प्रदेश को सहायता	Central Assistance to Madhya Pradesh for Small Scale Irrigation Scheme	53
4897	रोजगार उप-कर	Employment Cess	53-54
4898	अखिल भारतीय राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कर्मचारी संघ	All India National Mineral Development Corporation Workers Federation	54
4899	बंगाल देश से आये शरणार्थियों के लिये अधिक सहायता के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की अपील	U. N. Secretary General's Appeal for more help for Refugees from Bangla Desh	55
4900	एर्नाकुलम में विदेशी तेल कंपनियों के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किया जाना	Termination of Services of Workers of Foreign Oil Companies at Earnakulam	55-56
4901	हीराकुंड, उड़ीसा में एक विस्फोटक कारखाने की स्थापना	Setting up of an Explosive Factory at Hirakund in Orissa.	56
4902	हिन्द महासागर में खनिजों के निक्षेप	Deposits of Minerals in India Ocean	56-57
4903	अमरीका के सहायोग से आपरेशन हार्डराक परियोजना की स्थापना	Setting up of Operation Hardrock project with united States Collaboration	57-58

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4904	जापान को कतरनों के निर्यात में कमी	Decline in Export of Scrap of Japan	58
4905	भारत सेवक समाज	Bharat Sewak Samaj	58-59
4906	दुग्ध चूर्ण का आयात और उसके आयात पर दिया गया शुल्क	Import to Milk Powder and Duty paid on its Import	59
4907	मध्य प्रदेश की हवाई चुम्बकीय (एयरो-मेग्नेटिक सर्वेक्षण	Aero Magnetic Survey of Madhya Pradesh	60
4908	मैंगनीज अयस्क विषयक कार्यकारी दल की सिफारिशें	Recommendation of working Group on Menganese Ore	60
4909	मैंगनीज अयस्क विकास निगम की स्थापना	Setting up of Maganese Ore Development Corporation	61
4910	खाद्य तेल के आयात का देश में तिलहन के उत्पादन पर प्रभाव	Effect on Indigenous Production of Seeds by importing Edible Oils	61
4911	कृषि सम्बन्धी वस्तुओं की उत्पादन लागत का मूल्यांकन	Assessment of Cost of production of Agricultural Commodities	61-62
4912	चौथी पंचवर्षीय योजना में भूमिगत जल विकास योजना का सम्मिलित किया जाना	Ground Water Development Scheme for Fourth Plan	62-63
4913	आर. एस–09 ट्रैक्टर का निर्माण	Manufacture of RS-09 Tractors	63-64
4914	आयातित तेल में मिलावट को रोकने के लिये उसमें रंग का मिलाया जाना	Colourisation of Imported Oil to stop its Adultration	64
4917	न्यूनतम मजूरी बढ़ाने के लिये राज्यों को निदेश देना	Directive to States to raise Minimum Wages	64-65
4918	पंजाब राज्य कृषि उद्योग निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध आरोपों की जांच	Enquiry into allegations against Managing Director, Punjab State Agro Industries Corporation	65
4919	इस्पात विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारी	Staff working in department of Steel	65
4920	श्रम और रोजगार विभाग में कर्मचारी	Staff in Labour and Employment Department	66
4921	केरल, बिहार और मध्य प्रदेश में केन्द्रीय औद्योगिक संस्थान में हड़ताल तथा श्रम दिवसों की हानि	Strikes and man days lost in Central, Industrial Establishments in Kerala Bihar and Madhya Pradesh	66

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4922	बंगला देश के शरणार्थियों के लिये चावल की सप्लाई	Rice Supplies for Bangla Desh Refugees	66-67
4923	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बेरोजगार तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी	Unemployed ITI Three Year's Diploma Holders	67
4925	शरणार्थियों को मानाशिविर में ले जाना	Shifting of Refugees to mana Camp	68
4926	राजस्थान में दोषपूर्ण पाये गये आर. एस. 90 ट्रैक्टरों के स्थान पर अन्य ट्रैक्टर देना	Replacement of Rs-09 Tractors Found Defective in Rajasthan	68
4927	दंडकारण्य परियोजना के कर्मचारियों द्वारा बारी बारी से भूख हड़ताल करना	Relay Hunger Strike by Employees of Dandakaranya Project	68-69
4928	वर्ष 1970-71 में गेहूं या आटा खरीदने के लिये ब्रिटेन से ऋण	Loan by U. K. for Purchase of Wheat, Grains or flour during 1970-71	69
4929	बंगला देश के शिक्षित शरणार्थियों की सेवाओं को उपयोग में लाना	Utilisation of Services of educated Bangla Desh Refugees	69-70
4930	दंडकारण्य परियोजना के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता	Project Allowance to Employees of Dandakaranya Project	70
4931	बिहार को आवंटित किये गये ट्रैक्टर	Tractors Allotted to Bihar	70-71
3932	बिहार में रूस और चेकोस्लोवाकिया के ट्रैक्टरो की मांग	Demand for Tractors from Russia and Czechoslovakia in Bihar	71
4933	पटना के स्पार्क साप्ताहिक के कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Employees Provident Fund dues of workers of Spark Weekly Patna	71-72
4934	सिंहभूमि जिले में इस्पात और खानों का पट्टा	Lease of Iron and Zinc Mines Singhbhum District	72
4935	विभिन्न राज्यों में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में एरूपता	Uniformity in Food Prices in Different States	73
4936	बम्बई और मद्रास में श्रमिक की अधिक मजूरी	High Labour Wages in Bombay and Madras	73
4937	बंगला देश के विस्थापितों के लिये त्रिपालों की खरीद	Purchase of Tarnapulins for Evacuees from Bangla Desh	73-74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4938	डोनी मलाई लोह अयस्क परियोजना, मैसूर में कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Workers in Donimalai Iron Ore Project, Mysore	74
4939	डाई-अमोनिया फास्फेट में आत्मनिर्भरता और इसका भूमि की उर्वरा शक्ति पर प्रभाव	Self sufficiency in Di Amonia Phosphate and its effect on Fertility of Soil	74-75
4940	आंध्र प्रदेश कृषि विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता	World Bank Aid for Agricultural Development in Andhra Pradesh	75-76
4941	त्रिचुर स्थित अलगप्पा टेक्सटाइल मिल्स का बन्द होना	Closure of Alagappa Textile Mills Trichur	76
4942	पार्वती टेक्सटाइल मिल्स, क्विलोन, का बन्द होना तथा कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा का भुगतान न किया जाना	Closure of Parvathi Textile Mills Quilon and Non-payment of EPF and ESI Dues	76-77
4943	वन विकास परियोजनाओं पर खर्च	Expenditure on Forest Development Project	77-78
4944	किसानों को थ्रेशर खरीदने के लिये राज सहायता	Subsidy to Farmers for Purchase of Thrashers	78-79
4945	ग्रामीण शिक्षितों के लिये रोजगार कार्यालयों की सुविधा	Facility of Employment Exchanges for Rural Educated	79
4946	कलकत्ता की गोदियों में चौकीदारों का स्थायीकरण	Decasualisation of watchmen in Calcutta Docks	79
4947	अधिक क्षेत्र पर खाद्यान्नों की खेती किये जाने के कारण मध्य प्रदेश में दालों तथा तिलहनों की कमी	Shortage of Pulses and Oil Seeds in Madhya Pradesh due to increased area under Foodgrains cultivation	80
4948	कृषि कार्यों के लिये मध्य प्रदेश को केन्द्रीय ऋण	Central Loans to Madhya Pradesh for Agricultural Purposes	80-81
4949	आवारा पशु और चौथी योजना में उनके द्वारा फसल को हुई अनुमानित हानि	Stray Cattle and Estimated loss to crops done by them during Fourth Plan	81
4950	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के एक कर्मचारी की मृत्यु	Death of a Worker of Durgapur Steel Plant	81-82

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4951	श्रमिक शिक्षा योजना	Workers' Education Scheme	82
4952	सीमेंट मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of recommendations of Cement Wage Board	82-83
4953	इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर में हड़ताल	Strike in Indian Iron and Steel Company, Burnpur	83
4955	दुग्ध उद्योग का विकास	Development of Milk Industry	83-85
4957	दुधारू पशुओं की संख्या और उनकी नस्ल सुधारने के लिये कार्यवाही	Population of milch cattle and steps to improve its breed	85-86
4958	शरणार्थियों की सहायता सामग्री के वितरण पर मतभेद	Difference over distribution of relief materials for refugees	86-87
4959	भारतीय खाद्य निगम द्वारा बिहार में की गई खरीद	Purchase made from Bihar by Food Corporation of India	87-88
4960	राज्यों को यूरिया उर्वरक का वितरण	Distribution of Urea Fertilizer to States	88-89
4961	कूच बिहार से धान और चावल की वसूली तथा पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले को खाद्यान्नों की सप्लाई	Procurement of paddy and rice from Coochbehar and Supply of Food Grains to each District of West Bengal	89-90
4962	भारतीय खाद्य-निगम द्वारा सहकारी चावल मिलों को दिये गये विशेषाधिकार और सुविधाएं	Privilages and facilities given to Co-operative Rice Mills by Food Corporation on India	90
4963	माना शिविर कर्मचारी संघ को मान्यता दिया जाना	Recognition of Mana Camp Employees Association	90-91
4964	पूर्ति मंत्रालय में ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन	Registration of Contractors in Ministry of Supply	91
4965	मनीपुर में उपभोक्ता, सहकारी समितियों के व्यापार में गिरावट	Deterioration of Consumers Cooperataive Socieities in Manipur	91-92
4966	खाद्यान्न, दाल, आलू और सब्जी में मनीपुर की आत्म निर्भरता	Self Sufficiency of Foodgrains Dals Potatores and Vegetables in Manipur	92
4967	फलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for increased production of Fruits	92-93

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4968	कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये गोबर खाद के उपयोग पर बल	Stress on use of Organic Mansure for increased Agricultural Production	93-94
4969	भूमिहीन आदिवासियों तथा हरिजनों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Landless Adivasis and Harijans	94
4970	इस्पात बनाने के जापानी तरीके का भारत में अपनाया जाना	Development of Japanese Steel making Technology in India	94-95
4971	आधुनिक उद्योगों में चीनी मिट्टी का उपयोग	Uses of China Clay in Modern industries	95-96
4972	उत्तरी केरल में चूना पत्थरों के निक्षेप	Deposits of lime Stones in North Kerala	96
4973	मुर्गी पालन, सूअर पालन और पशु धन के लिये पूंजी निवेश योजना का प्रभाव	Effect of investment Scheme for poultry, Piggery and Livestock	96-97
4974	तमिलनाडु राज्य में बोक्साइटअयस्क से आय	Income from Bauxite Ore in Tamil Nadu State	97-98
4975	तमिलनाडु में सेमेकित बारानी भूमि कृषि विकास के लिए परियोजना	Project for integrated dry land agriculture development in Tamil Nadu	98
4976	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कृषि स्नातकों को बाबूगिरी करने से रोकने के सम्बन्ध में अध्ययन	Study of Indian Council of Agriculural Research to check Agricultural Graduates from seeking White Collar Jobs	98-99
4977	सब्जियों के निर्यात और सब्जियों के कुल उत्पादन में अनुपात	Ratio of Vegetable Exports to Total Vegetable Produce	99-100
4978	उत्तर प्रदेश में पलिया कलान खिरी में चीनी मिल स्थापित करना	Setting up of a Sugar Mill in Palia Kalan Khiri, U. P.	100
4979	न्यूनतम मजूरी अधिनियम में संशोधन	Amendment of Minimum Wages Act	100-101
4980	रोजगार सम्भावनाएं	Employment Prospects	101
4981	उड़ीसा के भूगर्भीय मानचित्र का प्रकाशन	Publication of Geological Map of Orissa	101-102
4982	पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों की समस्या अन्य देशों को अवगत कराने के लिये मंत्रियों की यात्राओं का शरणार्थियों को दी जाने वाली विदेशी सहायता पर प्रभाव	Effect of Visits of Ministers to Acquaint Foreign Countries with Problem of Refugees' Influx from East Bengal on Foreign Aid for Refugees	102

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4983	धनबाद में कोयला खानों का बन्द होना	Closure of Colliers in Dhanbad	102-103
4984	कृषि विश्वविद्यालयों का उचित कार्यकरण	Proper functioning of Agricultural Universities	103
4985	खेत्री ताम्बा परियोजना का पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay of Khetri Copper Project	103-104
4986	त्रिपुरा में बंगला देश के शरणार्थियों के लिये नागरिक राहत समिति	Relief or Citizen Committee for Bangla Desh Refugees in Tripura	104-105
4987	ग्रामीण बेरोजगारी का समाप्त करने के लिये द्रुत कार्यक्रम लागू करने का क्षेत्र	Scope of Crash Programme for Rural Unemployment	105-106
4988	भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा माल की बिक्री	Sale of Goods by Bhilai Steel Plant	106
4989	पोरबन्दर (गुजरात) के पत्तन श्रमिकों और नमक श्रमिकों के लिये शिक्षा और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं	Educational and Medical facilities for Port Workers and Salt Workers at Porbandar, Gujarat	106-107
4990	स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग	Pay Commission for Employees of Local Bodies	107
4991	इंजीनियरिंग उद्योग के श्रमिकों के बारे में मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन	Wage Board's Report on Engineering industry Workers	107-108
4992	इस्पात कारखानों में इंजीनियरों की सुरक्षा	Security of Engineers in Steel Plants	108
4993	पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिये व्यापार व्यवसाय और शिक्षा संबंधी सुविधायें	Trade, Profession and Education Facilities for Refugees from East Bengal	108-109
4994	भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश में खनिजों का सर्वेक्षण	Survey of Minerals by Geological Survey of India in Madhya Pradesh	109
4995	हौजरी के सामान की सप्लाई के लिये फर्मों का चयन करने हेतु निर्धारित मानदण्ड	Criteria laid down for selection of Firms for supply of Hosiery Goods	109-110
4996	केरल में भूमि संरक्षण	Soil Conservation in Kerala	110
4997	पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले	Cases of Corruption and Irregularities in DGSD	110-111

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4998	रूरकेला इस्पात कारखाना द्वारा संस्थापित विद्यालयों में अध्यापक छात्र अनुपात	Teacher Pupil Ratio in Schools Established by Rourkela Steel Plant	111
4999	रूरकेला इस्पात कारखाने के श्रमिकों को क्वाटरों का आवंटन	Allotment of Quarters to Workers of Rourkela Steel Plant	111-112
5000	पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का पुनर्गठन	Reorganisation of Directorate General of Supplies and Disposals	112
5001	उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी	Shortage of Coal in Uttar Pradesh	112-113
5002	पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के कर्मचारियों को स्थायी करना	Confirmation of Employees of DGS & D	113
5003	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत स्थायी आदेशों में संशोधन करने के लिये प्राप्त आवेदन पत्र	Applications received for Modification of Standing Orders under Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946	113-114
5004	न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 का उल्लंघन करने के मामले	Cases of Breach of Minimum Wage Act, 1948	114
5006	दक्षिण अर्काट में ई. आई. डी. पैरी चीनी फैक्टरी द्वारा गन्नें की खेती के लिये रैयतों का पंजीकरण	Registration of Ryots for Cultivation of Sugarcane by the E. I. D. Parry Sugar Factory in South Arcot	114
5007	तमिलनाडु में ई. आई. डी. पैरी चीनी फैक्टरी में चीनी की वसूली	Recovery of Sugar in EID Parry Sugar Factory, Tamil Nadu	114-115
5008	मैसूर में भेड़ प्रजनन	Sheep Breeding in Mysore	115-116
5009	चौथी योजना आन्ध्र प्रदेश के लिये मछली पकड़ने के बन्दरगाह	Fishing Harbours for Andhra Pradesh during Fourth Plan	116-117
5010	नेयवेली लिगनाईट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा लेको की बिक्री के लिये एजेन्टों की नियुक्ति	Appointment of Agents by Neyveli Lignite Corporation Limited for Sale of Leco	117
5011	नेयवेली लिगनाईट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा औद्योगिक आवास योजना के अधीन किया गया खर्च	Expenditure incurred under Industrial Housing Scheme by Neyveli Lignite Corporation Limited	117-118

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
5012	द्रुत कार्यक्रम की क्रियान्वित के बारे में उड़ीसा के कृषि मंत्री का वक्तव्य	Statement of Minister for Agriculture in Orissa Regarding Emplementation of Crash Programme	118
5013	केरल में चावल का उत्पादन और उसके लिये केन्द्रीय सहायता	Rice producion in Kerala and Central Assistance therefor	118-19
5014	केरल के लोक निर्माण विभाग को इस्पात का वितरण	Distribution of Steel to PWD Kerala	119-20
5015	केरल में खानों के विकास पर खर्च	Expenditure on Development of Mines in Kerala	120
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	120-23
	असम और त्रिपुरा स्थित सैनिक प्रतिष्ठानों के अनधिकृत रूप से चित्र लिये जाने का समाचार	Unauthorised photographing of Defence installations in Assam and Tripura	120-23
	श्री एस. एम. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
	श्री जगजीवनराम	Shri Jagjivan Ram	
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	123-24
	लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	124
	छठा प्रतिवेदन	Sixth Report	124
	अनुदानों की मांगें, 1971-72	Demands for Grants, 1971-72	125-54
	औद्योगिक विकास मंत्रालय	Ministery of Industrial Development	125-54
	श्री डी. के. पंडा	Shri D. K. Pande	
	श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar	
	श्री एच. एम. पटेल	Shri H. M. Patel	
	श्री एम. सुदर्शनम	Shri M. Sundarasanam	
	डा. हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	
	श्री कृष्णराव पाटिल	Shri Krishnarao Patil	
	श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	
	श्री बी. बी. नायक	Shri B. V. Naik	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री एस. एम. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	131-54
श्री मोइनुल हक चौधरी	Shri Moinul Haque Choudhury	
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture	
श्री बी. एन. रेड्डी	Shri B. N. Reddy	
श्री गेन्डा सिंह	Shri Genda Singh	
श्री भानसिंह भौरा	Shri B. S. Bhaura	
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbar Singh	
श्री मुख्तियार सिंह	Shri Mukhtiar Singh Mailk	
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	
श्री आर. पी. उलगनम्बी	Shri R. P. Ulaganambi	
श्री शेर सिंह	Shri Sher Singh	
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathuram Mirdha	
श्री नटवर लाल पटेल	Shri Natvarlal Patel	
श्रीमती सहोदरा भाई राव	Shrimati Sahodra Bai Rao	
श्री एम. सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	
श्री अन्नासाहेब शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report	

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 15 जुलाई, 1971/24 आषाढ़, 1893 (शक)
Wednesday, July 15, 1971/ Asadha 24, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Loak Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *In The Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में होटलों और रेस्टोरेंटों के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

*1141. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को दिल्ली के बहुत से होटलों और रेस्टोरेंटों में लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उन मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, स्थिति इस प्रकार नहीं है । तथापि, मजदूरी की बकाया राशि की अदायगी के संबंध में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अर्थनिर्णय के बारे में प्रबन्धकों और कर्मचारियों में कुछ मत-भेद दिखाई देगा ।

(ख) और (ग). मजूरी बोर्ड की सिफारिशें दिल्ली के होटलों और रेस्तराओं में कानूनन लागू नहीं होतीं; इनकी क्रियान्विति केवल अनुनय द्वारा ही कराई जा सकती है । दिल्ली प्रशासन

का औद्योगिक सम्पर्क तंत्र सम्बधित पक्षों के साथ पहले ही अनेक बैठकें कर चुका है और एक समझौता कराने की कोशिश कर रहा है ।

श्री एस० एम बनर्जी : केवल यह कहने से कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशें सांविधिक नहीं हैं, कर्मचारियों को कोई सन्तोष नहीं दिलाया जा सकता । कर्मचारियों ने यह बात स्वीकार नहीं की है कि सिफारिशों का स्वरूप केवल सिफारिशी है, आदेशात्मक नहीं । क्या यह सच है कि दिल्ली के लगभग 19 होटलों और रेस्टोरेंटों के, जिनकी संख्या अब शायद अधिक है, कर्मचारी एक लम्बे समय से हड़ताल पर हैं और क्या ये कर्मचारी माननीय मन्त्री श्री खाडिलकर से मिले थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने उन्हें क्या सलाह दी और इन सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ।

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : सब मिलाकर 13 होटलों और रेस्टोरेटों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं । अगर कुछ अन्य होटलों के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो गये हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है । कुल 837 कर्मचारियों में से 718 कर्मचारी हड़ताल पर हैं । उनके प्रतिनिधि मुझे मिले थे । मैंने उन्हें बताया कि हमारे पास जो व्यवस्था है, वह उनके विवाद को हल करने के लिए हर समय उपलब्ध होगी । हमारे आयुक्त ने दिल्ली प्रशासन से और प्रादेशिक आयुक्त से सम्पर्क स्थापित किया है और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अभी तक दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अडिग हैं और उनमें समझौते के लिए कोई सर्वमान्य आधार तैयार नहीं निकल सका है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या होटल मालिकों ने यह सुझाव दिया था कि यह विवाद न्याय निर्णय के लिए सौंप दिया जाये और कर्मचारियों ने यह बात स्वीकार नहीं की थी । चूंकि इस बात पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं हुई है, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि विवाद को हल करने के लिए क्या व्यवस्था करने का विचार है और क्या फिर से इस बारे में बातचीत आरम्भ की जायेगी ।

श्री आर० के० खाडिलकर : ऐसा सुझाव तो दिया गया था, परन्तु उनके बारे में न तो कोई आदेश ही जारी किया है और न ही न्याय निर्णयन को विवाद सौंपने के लिए कोई प्रस्ताव ही तैयार किया गया है । हम विवाद सुलझाने के लिए प्रयत्नशील हैं, परन्तु मैं निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता कि दोनों पक्ष एक दूसरे की शर्तें किस हद तक मानने के लिये तैयार हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : चूंकि कर्मचारियों ने विवाद न्याय निर्णयन के लिए सौंपने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, इसलिए इस विषय में अन्य क्या व्यवस्था की जा रही है । क्या स्वयं मंत्री महोदय इस विवाद का निपटारा करेंगे ।

श्री आर० के० खाडिलकर : कोई अन्य व्यवस्था तो उपलब्ध नहीं है । स्वयं माननीय सदस्य को मालूम है कि ये सिफारिशें सांविधिक रूप से नहीं दी गई हैं । इन्हें क्रियान्वित कराने के लिए हम अन्य पक्ष को न तो बाध्य कर सकते हैं और न कानूनी आदेश दे सकते हैं । केवल इतना

किया जा सकता है कि होटल मालिकों तथा कर्मचारियों को बातचीत करने और उसके द्वारा कोई हल निकालने के लिए मनाया जाये। ऐसी कोई अन्य व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह कोई उत्तर है, श्रीमन्? वह यह कहें कि रेस्टोरेंटों को सरकार अपने हाथ में ले लेगी।

Shri M. C. Daga: I want to know whether the demands placed by the employees are legitimate and whether Government can take recourse to law to provide them any help or can only hold talks in the matter.

श्री आर० के० खाडिलकर : यह सांविधिक पंचाट नहीं है। यह पंचाट दिल्ली प्रशासन ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद कर्मचारियों ने अपनी एक सभा की जिसमें उन्होंने अपनी समझौते की शर्तें तैयाट कीं। विवाद केवल इतना है कि सेवा प्रभार 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाये। परन्तु पंचाट में इस प्रभार की दर 10 प्रतिशत रखी गई है। जुलाई, 1971 से 15 महीने की बकाया मजूरी के बारे में विवाद है।

भारत में कृषि परियोजनाओं के लिये वित्त देने हेतु खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ किये गये करार

*1142. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कृषि परियोजनाओं के वित्त की व्यवस्था करने हेतु खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा भारत के साथ कितने करार किये गये हैं;

(ख) इन करारों की मुख्य बातें क्या हैं; और इन में से कौन-कौन से करारों को क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) परियोजनाओं के पूरा होने पर क्या लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ग). सरकार ने खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ प्रत्यक्षरूप से कोई करार नहीं किया है। किन्तु सरकार द्वारा प्रायोजित भारतीय भूख से मुक्ति अभियान सोसायटी ने गत एक वर्ष में उस संगठन के साथ 6 करार किये हैं। वे चावल की भूसी उतारने, कारकस प्रोसेसिंग, किसानों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण और मुर्गी विकास से सम्बन्धित हैं। अन्तिम परिणाम कृषि वस्तुओं का आर्थिक उत्पादन तथा बेहतर प्रोसैसिंग की प्राप्ति के रूप में होगा।

खाद्य तथा कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की योजनाओं के लिये कार्यकारी तथा प्रायोजित एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। इन मामलों में खाद्य तथा कृषि संगठन इन करारों से सम्बद्ध नहीं है।

Shri Krishan Chandra Panday: Will the hon. Minister be pleased to state the amount received as grants and as loans under these agreements?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : कुछ करारों के अन्तर्गत यह सहायता उपकरणों तथा उर्वरकों के रूप में मिली और कुछ के अन्तर्गत वास्तविक धन के रूप में।

Shri Krishan Chandra Panday: Will the hon. Minister be pleased to state the manner in which the entire amount receeved under these agreements was distributed amongst the various States and the percentages of the amount given to Uttar Pradesh and whether the population was kept in view while distributing the amount ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यह रकम एकदम राज्यवार तो नहीं दी गई और न जन-संख्या को आधार माना गया। वस्तुत: राज्य सरकारों ने योजना से बाहर यह सराहनीय प्रयत्न किया है। कृषि विकास केवल उस योजना परिव्यय पर निर्भर करता है जिसका राज्य सरकार ने उपबन्ध किया है। परन्तु भूख से मुक्ति अभियान की भारतीय सोसायटी के माध्यम से 131 परियोयनाओं के लिए जिस रकम का उपबन्ध किया गया है वह मोटे तौर पर 6.98 करोड़ रुपये हैं।

श्री बी० आर० शुक्ल : क्या इतनी बड़ी रकम में से कुछ रकम ट्रैक्टरों या अन्य कृषि मशीनों की खरीद अथवा निर्माण पर खर्च किये गये हैं।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : ट्रैक्टरों तथा अन्य कुछ कृषि उपकरणों को खरीदने के लिये एक युवक क्लब को कुछ सहायता दी गई है, परन्तु व्यापक रूप से कृषि विकास का एक बड़ा क्षेत्र इसके अन्तर्गत आता है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मंत्रालय की संपर्क समिति ने, जिसमें संसद सदस्य भी प्रतिनिधि के रूप में शामिल हैं, खाद्य तथा कृषि संगठन को कुछ योजनाओं की सिफारिश की थी और यदि हां, तो वे कौनसी योजनाएं हैं ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : एसी अनेक योजनाएं हैं जिनकी सूची मेरे पास है। यदि माननीय सदस्य देखना चाहते हैं तो मैं उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखने के लिए तैयार हूं।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा सहकारिता विकास योजना की सहायता

*1144. **श्री एच० के० एल० भगत :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम का 1971-72 में विभिन्न सहकारिता विकास योजनाओं को सहायता देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां। (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 1971-72 में कृषि ऋण, विपणन, विधायन, भण्डारण, संभ्मरण और साथ ही राज्य सहकारी विभागों को मज़बूत बनाने से संबन्धित सहकारी विकास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देता रहेगा। वर्ष 1971-72 के निगम के कार्यक्रम की गतिविधियों के अनुसार, इसके द्वारा 1971-72 में विविध सहकारी विकास योजनाओं के लिए जिस सहायता के सुलभ किए जाने की सम्भावना है, वह निम्न प्रकार:—

(करोड़ रु० में)

	स्कीम का नाम	ऋण	उपयोग	योग
1.	केन्द्रीय साहाय्यित राज्य योजना स्कीमें	4.20	1.80	6.00
2.	केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	3.00	—	3.00
3.	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	2.00	—	2.00
4.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रायोजित स्कीमें	2.28	0.16	2.44
	योग	11.48	1.96	13.44

श्री पी० गंगादेव : राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम देश में सहकारिता विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को ऋण तथा अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सहायता देगा। अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस वर्ष ऋण तथा राजसहायता के रूप में उड़ीसा राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : लगभग 56 लाख रुपये।

श्री पी० गंगादेव : देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए दी जाने वाली सहायता को ध्यान में रखते हुए, देश में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कितने नये कृषि उत्पादन एकक स्थापित किये जाने की आशा है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : 550

श्री के० सूर्यनारायण : जहाँ तक मुझे मालूम है, सरकार ने कोई ऐसा प्राधिकारी नियुक्त नहीं कर रखा है जो विशिष्ट प्रयोजनों के लिए दिये गये ऋणों पर ध्यान रखे। राज्य सरकारों को इस प्रकार जो धन मिला है, वे उसे अपनी इच्छानुसार खर्च कर रही हैं। यह देखने के लिए

कि जिस प्रयोजन के लिए कोई ऋण दिया गया हो, वह ऋण उसी प्रयोजन पर खर्च किया जाये, कोई नियंत्रण रखने का विचार है ?

श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे : अन्य केन्द्रीय अनुदानों तथा सहायता की तरह यह सहायता भी राज्य सरकारों के माध्यम से दी जाती है। इनकी लेखा परीक्षा सम्बन्धित महालेखापाल द्वारा की जाती है। इस मामले में भी उसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई अन्य सहायता के मामले में अपनाई जाती है।

न्यूजीलैंड द्वारा बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये टेंटों की सप्लाई

*1145 **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूजीलैंड सरकार ने बंगला देश के शरणार्थियों के लिये टेंट सप्लाई किये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने टेंट सप्लाई किये हैं;

(ग) क्या टेंटों की सप्लाई के लिये किन्हीं अन्य देशों से भी मांग की गई है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) शरणार्थियों के लिये अभी कितने और टेंटों की आवश्यका है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). बंगला देश के शरणार्थियों के सिए न्यूजीलैंड की सरकार ने अभी तक कोई टेंट सप्लाई नहीं किये हैं। तथापि, न्यूजीलैंड विदेश राहत सेवा संगठन परिषद् ने सेना के 330 फालतू "बैल" टेंट अर्जित किए हैं जिन्हें रायल न्यूजीलेंड वायु सेना के हवाई जहाज द्वारा शीघ्र ही भेजे जाने की संभावना है।

(ग) जी, हां। पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों के लिए राहत सप्लाई की व्यवस्था के लिए, विभिन्न विदेशी सरकारों और संयुक्त राष्ट्र के संगठनों से सहायता की मांग की गई है। आवश्यकताओं के अनुमान जो उन्हें प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें टेंटों तथा अन्य आश्रय स्थान संबंधी सामग्री भी शामिल है। विदेशों से अब तक जो आश्रय स्थान संबंधी सामग्री प्राप्त हुई है और जिसके शीघ्र पहुंचने की आशा है उससे 1,60,00 परिवारों को टेंटों में आवास दिये जाने की संभावना है।

(घ) विदेशों से अब तक प्राप्त सहायता और बाशा प्रकार के मकानों को मिलाकर स्थानीय रूप से प्राप्त हो चुकी अथवा संभवतया प्राप्त हो जाने वाली सामग्री को छोड़कर हमें फिर भी 2,20,000 परिवारों के लिए टेंटों में आवास देने की आवश्यकता रह जायेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ तंत्र इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पहले से ही विदेशों से खरीद करने की व्यवस्था कर रहा है।

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह : उत्तर से पता चलता है कि लगभग 330 टेंट इस देश में पहुँच जाने की संभावना है। उनके कब तक यहाँ पर आ जाने की संभावना है ? 2,20,000 लोगों के लिये आवास की व्यवस्था नहीं है और अधिकारी तम्बू तथा अन्य चीज़ें खरीदने की बात सोच रहे हैं। चूँकि यह बरसात का मौसम है और जब तक शीघ्र इससे बचाव की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक परेशानी होगी, यह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : 2,2,000 परिवारों के लिये अभी संयुक्त राष्ट्र संघ से आवास सामग्री प्राप्त होनी है। हमें आश्वासन दिया गया है कि इस महीने के अन्त तक यह सामग्री हमें उपलब्ध हो जायेगी। यह अनुमान 60 लाख लोगों की संख्या पर आधारित है। लगभग आधे, अर्थात् 30 लाख लोगों को "बाशा" प्रकार के मकानों में रखा गया है। शेष के लिये, जैसा कि उत्तर में बताया गया है, जो भी हमें प्राप्त हुआ है और जो भी सामग्री हमने यहां पर खरीदी है, हम प्राब्य स्थान के लिये व्यवस्था कर रहे हैं। निस्संदेह कुछ लोगों के लिये थोड़ी कठिनाई है।

श्री एम० आर० कृष्ण : लन्दन के 'डेली टेलीग्राफ' ने यह कहा बताते हैं कि बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या का सामना करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दी जा रही सहायता से पश्चिम के देशों की राहत एजेन्सियां बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं हैं, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेन्सियों अथवा उनके उन अधिकारियों का, जो यहां आये थे, ध्यान पश्चिम के देशों की राहत एजेन्सियों की इस भावना की ओर दिलाया गया था ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह सच है कि समस्त आवश्यकता अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेन्सियों द्वारा पूरी नहीं की गई है। हमने 40 करोड़ डालर का अनुमानित बजट रखा है; अब तक हमें प्राप्त हुई सभी सामग्री और नकद राशि को शामिल करके हमें मुश्किल से 15.10 करोड़ डालर मिले हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा आशा पूरी नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी प्रतिनिधि यहां पर रखा गया है और वह समन्वय समिति का सदस्य है तथा उस समिति द्वारा जो आवश्यकताएं निश्चित की जाती हैं, वे तुरन्त राष्ट्र संघ को सूचित कर दी जाती हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai: Do Government propose to send their own delegations to other countries to apprise them of our requirements so that the same may be met soon. In view of the fact that the rainy season will last for 3-4 months and also that as such it will be difficult to live in tents and hutments, may I know the immediate arrangements being made to face the problem ? Since it is not possible to cook and supply the food in the tents during rains, may I know the alternate arrangements made for proper supply and service of food ?

श्री आर० के० खाडिलकर : हम महसूस करते हैं कि इस वर्ष विशेष रूप से भारी वर्षा के कारण कुछ शरणार्थियों को यदा-कदा कुछ तकलीफ़ हुई है, हमारे पास जो भी सामग्री है, हमने इससे उन्हें आश्रय स्थान देने का प्रयास किया है। मैं यह दावा नहीं करता कि हमने सबको आवास दिया है; यह बहुत कठिन है। जहां तक भोजन बनाने की व्यवस्था का सम्बन्ध है, यदि वे

अपने आश्रय स्थान में भोजन बनाने की व्यवस्था चाहते हैं, तो हम उन्हें सूखा राशन देते हैं। मैंने अनेक परिवारों को अपना भोजन बनाते हुए अपनी आंखों से देखा है, वे यह तरीका पसन्द करते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai: Are you sending abroad any delegations to meet their requirements ?

अध्यक्ष महोदय : वे पूछ रहे हैं कि क्या आप टैंट प्राप्त करने के लिए विदेशों को कोई प्रतिनिधि मण्डल का कोई प्रतिनिधि भेज रहे हैं।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के वृत्त चित्र

*1147. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने गत वर्ष अथवा इससे कुछ समय पहले पांच रंगीन वृत्त चित्र बनवाए थे और यदि हां, तो उन पर कुल कितनी लागत आई है;

(ख) क्या इन पांच फिल्मों में से चार फिल्में बम्बई के केवल एक फिल्म निर्माता को बनाने के लिए दी गयी थी;

(ग) क्या ठेका देने से पूर्व बम्बई या कलकत्ता के अन्य सुस्थापित तथा प्रमाणित क्षमता वाले निर्माताओं से इस बारे में दरें आदि आमंत्रित की गई थीं;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी प्रक्रिया के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस संबंध में "शार्ट फिल्म एसोसिएशन आफ ईस्टर्न इंडिया" से बातचीत की गई थी और यदि हां, तो उक्त पांच फिल्मों के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) जी, हां। इन चित्रों के बनाने पर लगभग 5,91,400 रुपए खर्च हुए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). ठेका देने से पहले कलकत्ता तथा बम्बई की कुछ सुविख्यात पार्टियों से विचार विमर्श किया गया था।

(ङ) जी, नहीं। पांच चित्रों में से तीन चित्र तैयार हो चुके हैं और शेष दो तैयार हो रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : दोनों मंत्रियों ने हाल में ही कार्यभार ग्रहण किया है। यह आवश्यक नहीं कि वे विगत में की गई प्रत्येक कार्यवाही को सही बतायें।

क्या मंत्रालय का यह विचार है कि कोई चलचित्र निर्माता, वे कितना भी योग्य क्यों न हो, लगभग एक ही विषय पर बहुत ही कम समय में बनाये जाने वाले चल चित्रों के साथ पूर्ण न्याय कर सकता है ?

मैं इस विभूति का नाम जानना चाहता हूँ जिसे हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेट ने कृतार्थ किया। क्या यह सच है कि वह श्री बिड़ला की एडवर्टाइजिंग एण्ड सेल्ज़ प्रमोशन कम्पनी का एक भूतपूर्व कर्मचारी है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : प्रथमतः ये चित्र एक विषय के बारे में नहीं हैं। वे भिन्न-भिन्न विषयों पर हैं, वे इस्पात से अवश्य सम्बन्धित हैं। यदि मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्ता चित्र देखें, तो वे उसके महत्व की सराहना करेंगे। कुछ संसद सदस्यों को आमंत्रित किया था, मैं पुनः चित्र-प्रदर्शन की व्यवस्था करूंगा, तब वे देख सकेंगे। हम कुछ छिपाना नहीं चाहते हैं।

जहां तक श्री श्याम बेनेगल का सम्बन्ध है, जिन्हें इन चल चित्रों के लिये ठेका दिया गया है, उन्हें श्री सत्यजीत एम जिनकी श्री गुप्ता प्रशंसा करते हैं, श्री सुभाष घोषाल, जो एक प्रख्यात विज्ञापन तथा माध्यम विशेषज्ञ हैं तथा आई. ए. एम. (प्राइवेट) लिमिटेड के श्री आनन्द मुकर्जी से परामर्श करके चुना गया था, और उनकी सर्वसम्मत सिफारिश पर ही श्री श्याम बेनेगल को ठेका दिया गया था।

जहां तक उनकी अर्हताओं का सम्बन्ध है, यदि मैं उनकी अधिक प्रशंसा न करूं तो भी इतना अवश्य कहूँगा कि चलचित्र निर्माण के क्षेत्र में उनका रिकार्ड सर्वविदित है। जहां तक विज्ञापन चित्रों का सम्बन्ध है, उन्हें स्वयं अब तक अनेक पुरस्कार मिले हैं, और उन्हें इस क्षेत्र में बहुत अनुभव है। इसलिये उनके चयन के बारे चिन्ता की कोई बात नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मैं समझता हूं कि मूल उत्तर में कहा गया था कि ठेका देने से पहले कुछ अन्य निर्माताओं के नामों पर भी विचार किया गया था। क्या उनसे वास्तव में सम्पर्क स्थापित किया गया था और क्या लागत आदि के बारे में उनके साथ कोई विचार-विमर्श किया गया था ? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि पूर्वी क्षेत्र में अनेक सुविख्यात और सुस्थापित एवं अनुभवी वृत्र चित्र निर्माता हैं, जिन्हें भूतकाल में भारत सरकार, चाय बोर्ड, इंडियन इंजीनियरिंग एसोसिएशन, टाटा स्टील आदि के लिये चित्र बनाने के लिए उपयुक्त समझा गया था। मैं "विचार किया गया" शब्दों का अर्थ जानना चाहता हूं। इस कार्य का कम से कम कुछ भाग अन्य लोगों को क्यों नहीं दिया गया ? क्या इस बारे में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के जन सम्पर्क विभाग ने यह मनमानी प्रक्रिया नहीं अपनाई ?

श्री मोहन कुमारमंगलम : क्या यह निर्णय मनमाना है अथवा नहीं, इस पर अपनी-अपनी राय है। मैं श्री गुप्तजी को उत्तर दे चुका हूं कि हिन्दुस्तान स्टील के प्रबन्धकों ने अधिकारियों की, जो इस क्षेत्र में माहिर समझे जाते हैं, सलाह पर भरोसा किया।

जहाँ तक इस अभिव्यक्ति के अर्थ का सम्बन्ध है कि थोड़ी-सी पार्टियों के आवेदनों पर विचार किया गया था, मैं यह बतादूं कि श्री बेनेगल संगठन के अलावा "लुक पब्लिसिटी" तथा "इमेज इंडिया" जो दोनों कलकत्ता की हैं, और बम्बई की "केला श्रीस्ती" के आवेदनों पर भी हिन्दुस्तान स्टील ने विचार किया था और अन्त में केवल विशेषज्ञों की सलाह पर ही यह निर्णय लिया गया था ।

नलकूप लगाने के लिये विदेशों से प्राप्त किये गये रिग तथा उनका राज्यों को वितरण

*1148. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नलकूप लगाने के लिये सहायता देने वाले देशों/प्राधिकरणों से अब तक कितने रिग प्राप्त किये गये हैं तथा इससे सम्बन्धित शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में नलकूप लगाने के लिये रिगों की सप्लाई हेतु क्या मानदण्ड तथा शर्तें हैं तथा ये रिग किस-किस राज्य को कितनी-कितनी संख्या में वितरित किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री डी० डी० देसाई : क्या इस समय कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ?

श्री शेर सिंह : इसका सम्बन्ध कई मंत्रालयों से है और जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी ।

श्री पीलू मोदी : नियमों के अधीन किसी प्रश्न के लिये 21 दिन की पूर्व सूचना निर्धारित है ।

Shri Hukam Chnnd Kachwai: Despite the fact that the question was with him for 21 days, the hon. Minister is now replying that the information is being collected. In fact, Sir, the Governmental machinery is so slow that they are not able to collect the information.

Shri R. C. Vikal: May I know the time by which the information will be laid on the Table ?

श्री डी० डी० देसाई : यह जानकारी किस तारीख तक सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

श्री शेर सिंह : यथा शीघ्र, किन्तु निश्चित रुप से चालू सत्र के अवसान होने से पूर्व रख दी जायेगी ।

तीसरी और चौथी योजना के अन्तर्गत यन्त्रीकृत खेती की प्रगति

* 1153. **श्री डी० के० पंडा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में यंत्रीकृत खेती में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) खेती की जाने वाली कुल भूमि की तुलना में कितने प्रतिशत भूमि यंत्रीकृत खेती के अन्तर्गत लाई गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) यंत्रीकृत कृषि का कार्यक्रम देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने और गतिमान करने हेतु विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में मुख्य कार्यक्रमों में से एक है । इस कार्यक्रम का कृषि विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और किये गये प्रयत्नों तथा उन्नति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

1. उन्नत औजारों तथा उपकरणों का उपयोग

प्रथम दो योजनावधियों में केवल उन्नत औजारों तथा उपकरणों पर ही बल दिया गया था । द्वितीय योजना के अन्त में देशीय कृषि उपकरणों के सर्वेक्षण करने और नये तथा उन्नत उपकरणों के विकास के लिये अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रयास किये गये थे । इस समय देशीय उत्पादन से इंजनों तथा पम्प सैटों के समस्त आवश्यकताओं की ही पूरा नहीं किया जा रहा है बल्कि उसकी अधिशेष क्षमता है ।

2. देशीय टेक्टरों का उत्पादन

दूसरी योजना में 11,000 कृषि ट्रैक्टरों की क्षमता का लाइसैन्स दिया गया था । परन्तु वास्तविक उत्पादन तीसरी योजनावधि में शुरू हुआ, इस दौरान 19,000 की और क्षमता स्वीकृत की गई और इस प्रकार स्वीकृत क्षमता 30,000 तक बढ़ गई । देश में ट्रैक्टरों का उत्पादन वर्ष 1965-66 में 5,714 से बढ़ कर वर्ष 1970-71 में 20,099 हो गया । वर्तमान 5 एककों के अतिरिक्त 36,000 ट्रैक्टरों की क्षमता सहित ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये 5 और फर्मों को लाइसेंस दे दिये गये हैं । वर्तमान कुल लाइसेंस शुदा क्षमता 66,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष की है ।

3. परीक्षण तथा प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं में वृद्धि

दूसरी योजना के दौरान किसानों को, सरकारी अधिकारियों आदि को फार्म मशीनरी उपयोगिता में नियमित प्रशिक्षण देने के लिए बुदंनी में एक ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया था । दूसरा केन्द्र तीसरी योजना के दौरान हिसार में स्थापित किया गया था और अधिक

प्रशिक्षित कार्मिकों के लिए आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए चालू योजनावधि में इन दोनों केन्द्रों में परीक्षण तथा प्रशिक्षण की सुविधायें बढ़ा दी गई हैं। इन केन्द्रों में कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य 210 से 480 प्रशिक्षणार्थी प्रति वर्ष कर दिया गया है। वर्तमान केन्द्रों के अतिरिक्त मैसूर में एक तीसरा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का भी निर्णय किया गया है। ये केन्द्र किसानों, स्वामी-चालकों, प्रशिक्षणार्थियों, कृषि-उद्योग निगमों के नामज़द व्यक्तियों, बेरोजगार कृषि इंजीनियरों आदि को प्रशिक्षण देने के लिये नियमित कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

4. ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों में कर्मशाला विंगों की स्थापना

कर्मशाला विंग देश भर में ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ संलग्न कर दिये गये हैं। इस समय कर्मशालाओं की संख्या 46 है। व्यक्ति द्वारा चलाये जाने वाले उपकरणों के प्रशिक्षण को शुरू करने और कृषि उपकरणों के निर्माण की तकनीकों में प्रशिक्षण देने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ कर्मशाला विंगों को उन्नत किया गया।

5. ट्रैक्टरों और अन्य कृषि मशीनरी का आयात

यद्यपि देशीय ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़ा दिया गया है, तथापि उससे देश में ट्रैक्टरों की बढ़ती हुई मांग पूरी नहीं हो पाती। वर्ष 1968-69 और 1969-70 के दौरान ट्रैक्टरों की अनिष्पन्न मांग क्रमशः 98,968 तथा 1,24,192 थी। फ़ार्म यंत्रीकृत के तीव्र विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ट्रैक्टरों के आयात के कार्यक्रम को तेज कर दिया गया है। वर्ष 1967-68 की आवश्यकता के मुकाबले 2000 ट्रैक्टर आयात किये गये और वर्ष 1968-69 की आवश्यकता के मुकाबले 15,500 ट्रैक्टर आयात किये गये। वर्ष 1969-70 की आवश्यकता के लिये 35,000 ट्रैक्टर आयात करने का निर्णय किया गया है।

6. अनुसंधान तथा विकास

किसी विशेष प्रदेश के लिए उनकी उपयोगिता को देखने की दृष्टि से उन्नत कृषि उपकरणों तथा वर्तमान उपकरणों के तुलनात्मक परीक्षण के विकास के लिये तीसरी योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में एक एक के हिसाब से 16 अनुसन्धान, परीक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये। इनमें से कुछ केन्द्रों को कृषि विश्वविद्यालयों में भेज दिया गया है। चौथी योजना के दौरान उनमें से दो को प्रादेशिक केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया गया है जिनमें एक भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली में और दूसरा कोइम्बेटूर में है। पहला उत्तरी क्षेत्र की और दूसरा दक्षिणी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

7. कृषि-उद्योग निगम

कृषि उपकरणों तथा मशीनरी के लिये संस्थात्मक प्रबन्धों में अत्यन्त महत्वपूर्ण मूलकार्य कृषि-उद्योग निगमों द्वारा किये गये हैं। ये निगम नागालैंड तथा मेघालय को छोड़कर समस्त राज्यों में स्थापित किये गये हैं। इन निगमों की कुल अधिकृत पूँजी 5,000 लाख रु० है। इन निगमों ने नकद तथा भाड़ा-खरीद के आधार पर ट्रैक्टरों, पावर टिलरों, पम्प सैटों तथा कृषि मशी-

नरी की अन्य मदों के वितरण के कार्यक्रम शुरू किये हैं। काला बाजार समाप्त करने और किसानों को उचित मूल्यों पर सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्त आयातित ट्रैक्टरों को इन निगमों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। 31 दिसम्बर, 1970 तक भाड़ा-खरीद योजना के अन्तर्गत निगमों द्वारा वितरित की गई कृषि मशीनरी का कुल मूल्य 17.36 करोड़ रु० है।

8. कृषि मशीनरी भाड़ा केन्द्र

अधिकाँश निगमों ने किसानों को यंत्रीकृत फार्मिंग की सुविधाओं का उपयोग करने योग्य बनाने के लिये भाड़ा-केन्द्र तथा कर्मशाला स्थापित किये हैं।

9. कृषि-सेवा केन्द्र

बेरोजगार इंजीनियरों तथा अन्य तकनीकीरूप से प्रशिक्षित कार्मिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये सरकार की नीति के अनुसार कृषि मशीनरी भाड़ा तथा मरम्मत सम्बन्धी सुविधाए, फालतू पूर्जो, आदानों आदि के, क्षेत्र की आवश्यकताओंके अनुसार, वितरण की सुविधा प्रदान करने के लिये कृषि-सेवाई केन्द्रों की स्थापना हेतु एक योजना चलाई गई है। ये केन्द्र उपकरणों के निर्माण, क्षेत्र के साधनों पर निर्भर करने वाले प्रोसैसिंग प्लान्टों को चलाने सम्बन्धी गतिविधियाँ शुरू करेंगे।

(ख) इस समय देश में ट्रैक्टरों की संख्या लगभग 1,39,000 है और इस धारणा को लेकर कि एक ट्रैक्टर औसतन 40.46 हैक्टार (100 एकड़) में खेती कर सकता है, ट्रैक्टरों द्वारा जोती गई कुल भूमि 56,15,660 हैक्टार होगी; इस हिसाब से यह जोती गई कुल भूमि का लगभग 4 प्रतिशत भाग होता है।

श्री डी० के० पंडा: विवरण के पैरा 5 में यह कहा गया है कि वर्ष 1969-70 में 124,192 ट्रैक्टरों की आवश्यकता थी और जिसके लिए केवल 35,000 ट्रैक्टरों का आयात किया जायेगा। क्या ट्रैक्टरों की आवश्यकता पूरी करने के लिये भारत में विभिन्न राज्यों में ट्रैक्टर निर्माण उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: औद्योगिक विकास मंत्रालय में कई पार्टियों को ट्रैक्टर-निर्माण आरम्भ करने के लिये लाइसेंस दिये हैं। हमारा देश इतना विशाल है कि जब तक हमार कोई बड़ा निर्माण कार्यक्रम न हो, हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में भी, ट्रैक्टरों का निर्माण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

श्री डी० के० पंडा: कृषि सेवा केन्द्रों के सम्बन्धों में, इस बात को देखते हुए कि गन्ना उत्पादकों की संख्या 2 करोड़ है और वे गन्ने की खेती की ओर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं; उन्हें भी यंत्रीकृत खेती की आवश्यकता है और सहकारी आधार पर बहुत से चीनी के कारखाने हैं। वे सभी गन्ने के उत्पादन में जुटे हुए हैं क्योंकि चीनी से हम बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमाते हैं। उस दृष्टि से क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, विशेषकर

सहकारी क्षेत्र में जहां सहकारी समितियों ने ऐसी भूमि खेती के लिये ली है अथवा जहां गन्ना उत्पादक जो ऐसी भूमि में खेती कर रहे हैं और इसके साथ-साथ सहकारी समितियों के अंशधारी हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : राज्य कृषि उद्योग निगम से आशा है कि वह अधिक आवश्यकता और अधिक माँग वाले क्षेत्रों का पता लगायेगा और वह उन राज्यों में मांग तथा आवश्यकता के आधार पर उन केन्द्रों की स्थापना करेगा।

श्री डी० के० पंडा : मेरा विशेष प्रश्न उन क्षेत्रों में यंत्रीकरण के विकास के सम्बन्ध में था जहां पहले से ही चीनी उद्योग विद्यमान है और साथ ही साथ ऐसी भूमि के बारे में था जिसमें गन्ने की खेती की जाती है, क्या ऐसी कोई कार्यवाही अथवा नीति बरती जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : वह गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह काम राज्य सरकार तथा कृषि उद्योग निगमों ने करना है। हम यहां से कोई निर्णय नहीं ले सकते। स्थानीय निर्धारण का काम जितना अच्छा राज्य सरकार के अधिकरण कर सकते हैं उतना और कोई नहीं कर सकता।

श्री डी० के० पंडा : इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कृषि उद्योगों में चीनी उद्योग भी शामिल है। मेरा विशेष प्रश्न यह है कि क्या कृषि उद्योग जिसमें चीनी उद्योग भी शामिल है। मेरा विशेष प्रश्न यह है कि क्या कृषि उद्योग जिसमें चीनी उद्योग भी शामिल है, तथा वह भूमि जिसमें खेती की जाती है, ऐसे उद्योग से जुड़े हैं, क्या वहां केन्द्र खोले जा रहे हैं विशेषकर उन क्षेत्रों में कृषि केन्द्र कब तक स्थापित किये जायेंगे।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यदि माननीय सदस्त किसी विशेष क्षेत्र के बारे में कहना चाहते हैं तो मैं उस विशेष क्षेत्र की आवश्यकताओं की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाने को तैयार हूँ बशर्ते वह आवश्यक विवरण दें।

विरेन्द्र सिंह राव : सरकार की दृष्टि में यंत्रीकृत फार्मों के सम्बन्ध में एक व्यवहार्य लाभप्रद इकाई के लिये कम से कम कितनी भूमि आवश्यक है ?

अध्यक्ष महोदय : वह राय जानना चाहते हैं।

श्री विरेन्द्र सिंह राव : वे कुछ आधार पर काम कर रहे हैं। यंत्रीकृत फार्मिंग को प्रोत्साहन देना भी राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में से एक है। इसलिये हमें इस बारे में सरकार के दृष्टिकोण से अवगत होना चाहिए।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : फार्म के लिये कोई न्यूनतम आकार की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा किसान भी टैक्टर का प्रयोग कर सकता है। कठिनाई यह है कि छोटा किसान ट्रैक्टर खरीद नहीं सकता। इसलिये राज्य तथा सहकारी समितियों को यह देखना होता है कि

छोटे किसानों तक को ट्रैक्टर उपलब्ध किये जायें। यदि माननीय सदस्य के दिमाग में ऐसी बात है कि यंत्रीकरण के लिये केवल बड़े फार्म ही होने चाहिए, तो सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है।

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : क्या एक एकड़ के फार्म में भी यंत्रों से खेती की जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात ट्रैक्टर की अश्व-शक्ति पर निर्भर करती है।

श्री वेंकटासुब्बया : मंत्रीजी ने अपने विवरण में बताया है कि वर्तमान लाइसेंसिंग क्षमता 6,000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष है। क्या इस अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या ट्रैक्टरों की लागत पर कोई मूल्य नियंत्रण किया गया है क्योंकि विदेशी ट्रैक्टरों का मूल्य अत्यधिक है जिस कारण उसे खरीदना हर किसान के बस की बात नहीं है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। पहले प्रश्न के सम्बन्ध में, जो अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग के बारे में है, यद्यपि मेरे पास कुछ जानकारी है तथापि मैं सलाह दूंगा कि वह इस प्रश्न को औद्योगिक विकास मंत्रालय में पूछें क्योंकि इस विषय का सम्बन्ध उस मंत्रालय से है। जहां तक उनके दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, देश में निर्मित ट्रैक्टरों पर मूल्य नियन्त्रण है। जिन ट्रैक्टरों का सरकारी क्षेत्र के अधिकरणों तथा कृषि उद्योग निगम के माध्यम से आयात किया जाता है उन्हें भी खर्चे तथा अन्य प्रभारों को पूरा करने के लिये कुछ सीमित कमीशन के आधार पर वितरित किया जाता है।

श्री एम० टी० राजू : क्या मंत्री जी को आशंका है कि ट्रैक्टरों पर हाल में बजट में प्रस्तावित कर के कारण यंत्रीकृत फार्मिंग की प्रगति को धक्का पहुंचेगा और यदि हां, तो इस कारण उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

अध्यक्ष महोदय : वह राय जानना चाहते हैं जो अनुपूरक प्रश्न में नहीं पूछी जा सकती।

Shri Ramavatar Shastri: Whether it is a fact that Agro-industries Corporation of Bihar has sent a proposal in regard to the setting up of a tractor manufacturing unit in Bihar ?

Whether it is also a fact that the tractors made in U. S. S. R. and Czechoslovakia have become popular amongst the agriculturists of Bihar, and the demand for the same is increasing day by day. If so, the steps taken or proposal to be taken to meet the demand?

Mr. Speaker: Have you seen the question ? It does not relate to Bihar.

Shri Ramavatar Shastri: The question arises because the agro-industries Corporation of Bihar has proposed to set up a unit thire and the demand for tractors is increasing there . . .

Mr. Speaker: Only relevant questions should be asked.

Shri Ramavatar Shastri: It is a relevant questions and that is why I am asking it.

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है ।

श्री पीलू मोदी : वे जर्मनी के लोकतन्त्रात्मक गणराज्य द्वारा भेजे जाने वाले घटिया किस्म के ट्रैक्टरों के बारे पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संगत प्रश्न पूछिए ।

Shri Ramavatar Shastri: Both the questions arise from the statement and the hon. Minister is also prepared to answer them.

अध्यक्ष महोदय : जैसे ही मैं कहता हूं कि यह संगत प्रश्न नहीं है वह खड़े होकर मेरे साथ बहस करने लग जाते हैं । मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं ।

Shri Ramavatar Shastri: When he is prepared to answer why are you standing in between ?

Mr. Speaker: I resent this. It is an unrelated question. The Member should speak with a sense of responsibility. It is Parliment and not a dake.

Shri Ramavatar Shastri: How have you concluded that we cut jokes. I am asuming a very relevant question . . . (*Interruption*)

Mr. Speaker: May God bestow wisdom upon them.

Dr. Laxminarayan Pandey: The number of trainees in tractor training centres at Budni and Hissar is being increased from 210 to 480. May I know whether so many trainees are available there ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : प्रशिक्षण की वर्तमान क्षमता का पूरा पूरा उपयोग हो रहा है । इसे और बढ़ाने का हमारा विचार है ।

Shri B. S. Bhaurai: Whether Government are aware of the fact that big landlords have kept apart thousands of acres of land in the name of machanised farming though that is not being used for that purpose. May I know whether Government propose to bring forth any legislation to acqurie that land.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में तीसरी और चौथी योजनाओं के दौरान यंत्रों द्वारा खेती की प्रगति के बारे में तथ्यात्मक जानकारी मांगी गई है ।

श्री भानसिंह भौरा : वहां यंत्रीकृत कृषि नहीं होती ।

श्री के० सूर्यनारायण : सभा पटल पर रखे गए विवरण के पृष्ठ 3 में उन्होंने बताया है कि, 1,24,000 ट्रैक्टर 1969-70 में आयात किए जाने हैं । उन्होंने पहले ही 35,000 ट्रैक्टर

आयात करने का निर्णय किया है। उनमें से जर्मनी के बने हुए ट्रैक्टर राज्य कृषि-उद्योग निगम के माध्यम से बेचे जा रहे हैं। इस निगम ने भी कई शिकायतें भारत सरकार से की हैं। जिन किसानों ने ये ट्रैक्टर खरीदे हैं उन्हें नुक्सान हो रहा है। किसानों ने भी सरकार को अभ्यावेदन भेजा है। परन्तु सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया। ऐसे ट्रैक्टरों से कृषि विकास और यंत्रीकरण कैसे संभव है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री के० सूर्यनारायण : जिन किसानों ने मशीनों से कृषि करने के लिए ये ट्रैक्टर खरीदे हैं क्या सरकार उनकी सहायता करेगी और निगम के माध्यम से सरकार द्वारा बेचे गए त्रुटिपूर्ण ट्रैक्टरों की कीमत वापिस करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : उनका आशय जर्मनी के ट्रैक्टरों के बारे में है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस बारे में ध्यान दिलाने की सूचना पर बहस हो चुकी है।

खाद्य नीति के उद्देश्य और डेरी परियोजनाओं का विकास

*1154. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की खाद्य नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या खाद्य पदार्थ की किस्म में सुधार करना और पोषाहार सम्बन्धी कमियों को दूर करना सरकार की खाद्य नीति में सम्मिलित है; और

(ग) सरकारी, सहकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में डेरी परियोजनाओं के विकास के लिये क्या कार्य किए गये हैं तथा क्या कार्य करने की योजना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहब पी० शिन्दे) : (क) सरकार की खाद्य नीति के मुख्य-मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(1) यह सुनिश्चित करना कि उत्पादकों को उचित दाम मिले और उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता रहे।

(2) यह सुनिश्चित करना कि उपभोक्ता मूल्य स्थिर हो जाते हैं और विशेषतया कम आय के खपतकारों के हितों की सुरक्षा की जाती है।

(3) खाद्यान्नों की कमी और ऊंचे मूल्यों की स्थिति में बफर स्टाक से खाद्यान्नों की बिक्री कर और गिरते हुए मूल्यों को सहारा देने के लिए बफर स्टाक हेतु खरीदारी कर उपर्युक्त दोनों उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से खाद्यान्नों का बफर स्टाक तैयार करना।

(ख) सरकार की खाद्य तथा पोषाहार नीति का उद्देश्य उपभोग्य खाद्य पदार्थों की किस्म में धीरे-धीरे सुधार करना और पोषण सम्बन्धी न्यूनताओं को उत्तरोत्तर दूर करना है ।

(ग) चौथी पंच वर्षीय योजना में सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में नयी डेरी परियोजनाएं स्थापित करने और मौजूदा योजनाओं के विस्तार और समेकन के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गयी है । निजी क्षेत्र को यथा व्यवहार्य भारी मात्रा में दूध के पदार्थों का उत्पादन करने के लिए उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में यह बताया गया है कि :

> "सरकार की खाद्य तथा पोषाहार नीति का उद्देश्य उपभोग्य खाद्य पदार्थों की किस्म में धीरे-धीरे सुधार करना है . . ."

मैं जानना चाहता हूं कि खाद्य की किस्म में धीरे-धीरे सुधार करने का क्या तरिका है और इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य का ज्ञान बहुत अधिक है । देश की गरीब जनता की क्रय शक्ति बढ़ाकर खाद्य की कमी सम्बन्धी समस्यायें अन्ततोगत्वा दूर की जा सकती है . . .

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मेरा प्रश्न बिल्कुल भिन्न है । यह विवरण में दिए गए उत्तर पर आधारित है । आपने खाद्य की किस्म के धीरे-धीरे सुधार की बात की है । मैं पूछना चाहता हूं कि धीरे-धीरे सुधार करने का क्या तरीका निकाला गया है और इस दिशा में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने अभी पूरा उत्तर नहीं दिया था । मैं विस्तारपूर्वक बता रहा था । आम तौर पर खाद्य की कमी क्रय शक्ति बढ़ाने से दूर की जा सकती है । परन्तु इस बीच सरकार लोगों को शिक्षा देने का प्रयास कर रही है । अनेक गाड़ियां लोगों को खाना पकाने की शिक्षा देने के लिए जाती हैं क्योंकि खाना पकाने का तरीका भी त्रुटिपूर्ण है । आधुनिक ढंग से खाना पकाने के लिए हमने खान-पान संस्थायें स्थापित की हैं । हम विभिन्न संगठनों के माध्यम से लोगों को दैनिक आहार की आदतों की शिक्षा देने का भी प्रयास कर रहे हैं । परन्तु इन चीजों की अपनी सीमाएं होती हैं और उनका प्रभाव भी सीमित होता है ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : भाग (ग) के उत्तर में यह बताया गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाता है । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि कैसा प्रोत्साहन दिया जाता है । और अब तक इस दिशा में क्या किया गया है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह डेरी संगठन के बारे में है । जहां सरकारी डायरियां कार्य करती हैं । हम गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन नहीं देते . . .

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : आपने कहा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाता है। कैसा प्रोत्साहन दिया जाता है ? अब तक क्या किया गया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां सरकारी डायरियां नहीं है, यदि कोई व्यक्ति डायरी खोलना चाहता है ताकि उत्पादकों को क्रय सुविधा मिले तो सरकार उन्हें लाइसेंस देती है।

Shri N. S. Bisht: Whether any scheme to provide nutritions food to children is under consideration ? If so, the nature thereof ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : बाल आहार परियोजना के अन्तर्गत स्कूल के बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है। यह कार्यक्रम दक्षिण भारत में प्रचलित है। भारत सरकार भी इस कार्यक्रम का विस्तार करने की बात सोच रही है। जैसे माननीय सदस्य को मालूम ही है, वित्त मंत्री ने स्वयं ऐसी एक बड़ी योजना को आरम्भ करने के लिए कुछ वित्त व्यवस्था का सुझाव दिया है।

Shri Hukam Chand Kachwai: Is there any scheme to give incentive to those who want to purchase a cow or start a dairy farm and if so, the number of applications received so far and the number of persons to whom assistance has been provided ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : ऋण उन लोगों को दिया जाता है जो इसे लेना चाहते हैं और यह कार्य राज्य सरकारें, सहकारी संगठन, वाणिज्यक बैंक आदि करते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : बम्बई और दुग्ध बस्ती और कुछ अन्य स्थानों से गऊओं की सप्लाई करने की योजना थी जिसके अन्तर्गत दुग्धशालाओं का विकास करने के लिए किसानों और संसद् सदस्यों को गऊएं दी जाती थीं किन्तु उस योजना को अब समाप्त कर दिया गया है। इस योजना को समाप्त करने के क्या कारण थे और क्या उसे पुनः आरम्भ किया जायेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस पर सम्बन्धित राज्य सरकार ही विचार कर सकती है क्योंकि वह राज्य सरकार की ही योजना है। परन्तु हम अब भी उन्हें सहायता देने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार कहती है कि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही है और यदि कोई फालतू माल हो भी तो वह केन्द्रीय सरकार को देने के लिए तैयार है। यदि ऐसा कर दिया जाता है, तो संसद् सदस्यों तथा अन्य लोगों को वही सुविधाएं उपलब्ध होती रहेंगी।

श्री पैनुली : क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता के कारण सहकारी क्षेत्र में दुग्धशालाओं से सम्बन्धित कई परियोजनाएं बन्द होने वाली हैं और यदि हों तो उन्हें बचाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हर जगह ऐसा नहीं है। सरकारी क्षेत्र की दुग्धशाला परियोजनाओं के हितों की रक्षा के लिये राज्य सरकारें कार्यवाही कर रही हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था कर रखी है और यह सुनिश्चत करने के लिए क्या नियम बनाए गये हैं कि उत्पादकों को पर्याप्त मूल्य मिले और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को भी पर्याप्त लाभ हो ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : राज्य सरकारें इन बातों का ध्यान रखती हैं। अतः देश भर में समान नीति नहीं हो सकती। किन्तु स्थानीय दुग्धशालाएं तथा राज्य सरकारें इन बातों को ध्यान में रखती हैं।

Shri R. S. Pandey: In the developed countries of the world, nutritious food is made available to the expactant mothers. Before nutritious food is made available to the children many of whom are very weak at the time of birth, whether arrangments would be made for providing wholesome food to the expectant mothers ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : गरीब वर्ग के लोगों में दूध का वितरण करने की समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करने का कार्यक्रम तैयार हो रहा है परन्तु यह कार्यक्रम केवल एक नमूने के तौर पर ही हो सकता है क्योंकि आवश्यकता बहुत ही अधिक है और यह अन्ततः लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने का प्रश्न है।

श्री राम सहाय पाण्डे : दोनों कार्यक्रम साथ-साथ चलने चाहिये।

श्री नवलकिशोर सिंह : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि इन शिक्षात्मक कार्यक्रमों के बावजूद देश में दूध की प्रति व्यक्ति खपत 5 औंस से कम होकर 3 औंस रह गई है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां दूध की उपलब्धता बढ़ रही है, वहां जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। उनमें कुछ अन्तर अवश्य है। इस बात का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं।

भूमि पर निर्भर लोगों की प्रतिशतता और भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी

*1157. **श्री नवलकिशोर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस वर्षों में कृषि पर निर्भर लोगों की प्रतिशतता में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता गिर गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कृषि पर निर्भर आबादी के बारे में 1961 और 1971 की जन-गणना में जानकारी इकट्ठी नहीं की गई है। तथापि निम्न टेबल कृषि कार्यकर्ताओं की कुल संख्या (अर्थात् काश्तकार तथा कृषि श्रमिक सहित), कुल कार्यकर्ताओं की संख्या और कुल कार्यकर्ताओं की तुलना में कृषि कार्यकर्ताओं के प्रतिशत को प्रदर्शित करता है जो 1961 की जन-गणना और 1971 की जन-गणना के अस्थाई आंकड़ों के अनुसार है :

जन-गणना वर्ष	कृषि कार्यकर्ता	कुल कार्यकर्ता	कुल कार्यकर्ताओं की तुलना में कृषि कार्यकर्ताओं का प्रतिशत
	(हजारों में)	(हजारों में)	
1961	131,048	188,572	69.5
1971 (अस्थाई)	126,012	183,605	68.6

सन् 1961 और 1971 की जन-गणनाओं में कार्यकर्ता की परिभाषा में अन्तर होने के कारण उपरोक्त आंकड़ों की ठीक तरह से तुलना नहीं की जा सकती। उदाहरणार्थ गृहणियां जिनका मुख्य धंधा कृषि नहीं है 1971 की जनगणना में उन्हें कृषि कार्यकर्ताओं की श्रेणी में नहीं दिखाया गया है। इसलिये इन आंकड़ों से कोई परिणाम निकालना कठिन है। तथापि जब 1971 की जनगणना के आंकड़े पूरी तरह से तैयार हो जायेंगे और उनका विश्लेषण हो जायेगा तब 1961 और 1971 के आंकड़ों की कुल तुलना करना सम्भव हो सकेगा।

(ख) सन् 1960-61 और 1967-68 की अवधि में (वह अन्तिम वर्ष जिसके लिये अखिल भारतीय भूमि प्रयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं) काश्त शुद्धा क्षेत्र (निवल बोया क्षेत्र तथा चालू अपवाह) 1448 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 1518 लाख हैक्टेयर हो गया अर्थात् 4.8 प्रतिशत बढ़ गया। तथापि आबादी में अधिक दर से वृद्धि होने के कारण, जहां तक काश्त शुद्धा क्षेत्र का सम्बन्ध है, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धि में कमी हुई है।

(ग) नये क्षेत्र को काश्त के अधीन लाने की सीमाओं के कारण विकास कार्यक्रमों के अधीन अधिक कृषि उपज के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने और बहु-फसलों के अधीन क्षेत्र के विस्तार पर बल दिया जा रहा है।

श्री नवल किशोर सिंह : भाग (क) में जो प्रश्न था वह कुछ भिन्न था। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस कृषि प्रधान देश में भूमि पर निर्भर लोगों की संख्या का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। क्या मंत्री महोदय 1971 की जनगणना में कृषि पर निर्भर लोगों की वास्तविक संख्या का पता लगाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जनगणना तो हो चुकी है। आंकडे एकत्र किये जा रहे है। इसके पश्चात् ही सही आंकड़ों का पता लग सकेगा।

श्री नवल किशोर सिंह : भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है कि जहां तक काश्त शुदा क्षेत्र का सम्बन्ध है, इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी हुई है। क्या यह कमी देश के अधिक बड़ी जोतों वाले वर्गों में अधिक भूमि शामिल कर देने से हुई है क्योंकि विभिन्न राज्यों ने उच्चतम सीमा सम्बन्धी विधियों को क्रियान्वित ही नहीं किया है ? निचले स्तर से आयोजन करने से सरकार का क्या अभिप्राय है ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जोतों की विभिन्न श्रेणियों—5 एकड़, 10 एकड़ और 15 एकड़ आदि—समस्या से बिल्कुल ही भिन्न समस्या है।

परन्तु मोटे तौर पर आंकड़ों से यह पता चलता है कि इस बात के बावजूद कि काश्त शुदा क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के कारण भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी हुई है। 1968-69 में यह 0.33 हेक्टेयर थी और अब यह कम हो कर 0.30 हेक्टेयर रह गई है।

श्री नवल किशोर सिंह : यह उन्होंने अपने मूल उत्तर में नहीं बताया, परन्तु वह अब यह अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में बता रहे है।

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों से अधिक जानकारी मिल जाती है।

श्री के० लकप्पा : भूमि पर निर्भर जनसंख्या की प्रतिशतता और व्यक्ति भूमि की उपलब्धता में कमी मुख्यता सरकार द्वारा भूमि सुधारों को दृढ़ता से क्रियान्वित न करने के कारण हुई है। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि 'काश्तकार के लिये भूमि' अब भी एक स्वप्न मात्र ही है। भूमि सुधारों को क्रियाविन्त करने में असफलता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार काश्तकार को ही भूमि देने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही कर रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य का आदर करता हूं। परन्तु मैं उनकी मंडणा लेना चाहूंगा. . . **(व्यवधान)** . . .भूमि सुधारों की क्रियान्वित का प्रश्न एक महत्वपूर्ण विषय है और मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को समन्तता हूं।

यहां प्रश्न कुछ भिन्न है। यह जनसंख्या के सम्बन्ध में भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के बारे में है। प्रश्न तो यह है।

श्री के० लकप्पा : यह प्रश्न इसलिये सुसंगत है क्योंकि फालतू भूमि भूमिहीन लोगों को नहीं दी गई है और अब भी बड़े-बड़े भूस्वामियों के पास काफी-काफी भूमि है और इसके फलस्वरूप भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी हुई है क्या सरकार ने इस पहलू पर विचार किया है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में तो उन्होंने बता दिया हैं।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : उन राज्यों में जहां यंत्रीकृत खेती और कई प्रकार की फसलें साथ-साथ उगाने में कोई प्रगति नहीं हुई है, इन आदतों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ? मैं यह प्रश्न विशेष रूप से आसाम राज्य के संदर्भ में पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न गत दशक में भूमि पर निर्भर जनसंख्या में वृद्धि और भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के बारे में है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : विवरण में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कृषि के अन्तर्गत भूमि वृद्धि होने के बावजूद भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी हो गई है। यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में आसाम के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं उन्हें यह जानकारी देने के लिए तैयार हूं।

उत्तरी बंगाल में खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि

*1158. **श्री बी० के दास चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बंगाल में एक तो बंगाल देश से लाखों की संख्या में निष्क्रान्त व्यक्तियों के आने के कारण और दूसरे भारी वर्षा तथा बाढ़ से हुई क्षति के कारण खाद्यान्नों के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कूच-बिहार, जलपाईगुडी और मालदा में अतिरिक्त, खाद्य पदार्थ विशेषकर चावल सप्लाई करेगी; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितना चावल सप्लाई किया जायेगा और उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पश्चिमी बंगाल में भारी उपभोग के लिए चावल प्रमुख खाद्यान्न है । पिछले वर्ष की तुलना में उत्तरी बंगाल में चावल के मूल्यों में मिली जुली प्रवृत्ति रही और ये मूल्य कुछ केन्द्रों पर अधिक और कुछ अन्य पर अपेक्षाकृत कम हैं । मूल्यों में यह वृद्धि अंशतः मौसमी है और अंशतः पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के आने के कारण हैं । उत्तरी बंगाल के जिलों में बाढ़ और भारी वर्षा से क्षति होने के बारे में कोई खबर नहीं मिली है ।

(ख) राज्य सरकार को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का सम्भरण सारे राज्य और न कि पृथक-पृथक जिलों के लिए किया जाता है । राज्य की जरूरतें पूरी करने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं ।

(ग) वर्ष 1971 के लिए पश्चिमी बंगाल की सरकार ने पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की जरूरतों समेत केन्द्रीय पूल से 8.25 लाख मी० टन चावल माँगा है । यह सारी जरूरत पूरी की जाएगी । राज्य की गेहूं की मांग मासिक आधार पर प्राप्त होती है और वह भी सारी पूरी की जा रही हैं ।

श्री बी० के० दासचौधरी : माननीय मन्त्री के वक्तव्य के अनुसार मूल्य कुछ केन्द्रों में अधिक है और कुछ केन्द्रों में कम है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय ने स्वयं अथवा पश्चिमी बंगाल सरकार के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया है कि खाद्यान्नों के मूल्यों में इस प्रकार के अन्तर होने के क्या कारण हैं ? क्या उत्तर बंगाल के कुछ जिलों में मूल्यों के अधिक होने का कारण सप्लाई का कम होना है ? क्या मन्त्री महोदय ने इस बारे में पता लगाया है ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्नों की सप्लाई कम नहीं है । बंगाल में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हैं । हम इस बात का विशेष ध्यान रख रहे हैं कि वहां काफी मात्रा में अनाज पहुँचता रहे । मैं यह बात राज्य सरकार के अनुमान के आधार पर कह रहा हूं । राज्य सरकार की रिपोर्ट मेरे पास है । उन्होंने भी कहा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न हैं । गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । जो कुछ भी हुई

है वह मौसमी है । शरणार्थियों के आने से कुछ केन्द्रों में मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है । परन्तु स्टाक की स्थिति बहुत सन्तोषजनक है । हम निरन्तर ध्यान रख रहे हैं ।

श्री बी० के० दास चौधरी : मूल्यों में कमी और वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : समूचे देश में प्रत्येक मौसम में कुछ परिवर्तन तो होता ही है । फसल की कटाई के बाद मूल्यों में कमी हो जाती है और कमी वाले मौसम में मूल्य बढ़ जाते हैं । यह सामान्य बात है । पश्चिमी बंगाल में इस समय शरणार्थियों का आगमन एक नया कारण है । इससे कुछ केन्द्रों में मूल्य स्थिति पर प्रभाव पड़ा है । परन्तु स्टाक की स्थिति सन्तोषजनक है । आम तौर पर मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है । यदि माननीय सदस्य को किसी केन्द्र की जानकारी है तो राज्य सरकार का ध्यान उस ओर दिला सकता हूं ताकि पर्याप्त सप्लाई की जाये ।

श्री बी० के० दासचौधरी : माननीय मंत्री ने कहा है कि कमी के मौसम में मूल्य बढ़ जाते हैं । कूच-बिहार, मालदा और उत्तरी बंगाल के कुछ अन्य जिलों में साधारण उपभोक्ताओं की कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए क्या मन्त्री महोदय इन जिलों में अनाज के कुछ रक्षित भंडार स्थापित करने पर विचार करेंगे ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : हम राज्य सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित किये हुए हैं और उत्तर बंगाल में रक्षित भंडार रखा हुआ है । फरक्का बांध के क्षेत्रों में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । इस समस्या की ओर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ध्यान दे रही है ।

डा० रानेन सेन : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि अनाज की सप्लाई के बावजूद, उन क्षेत्र में मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं जहां शरणार्थियों की संख्या अधिक है । उन क्षेत्रों में शरणार्थियों को स्थानीय बाज़ार से चावल खरीदने के लिये नकद राशि दी जाती है । ऐसी स्थिति में व्यापारी लोग मूल्य बढ़ा देते हैं । क्या सरकार को इसकी जानकारी है, और यदि हां, तो इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : मेरी जानकारी है कि खाद्यान्नों के लिए नकद राशि नहीं दी जाती है । पुनर्वास मन्त्री इसकी पुष्टि कर सकते हैं ।

डा० रानेन सेन : मालदा और दिनाजपुर में ऐसे केन्द्र हैं जहां ऐसा किया जाता है ।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : मैंने राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी और उसने तार द्वारा सूचना भेजी है कि गत वर्ष की तुलना में कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई है ।

राज्यों को लोहे की नालीदार चादरों का आवंटन

*1160. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहे की नालीदार चादरों का राज्यवार आवंटन किस प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है;

(ख) क्या सरकार विशेषतया पूर्वी क्षेत्र में, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कोई विशेष व्यवस्था करती है; और

(ग) यदि हां, तो इस विशेष व्यवस्था का स्वरुप क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (ग). लोहे तथा इस्पात की वर्तमान वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्यों को कोटे देने की प्रणाली समाप्त कर दी गई है। विभिन्न प्रकार के इस्पात के लिए, जिनमें जस्ती नालीदार चादरें भी शामिल हैं, संयुक्त संयंत्र समिति के माध्यम से उत्पादकों के पास आर्डर बुक कराये जा सकते हैं।

फिर भी, उत्पादक उन्होंने पार्टियों को प्रेषण करते हैं जिन्हें विशिष्ट प्रायोजक प्राधिकारियों की सिफारिश पर इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा प्राथमिकता प्रदान की गई होती है। इन सिफारिशों पर विचार करते समय देश के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की समस्त मांग को ध्यान में रखते हुए संघ-राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर भी समुचित ध्यान दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सोयाबीन और सूरजमुखी का आयात

*1146. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति तेलों के उत्पादन के लिए इस वर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य (विदेशी मुद्रा में) का सोयाबीन और सूरजमुखी आयात किया गया;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा के व्यय को रोकने के लिए देश में सोयाबीन और सूरजमुखी की काश्त आरम्भ कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) **1971 के दौरान आयात**

(1) पहले ही आयातीत (जनवरी-जून)

	मात्रा	कीमत	
	(मीटरीक टन)	दस लाख डालरों में कीमत और भाड़ा	दस लाख रुपयों में बीमा प्रभार
सोयाबीन का तेल	21,143	6.9333	1.116
सूरजमुखी का तेल	कुछ नहीं	—	—

(2) **आयात की व्यवस्था की जानी है (जुलाई-दिसम्बर)**

सोयाबीन का तेल	9,200	29.517	4.773
सूरजमुखी का तेल	कुछ नहीं	—	—

सोयाबीन

(ख) और (ग). गत पांच वर्षों की अवधि में देश में किये गये अनुसन्धानों के परिणाम-स्वरूप उपयुक्त अधिक उत्पादनशील किस्मों का पता लगा लिया गया है और फसलों का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम कृषि कार्यक्रमों की स्थापना में प्रगति कर ली गई है।

1968 में इन परिणामों के आधार पर सोयाबीन की चार किस्मों के 42 मीटरी टन बीज का आयात किया गया और उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय बीज निगम के तत्वाधान में इन्हें गुणित किया गया। इन संस्थाओं के अतिरिक्त 1969 के दौरान, जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय तथा कुछ राज्य सरकारों और कुछ गैर सरकारी बीज उत्पादकों ने भी गुणन कार्य किया।

वर्ष 1970-71 की अवधि में भारत सरकार द्वारा 1,70,000 रुपये की अनुमानित लागत पर उन राज्यों में जहां सोयाबीन की कृषि चालू करने की क्षमतायें उपस्थित हैं, सोयाबीन की विदेशी किस्मों के मिश्रित प्रदर्शनों के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना स्वीकृत की गई थी। 600 हैक्टार क्षेत्र को आवरित करने के लिए 1971-72 में भी इस योजना को जारी रखा जा रहा है।

वर्ष 1973-74 तक कम से कम 400,000 हैक्टार क्षेत्र को सोयाबीन की कृषि के अन्तर्गत लाने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श के साथ एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

सूरजमुखी

रूस से प्राप्त चार सूरजमुखी की किस्मों के सम्बन्ध में किये गये अनुसंधान परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि सूरजमुखी की कृषि चालू करने की अच्छी क्षमतायें उपलब्ध हैं। तदनुसार, अनु-संधान कार्यकर्ताओं की जानकारी की वृद्धि के लिए, 1971-72 के दौरान सूरजमुखी प्रदर्शनों के लिए एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, 900 हैक्टार क्षेत्र में कार्यन्वयन के लिए मंजूर कर ली

गई है। इस योजना का लक्ष्य सूरजमुखी की फसल के विकास के लिए एक क्रमबद्ध कार्यक्रम प्रारम्भ करने की दृष्टि से कृषकों की तकनीकी क्षमता का निर्माण करना है जिससे कि सूरजमुखी के उत्पादन में द्रुत वृद्धि की जा सके।

फरीदाबाद में उद्योगों को इस्पात का वितरण

* 1149. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में ऐसी घटनायें आई हैं कि फरीदाबाद में लघु उद्योग समूह के लिए इस्पात का जो कोटा संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा जिस प्रयोजन के लिए मंजूर किया गया था वह उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया है;

(ख) क्या संयुक्त संयंत्र समिति ने सम्बन्धित उद्योग समूह को इस्पात का कोटा आवंटित करने से पहले उचित जांच की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Accumulation of Coal in Coal Mines in Bihar

*1150. **Shri Atal Bihari Vajpayee**: Will the Minister of **Steel and Mines** be Pleased to state:

(a) the position in regard to coal stock accumulated in the coal mines in Bihar and its resultant effects on coal mines:

(b) whether accumulations of huge stock of coal in several mines has created hurdles in their working; and

(c) if so, the reasons therefore and the steps being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b). As on the 31st May, 1971, the pit-head stocks of coal in Bihar were about 5.02 million tonnes as against 4.30 million tonnes in the corresponding period of last year. The excessive accumulation of stocks has resulted in the curtailment of production, lay-off of workers and financial difficulties.

(c) This is mainly due to the non-availability of adequate number of wagons for the movement of coal, which in turn is due to the large-scale thefts of wagon parts, over-head wire, signalling and other railway equipment and assaults on railway staff in the Bengal-Bihar area as a result of the deteriorating law and order situation there. The Government of India is fully aware of the position and is taking steps in consultation with the State Government to improve the law and order situation and restore normalacry in the railway operations. Besides this, at the request of the Government of India, the Reserve

Bank of India, have advised all the Public Sector Banks functioning in West Bengal and Bihar that they may take a sympathetic view when considering requests for financial assistance from collieries.

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा राज्यों की आवश्यकता पूरी किया जाना

*1151. **श्री राजदेव सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम अब राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बीज सप्लाई करने के समर्थ है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं को कब तक पूरी करने में समर्थ हो जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). समय पर प्राप्त हुई मांग के अनुसार राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य सरकारों को विभिन्न फसलों के बीज सप्लाई करता रहा है। परन्तु, इस वर्ष बेमौसमी वर्षा से बीज की फसल को क्षति पहुंचने के कारण संकर बाजरे के बीजों की कुछ कमी रही है।

लाइसेंस शुदा रेलवे कुली और फेरी वाले

* 1152. **श्री शिब्बनलाल सक्सेना :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ श्रेणियों के मजदूरों जैसे लाइसेंस शुदा रेलवे कुलियों और फेरीवालों के विषय में मालिक-नौकर सम्बन्ध को सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण मामले को सुलझाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) लाइसेंस शुदा रेलवे पोर्टर और वैंडर रेलवे कर्मचारी नहीं हैं। अतः उनके और रेल प्रशासन के बीच मालिक-कर्मचारी सम्बन्ध का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उटता।

अयस्क-युक्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण

*1155. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या इस्पात और खान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में मैसूर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वी गुजरात तथा दक्षिणी राजस्थान के पर्याप्त अयस्कों वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराने का है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने का विचार है;

(ग) उक्त सर्वेक्षण के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) इस सर्वेक्षण अनुमानतः कितना व्यय होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां): (क) और (ख). संभाव्य अयस्क वाले क्षेत्रों को अवस्थापित करने के लिए देश के कतिपय भागों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा फ्रांस सरकार के संगठन अर्थात् बी० आर० जी० एम० (ब्यूरो डी रिर्चाचिज जियोलोजिक्स एण्ड मिनियर्स), पेरिस के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गये हैं। इस संविदा के अधीन, फ्रांसीसी संगठन द्वारा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर के 80,000 वर्ग कि० मी० के चयित क्षेत्रों को सम्मिलित करने की आशा है ।

(ग) प्रायोजना का 1973 के अन्त तक सम्पूरित किया जाना प्रस्तावित है । संविदा की अनुमानित कालावधि 38 महीने है जो 24-9-1970 से आरम्भ हुई है ।

(घ) इस प्रायोजना की लागत एफ० एफ० 11,583,000 (1,56,37,050 रुपए) होगी जिसमें से भारत सरकार एफ० एफ० 9,802,650 (1,32,33,577·50 रुपए) फ्रांसीसी मुद्रा में और एफ० एफ० 1,780, 350 (24,03,472·50 रुपए) की अधिशेष राशि समान भारतीय रुपयों में संदाय करेगी ।

कनाट प्लेस, नई दिल्ली के रेस्टोरेंटों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*1156. **श्री दरबारा सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लेस, नई दिल्ली, के कुछ रेस्टोरेंटों के कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है;

(ख) क्या ये कर्मचारी मजूरी बोर्ड के एवार्ड की क्रियान्विति, बकाया राशि की अदायगी सेवा शुल्क में वृद्धि, वर्दी तथा अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). दिल्ली प्रशासन के अनुसार, श्रमिकों की मुख्य मांगें मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार बकाया मजदूरी को अदायगी और सेवा शुल्क में वृद्धि के बारे में हैं । दिल्ली प्रशासन का औद्योगिक सम्पर्क तंत्र संबंधित पक्षों के साथ पहले ही अनेक बैठकें कर चुका है और वह समझौता कराने की कोशिश कर रहा है ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

*1159. **श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा किये गये आक्रमण के विरोध में 3 जून को दुर्गापुर इस्पात कारखाने के श्रमिकों द्वारा की गई एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा इस्पात कारखाने के कर्मचारियों पर किए गए कथित आक्रमण के विरोध में हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन के आहवान पर कर्मचारियों ने 3 जून, 1971 को प्रातः 6 बजे से 24 घन्टे की हड़ताल थी। कारखाने के बहुत से अनुभागों के कार्य पर इस हड़ताल का प्रभाव पड़ा था।

(ग) दुर्गापुर के पुलिस अधिकारी इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं।

Defects in Coke Oven Batteries of Bhilai Steel Plant

*1161. **Shri Narendra Singh Bist:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether production has been adversely affected in the Bhilai Steel Plant and work in some Departments has come to a standstill due to defects in Coke Oven Batteries and technical defects in some other Departments;

(b) if, So, the extent of loss suffered as a result thereof; and

(c) whether the said defects have since been removed, and if, not, the reasons for the delay and the time by which the defects are expected to be set right ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a). Production in some units of Bhilai Steel Plant has been affected since middle of May, 1971 due to breakdown in the Coke Ovens and consequent shortage of coke oven gas. There were no technical defects in other units. Productions at one of the units of the Plant came to strndstill.

(b). The extent of loss in ingot steel production is estimated at 1,04.000 tonnes.

(c). Repair/rectification work is in progress and the batteries are expected to be practically normal by about the end of July, 1971.

राजस्थान में सोयाबीन के उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन देने के लिए उसके समर्थन मूल्य में वृद्धि

*1162. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सोयाबीन की खेती के लिए जो कि आजकल बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है, बहुत उपयुक्त है;

(ख) क्या समर्थन मूल्य के कम होने के कारण बाजरा की तुलना में राजस्थान के किसान सोयाबीन की खेती को अलाभकारी अनुभव कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने, राजस्थान में किसानों द्वारा सोयाबीन की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु, सोयाबीन के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की वांछनीयता पर विचार किया है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). सोयाबीन की कृषि राजस्थान में इस वर्ष सर्वप्रथम प्रारम्भ की जा रही है । राज्य सरकार ने इस फसल के लिये 545 एकड़ क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया है । इस लक्ष्य की प्राप्ति की संभावना है, क्योंकि सभी केन्द्रों पर आवश्यक बीजों का वितरण कर दिया गया है ।

वर्ष 1971-72 की फसल के सम्बन्ध में सोयाबीन के क्रय मूल्य निर्धारण का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है । मूल्य निर्धारण के समय सभी सम्बन्धित घटकों को दृष्टि में रखा जायेगा ।

बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या के सम्बन्ध में अमरीका के विदेश विभाग के एक अधिकारी का दिल्ली आना

*1163. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये जून में दिल्ली का दौरा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अमरीका के विदेश विभाग के उक्त अधिकारी के दौरे के परिणामस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों के लिये अमरीकी सहायता की मात्रा में कोई अन्तर पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां । अमरीका के शरणार्थी तथा प्रसासन मामलों के सचिव के विशेष सहायक श्री एफ० एल० केलांग ने 23 जून से 26 जून तक भारत का दौरा किया था ।

(ख) 25 जून को जब श्री केलांग कलकत्ता के निकट शरणार्थी शिविरों का दौरा कर रहे थे तब अमरीकी राजदूतावास द्वारा एक प्रेस-विज्ञप्ति जारी की गई थी कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने पूर्वी बंगाल से भारी संख्या में शरणार्थियों के आने के कारण उत्पन्न हुई समस्या के समाधान के लिए एक करोड़ सत्तर लाख डालर (52.50 करोड रुपये) की अतिरिक्त सहायता देने का निश्चय किया है । किन्तु इस अतिरिक्त सहायता की घोषणा का श्री केलांग के दौरे से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में बिड़ला के कार्यालयों श्रौर कारखानों का पुनः खोला जाना

*1164 **श्री एम० एम० हाशिम**: क्या **श्रम श्रौर पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों की कतिपय यूनियनों और एसोसियेशनों ने सरकार से अनुरोध किया है कि बिड़ला बन्धुओं के उन कार्यालयों और कारखानों को पुनः खुलवाया जाय जो फरवरी, 1970 से बंद पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसे कार्यालयों और कारखानों के नाम क्या हैं ?

श्रम श्रौर पुनर्वास मन्त्री (श्री श्रार० के० खाडिलकर): (क) जी, हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार विभिन्न स्तरों पर कई गोष्ठियां हुई हैं परन्तु वे अब तक अनिश्चायक हैं । तथापि, राज्य के प्राधिकारियों की ओर से, बन्द एककों को पुनः खुलवाने के लिए, प्रयत्न जारी हैं ।

(ग) पूर्ण सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी ।

रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम में लगाई गई मशीनों का धंस जाना

*1165. **श्री बी० नारायणन्**: क्या **इस्पात श्रौर खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रांची स्थित भारी इंगीनियरिंग निगम में लगाई गई मशीनें भूमि में धंस रही है;

(ख) क्या इस स्थान का चयन करने से पूर्व भूमि का परीक्षण नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस चूक के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात श्रौर खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज़ खां): (क) जी, नहीं ।

(ख) स्थान का चयन करने से पहले भूमि का परीक्षण किया गया था ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

छोटे किसानों को लाभ देने के लिये वसूली नीति

*1166. **श्री राम सहाय पाण्डे :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध किया है कि वह अपनी वसूली नीति इस प्रकार बनाये कि छोटे किसान अपने उत्पाद पर अधिक लाभ अर्जित कर सकें;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या निदेश दिये गये हैं; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में इन निदेशों की क्रियान्विति किस प्रकार की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) सरकार की नीति उत्पादकों द्वारा निर्दिष्टियों के अनुरूप बिक्री के लिए पेश किए गये सभी खाद्यानों की सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्य पर खरीदारी करने की है । लेकिन भारतीय खाद्य निगम सीधी खरीदारी के क्षेत्र को बढ़ाने का विचार रखता है ताकि विशेषकर छोटे किसानों को अधिप्राप्ति अथवा साहाय्य मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके । छोटे किसानों को उनकी पैदावार के लिए अधिक मूल्य देने का कोई भी विचार नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

पंजाब और हरियाणा में खुले माल डिब्बों में लादा गया गेहूं

*1167. **श्री विरेन्द्र सिंह राव :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई और जून, 1971 के दौरान हरियाणा और पंजाब के विभिन्न भागों में गेहूं की बोरियां खुले माल डिब्बों में लादी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से बहुत से वैगन साहिब गंज और भागलपुर स्टेशनों के लिए अमृतसर और दखतनवाला से बुक किये गये थे और किसी ने उनको अभी तक छुड़ाया नहीं है और उनमें से बदबू आ रही है और वे वाडला के बी० पी० टी० यार्ड में खड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है जिन्होंने इस वर्षा ऋतु में गेहूं की बोरियों को खुले माल डिब्बों में लादा था और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) साहिब गंज और भागलपुर के लिए अमृतसर । भगतांवाला में 51 माल डिब्बों की एक स्पेशल गाड़ी में लदान किया गया था । मुगलसराय के आगे परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण इस स्पेशल गाड़ी को वाडला (बी० पी० टी रेलवे) की ओर भेज दिया गया था । ये माल डिब्बे 19-6-1971 को वाडला स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपो में पहुंच गये थे और 19/20-6-1971 को इनसे माल उतारा गया था । गेहूं के बोरों को नाम मात्र की क्षति पहुंची थी ।

(ग) ढके माल डिब्बों की पर्याप्त उपलब्धि न होने के कारण खुले माल डिब्बों में गेहूं का लदान करना कुछ हद तक अपरिहार्य हो जाता है क्योंकि अधिप्राप्त स्टाक की अधिक से अधिक मात्रा को भेजना आवश्यक होता है । तथापि जब कभी खुले माल-डिब्बों में लदान किया जाता है तब खाद्यान्नों की क्षति को रोकने के लिए तिरपालों से खाद्यान्नों के बोरों को ढकने, मार्ग-रक्षक की व्यवस्था करने आदि जैसे विशेष उपाय किये जाते हैं ।

परिवहन सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण हरियाणा में गेहूं को क्षति

*1168. **श्री शशि भूषण** :
श्री नरसिंह नारायण पांडे :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस खबर की ओर दिलाया गया है कि हरियाणा में अब तक वसूल किये गये लगभग सात लाख टन गेहूं में से लगभग चार लाख टन गेहूं खुले में पड़ा है और जिसके वर्षा में खराब हो जाने का भय है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस स्थिति से परिचित करवाया गया था और उससे अनुरोध किया गया था कि वह गेहूं को वहां से अन्य स्थानों पर भेज दें ताकि वह खराब न हो;

(ग) क्या रेलवे विभाग ने हरियाणा सरकार से कहा था कि इस गेहूं को पहले जगाधरी सेक्शन ले जाया जाये जहां से रेलवे उसे पाने वाले राज्यों को भेज सके;

(घ) क्या इससे अनावश्यक अत्यधिक और विलम्ब होगा; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) हरियाणा में 5-7-1971 तक 6,92,324 मीटरी टन गेहूं की अधिप्राप्ति की गयी है जिसमें से लगभग 2,47,000 मीटरी टन गेहूं को खुले में रखा गया है । यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा सारी सावधानी बरती गयी है कि खुले में अस्थायी तौर पर रखे गए स्टाक को ठीक तरह ढक कर रखा जाए ताकि क्षति को रोका जा सके ।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्थिति से अवगत है । खाद्य निगम और रेलवे हरियाणा सरकार के परामर्श से खुले में रखे स्टाक को इधर उधर भेजने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ।

(ग) और (घ). व्यस्ततम अधिप्राप्ति मौसम के दौरान भारी मात्रा के संचलन की व्यवस्था करनी पड़ती है और उन स्टेशनों से जहां स्पेशल गाड़ियों को चलाने की सुविधाएं हैं वहां स्पैशल गाड़ियां चला कर ही केवल ऐसा किया जा सकता है । उत्तरी रेलवे, हरियाणा सरकार और भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से उपयुक्त स्टेशनों का चुनाव किया गया था । स्पैशल गाड़ियां भरने के लिए तयशुदा 32 स्टेशनों में से जगाधरी एक स्टेशन था । जगाधरी स्टेशन से केवल

उपयुक्त दूरी में पड़े अनाज को ही स्पैशल गाड़ियों में लादे जाने की आशा है और न कि हरियाणा में खुले में पड़े अनाज को लादा जाना है। यह निस्सन्देह सत्य है कि किसी विशिष्ट स्टेशन से गेहूं भेजने से सड़क परिवहन पर कुछ अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन इन खर्चों का स्पैशल गाड़ियों में लदान द्वारा शीघ्र संचलन सुनिश्चित कर जोकि केवल चुनीदा स्टेशनों पर ही सम्भव है, हिसाब लगाना होगा। स्पैशल गाड़ियों में लदान कर संचलन में विलम्ब रोका जाता है और शीघ्र संचलन के हित में यह समझा जा रहा है कि चुनीदा स्टेशनों को सड़क संचलन करने में कुछ अतिरिक्त खर्चा जायज़ है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि अनुसंधान कार्य सौंपे जाने पर राज्यों द्वारा असन्तोष प्रकट किया जाना

*1169. **श्री अमर नाथ चावला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि अनुसंधान कार्य सौंपे जाने पर असन्तोष प्रकट किया है;

(ख) क्या राज्यों द्वारा इस प्रकार असन्तोष व्यक्त किये जाने से धन तथा जन-शक्ति का अपव्यय हुआ है;

(ग) यदि हां, तो किन राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव पर असन्तोष व्यक्त किया है; और

(घ) सरकार का विचार इस दिशा में क्या ठोस कार्यवाही करने का है जिससे कि कृषि अनुसंधान कार्य जन-हित के लिये सुचारू रूप से चल सके ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क), (ख) तथा (ग). राज्य भर में कृषि अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार शिक्षा का उत्तरदायित्व सामान्यतः कृषि विश्वविद्यालयों पर रहना चाहिये। किन्तु कुछ राज्य सरकारों ने कृषि अनुसंधान का सारा कार्य कृषि विश्वविद्यालयों को नहीं सौंपा है, यद्यपि विश्वविद्यालय अधिनियम में इस सम्बन्ध में निश्चित व्यवस्था मौजूद है। कुछ मामलों में, जहां कि क्रमिक हस्तान्तरण को स्वीकार कर लिया गया है वहां इसकी प्रक्रिया काफी लम्बी है। अतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् इन राज्यों पर इस अन्तरण के मामले में जोर दे रही है, जिसका कुछ मामलों में विरोध भी किया गया है, जिन राज्यों में सम्पूर्ण राज्य का अनुसंधान कार्य कृषि विश्वविद्यालयों को हस्तान्तरित नहीं किया गया है, वहां पर विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित विभाग के कार्य में निरर्थक द्विरावृत्ति तथा समन्वय का अभार रहता है। इस द्विवरावृत्ति के फलस्वरूप धन का भी कुछ अपव्यय हो रहा है और नमग्र रूप से समस्त राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षित मानव शक्ति के सदा उपयोग में भी यह सहायक नहीं है।

असम कृषि विश्वविद्यालय तथा उड़ीसा कृषि और टेक्नोलौजी विश्वविद्यालय अधिनियमों में कृषि विश्वविद्यालयों को समग्र राज्य के अनुसंधान कार्यों के हस्तान्तरण की व्यवस्था है।

राजस्थान सरकार ने समग्र राज्य के कृषि अनुसंधान कार्य को क्रम-बद्ध रूप से उदयपुर विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित करना स्वीकार कर लिया है। यद्यपि गत दो कृषि विश्व-विद्यालय 8 वर्ष की अवधि से कार्य कर रहे हैं फिर भी हस्तान्तरण की प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है ।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विश्वविद्यालय अधिनियम के सम्बन्धित उपबन्धों के शीघ्र कार्यान्वियन के लिये राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर विचार करती रहेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं की स्थापना में कृषि तथा पशु-पालन विभागों की अपेक्षा कृषि विश्वविद्यालयों को वरीयता प्रदान करेगी बशर्ते कि वे पात्रता की अन्य शर्तों को पूर्ण करते हों। इसी प्रकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शीघ्र हस्तान्तरण के लिये कृषि विश्वविद्यालयों को विकसित करने की दृष्टि से राज्यों को सहायक अनुदानों के रूप में आवश्यक प्रोत्साहन देती रहेगी। यदि इन प्रयासों के फलस्वरूप वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ तो सरकार इस मामले को ठीक करने तथा निरर्थक द्विवरावृत्ति से बचते हुये विनियोजित संसाधनों से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिये किन उपायों को अपनाया जाये, इस प्रश्न पर विचार करेगी ।

रुरकेला इस्पात कारखाने में हताहत श्रमिक

*1170. **श्री आर० वी० बड़े :**
डा० लक्ष्मीनारायण पांडे :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 27 जून, 1971 को कुछ शरारती लोगों ने रूरकेला इस्पात कारखाने के तीन श्रमिकों को छुरा घोंप दिया था;

(ख) क्या इस घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी;

(ग) क्या इस घटना के कारण रूरकेला इस्पात कारख़ाने में अशान्ति पैदा हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) अब तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है परन्तु पुलीस अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है ।

खाद्यान्न की हानि को रोकने के लिये सरकारी व्यवस्था का पुनर्गठन

4871. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार सरकारी व्यवस्था को किसानों के हित में काम करने के लिए पुनर्गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इसके कुप्रबन्ध के कारण गेहूं के भंडार नष्ट हो जाते हैं और सरकार को प्रति-वर्ष भारी हानि होती है; और

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम किसानों से कम दर पर गेहूं खरीद कर अधिक दरों पर बेचता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ्रण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम, जो कि सरकार की अधिप्राप्ति करने वाली एजेंसी है, गेहूं के लिए भारी साहाय्य मूल्य देकर किसानों के हित में कार्य कर रहा है और उसने कुल मिला कर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों को उत्पादक के लिए सुनिश्चित करने में मदद की है। सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि अधिप्राप्ति कार्य किसानों के लाभ के लिए होना चाहिए और इसके लिए वह कार्यविधि अथवा संगठन में यथा आवश्यक कोई भी परिवर्तन करने के लिए भी तैयार होगी। लेकिन यह समझा जाता है कि फिलहाल इस प्रकार के किसी भी पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं है और सरकार निगम के ढांचे के किसी पुनर्गठन के संबंध में विचार नहीं कर रही है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम उचित औसत किस्म के गेहूं को 76 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिप्राप्त करता है और 78 रुपये प्रति क्विंटल के निर्गम मूल्य पर बेचता है । ये मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं ।

गुजरात तथा अ्रन्य राज्यों में खाद्य तेल बीजों का उत्पादन अ्रौर अ्रारक्षित कोटा

4872. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में खाद्य तेल बीजों के उत्पादन की प्रतिशतता क्या है;

(ख) कुल उत्पादन में से कितने प्रतिशत खाद्य तेल गुजरात राज्य के लिये राज्य के उपयोग हेतु आरक्षित किया जाता है और उसमें अन्य राज्यों का कोटा कितना है;

(ग) खाद्य तेल बीजों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या गुजरात के लिये खाद्य तेल का अधिक कोटा रक्षित करने का सरकार का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) गुजरात तथा अन्य राज्यों में 1969-70 के दौरान मूंगफली, तिल्ली और तोरिया तथा सरसों आदि प्रमुख खाद्य, तिलहनों के उत्पादन और अखिल-भारतीय उत्पादन में प्रतिशत शेयरों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) गुजरात और अन्य राज्यों में उपयोग के लिए कोई ऐसा आरक्षण नहीं किया जा रहा है परन्तु गुजरात सरकार ने राज्य के निर्धन वर्ग के उपभोक्ताओं में वितरण करने के लिए खुले बाजार से 24,524 मीटरी टन मूंगफली का तेल खरीदा है।

(ग) खाद्य तिलहनों की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये उठाए गए कदमों से देश के प्रमुख तिलहनों और सोयाबीन तथा सूरजमुखी जैसे अपरम्परागत तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्न, तेल प्रदाय को बढ़ाने के लिए वृक्षों से प्राप्त होने वाले लघु तिलहनों, बिनौले तथा चावल की भूसी के उपयोग, यथासम्भव मात्रा में तिलहनों और तेलों का आयात करसे घरेलू सप्लाई को बढ़ाने और तिलहनों तथा तेलों के बैंक ऋण, सट्टे और निर्यात व्यापार को विनियमित करना शामिल है।

(घ) ऐसा कोई कोटा निर्धारित नहीं किया जा रहा है, अतः यह प्रश्न ही नहीं होता।

गुजरात तथा अन्य राज्यों में खाद्य तिलहनों के उत्पादन और अखिल भारतीय उत्पादन में उनके प्रतिशत शेयर के अनुमान

राज्य/संघ क्षेत्र	खाद्य तिलहनों का उत्पादन (हजार मीटरी टन में)				सकल अखिल-भारतीय उत्पादन में प्रतिशत शेयर			
	मूंगफली †	तिली ψ	तोरिया तथा सरसों*	सकल खाद्य तिलहन	मूंगफली	तिली	तोरिया तथा सरसों	सकल खाद्य तिलहन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
आंध्र प्रदेश	1063.4	54.9	0.2	1118.4	20.7	12.7	..	15.8
असम (मेघालय सहित)		4.7	51.6	56.3		1.1	3.4	0.8
बिहार	3.0	8.3	39.6	50.9	0.2	1.9	2.6	0.7
गुजरात	1106.2	29.2	11.7	1147.1	21.6	6.7	0.8	16.2
हरियाणा	9.6	0.4	78.0	88.0	0.2	0.1	5.2	1.3
हिमाचल प्रदेश	2.0	1.8	1.0	4.8	..	0.4	0.1	0.1
जम्मू तथा कश्मीर	1.2	1.3	21.4	23.9	..	0.3	1.4	0.3
केरल	19.3	3.8		23.1	0.4	0.9		0.3
मध्य प्रदेश	285.9	62.0	46.7	394.6	5.6	14.3	3.1	5.6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
महाराष्ट्र	614.7	36.0	0.7	651.4	12.0	8.3	0.1	9.2
मैसूर	509.7	18.5	1.6	529.8	9.9	4.3	0.1	7.5
उड़ीसा	83.3	38.7	21.3	143.3	1.6	8.9	1.4	2.0
पंजाब	159.5	4.2	36.1	199.8	3.1	1.0	2.4	2.8
राजस्थान	98.7	20.9	85.1	204.7	1.9	4.8	5.6	2.9
तमिल नाड़	910.2	37.8	0.1	948.1	17.7	8.7	..	13.4
उत्तर प्रदेश	260.5	104.6	1075.4	1440.5	5.1	24.2	71.4	20.4
पश्चिमी बंगाल	..	4.9	35.3	40.2	..	1.1	2,3	0.6
संघ राज्य	2.9	1.1	1.6	5.6	0.2	0.3	0.1	0.1
अखिल भारत	5130.1	433.1	1507.3	7070.5	100.0	100.0	100.0	100.0

† 1969-70 के लिए आंशिक रूप से संशोधित अमुमान।

ψ 1969-70 के अन्तिम अनुमान।

* कुछ नहीं या नाममात्र।

अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश में कन्टूर बन्डिग

4873. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 के लिये आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में कन्टूर बन्डिग के लिए कितनी धन राशि मंजूर की गई है; और

(ख) इस राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

काजू की खेती वाले क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए आँध्र प्रदेश को केन्द्रीय सहयोग।

4874. **श्री बी० एम० मूर्ति :** क्या कृषि मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार को काजू की खेती वाले क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु कितनी वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी गई है; और

(ख) क्या कुछ नई किस्मों का विकास करके उनको प्रयोग में लाया गया है; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) भारत सरकार नए क्षेत्रों में काजू उगाने हेतु काजू की गुटी के उत्पादन के लिए आन्ध्र प्रदेश की सरकार को वित्तीय सहायता दे रही

है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लगभग 0.37 लाख रु० के परिव्यय से 30,000 गुटियों का उत्पादन करने का कार्यक्रम है जिनसे 300 एकड़ भूमि में बुवाई हो सकती है ।

जहां तक तकनीकी सहायता का सम्बन्ध है एर्नाकुलम से भारत सरकार का काजू विकास निदेशालय और केन्द्रीय पौदरोपण फसल अनुसंधान संस्थान, केसरगोड राज्य सरकारों की आवश्यक सहायता देते हैं ।

(ख) अभी तक किसी नई किस्म का विकास नहीं किया गया है । फिर भी कुछ उन्नतशील सामग्री की, (जिसमें कुछ चुनी हुई किस्में और संकर किस्में शामिल हैं) काजू अनुसंधान केन्द्र वपतला में जांच की जा रही है ।

आसाम में इस्पात का वितरण

4875. **श्री राबिन ककोटी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेघालय बन जाने के बाद आसाम के इस्पात कोटे में भारी कमी की गई हैं;

(ख) क्या इस्पात की कमी के कारण आसाम के वर्तमान औद्योगिक कारखानों को हानि हो रही है; और

(ग) क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उसका इस्पात का कोटा कम न करने का अनुरोध किया है और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) वर्तमान वितरण प्रणाली के अन्तर्गत "कोटे" के आवंटन की प्रणाली समाप्त कर दी गई है । कोई भी मांगकर्ता अपने वास्तविक प्रायोजनों के लिए लोहे और इस्पात की आवश्यकताओं के लिए अपने मांगकर्ता संयुक्त संयंत्र समिति को भेज सकता है । मांग-पत्रों के आयोजन तथा वर्क्स/सेल आर्डर जारी हो जाने के पश्चात वह प्राथमिकता के लिए आवेदन कर सकता है तथा प्रेषण इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा किये गये प्राथमिकता आवंटन के अनुसार किये जाते हैं ।

(ख) इस्पात की सामान्य कमी होने के कारण देश के सभी भागों में (आसाम भी शामिल हैं) औद्योगिक इकाइयों को कुछ बाद तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस्पात का कोटा कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

आधुनिक बीजों तथा उर्वरकों के उपयोग के संबंध में किसानों को प्रशिक्षण

4876. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुधरे हुए बीजों तथा उर्वरकों के उपयोग के बारे में छोटे किसानों को प्रशिक्षण देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). कृषकों के प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए 100 चुनिंदा अधिक उत्पादनशील किस्म कार्यक्रम जिलों में एक केन्द्रीय आयोजित योजना मंजूर की गई है ताकि छोटे और बड़े कृषकों को संस्थानीय और गैर संस्थानीय प्रशिक्षण द्वारा सिफारिश की गई पेकेज प्रणालियां अपनाने में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाये।

गैर संस्थानीय प्रशिक्षण में विषय विशेषज्ञों द्वारा किये गये राष्ट्रीय प्रदर्शन कृषक प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनमें फसल के महत्वपूर्ण कार्यों के समय पड़ौसी गांवों के कृषक भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त श्रुत दृश्य साधनों। की सहायता से उत्पादन तथा प्रदर्शन प्रशिक्षण शिविरों का विचरण करने वाले दल अधिक उत्पादनशील किस्मों की फसलों का कृषकों के खेतों में संगठन करते हैं। सामूहिक विचार विमर्श के लिये गांवों में कृषक विचार विमर्श दलों का संगटन किया गया है और सुधरी प्रणालियों को अपनाने के लिये सामूहिक निर्णय लिये जाते हैं और उनका आकाशवाणी के "फार्म और गृह प्रसारण" से संपर्क जोड़ा गया है। यथा सम्भव कृषकों को जिले के अन्तर्गत और साथ लगते क्षेत्रों में उन्नत फार्मों और कृषि संसाधनों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के बने बनाये रूप में, भ्रमण करने की सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।

कृषकों की विशेष जरूरतों को विषय विशेष के लघु कालीन पाठ्यक्रमों द्वारा जैसे बीज, उर्वरक, कृषि मशीनरी, पौद संरक्षण, जल उपयोग आदि, पूरा किया जाता है। यह पाठ्यक्रम कृषि विश्वविद्यालयों / अनुसंधान केन्द्रों / कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित किये जाते हैं जहां विशेषज्ञ और अन्य सुविधायें उपलब्ध हों। संयोजकों और विचार विमर्श मंडलों के लिये विशेषज्ञ संस्थानीय पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि उन्हें सफल मंडल कार्यों के लिये तरीकों का प्रशिक्षण दिया जा सके।

उन जिलों में, जहां छोटे कृषक विकास एजेन्सी और सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक विकास की नई परियोजनायें आरम्भ की जा रही हैं वहां भी कृषक प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

गुजरात में तम्बाकू कूटने का संयंत्र लगाया जाना

4877. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात देश में तम्बाकू पैदा करने वाले राज्यों में से एक है और इसलिये गुजरात राज्य में तम्बाकू कूटने का संयंत्र लगाया जाना आवश्यक है;

(ख) क्या तम्बाकू विकास परिषद ने गुजरात में तम्बाकू कूटने का संयंत्र लगाने की सिफारिश की है या इस संयत्र को लगाने के लिये स्थान के बारे में बातचीत की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। किन्तु राज्य में उत्पादित 70 प्रतिशत तम्बाकू बीड़ियों के लिये ही उपयुक्त है। सिगरेट बनाने के लिये प्रयोग आने वाले तम्बाकू की गहाई मशीन से होती है, जबकि बीड़ी बनाने के लिये प्रयोग में आने वाले तम्बाकू को कूट कूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है। गुजरात में तम्बाकू के वर्तमान उत्पादन स्तर के आधार पर राज्य में तम्बाकू के लिये एक गहाई संयंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में बड़े वेतन वाले पदों का बनाया जाना

4878. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची को प्रति वर्ष हानि हो रही है, उक्त कारपोरेशन में अधिक वेतन वाले ऐसे नये पद बनाये जा रहे हैं जिन पर नियुक्ति सरकार के अनुमोदन से होती है, और अन्य पदों का दर्जा बढ़ाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में ऐसे कितने पद बनाये गए तथा कितने पदों का दर्जा बढ़ाया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). कम्पनी में समय-समय पर वास्तविक आवश्यकताओं को देखते हुए पदों को बनाया अथवा उनका दर्जा बढ़ाया जाता है। यह कम्पनी के कार्यों में सुधार करने की दृष्टि से कम्पनी के उच्च प्रबन्धक-वर्ग के पुनर्गठन की योजना का एक अंग है। 1-1-68 से लेकर आज तक जितने पद बनाये गये है अथवा जिनका दर्जा बढ़ाया गया है और जिन पर नियुक्ति के लिए सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक है का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्रम सं.	पद नाम	वेतन	नया बनाया गया अथवा दर्जा बढ़ाया गया	टिप्पणी
		रुपए		
1968				
1	निदेशक (समन्वय)	3000 (निश्चित)	नया बनाया गया	यह पद 30-4-69 तक रहा इसके बाद इसे उपाध्यक्ष के पद में बदल दिया गया।

1969				
1	उपाध्यक्ष	3000-125 3500	नया बनाया गया	यह पद अभी आस्थगित रखा गया है ।
1970				
1	निदेशक (वित्त)	3000-125 3500	दर्जा बढ़ाया गया	2500-100-3000 के वेतन मान को 1-1-70 से 3000-125-3500 रुपए किया गया है परन्तु यह वेतनमान वर्तमान पदधारी के लिए हैं जिसका कार्यकाल 31-12-71 तक है ।
1971				
1	निदेशक (तकनीकी)	2500-100 3000	नया बनाया गया	उपाध्यक्ष के आस्थगित पद के बदले यह नया पद बनाया गया ।
2	प्रबन्ध निदेशक	3000-125 3500	नया बनाया गया	

Enquiry into Mal-Practices by Agro-Industries Corporation Patna in supply of Tractors on Priority Basis

4879. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether there is great bungling in the supply of tractors to farmers on priority basis by the Agro-Industries Corporation, Patna and as a result thereof farmers applying late are able to get tractors by offering bribes and those farmers who had applied and completed all the formalities earlier are deprived of tractors;

(b) if so, the action taken by Government so far to check such mal-practices and the outcome thereof;

(c) whether Government propose to conduct an enquiry into the matter vis-a-vis the working of the said Corporation for the last 3 years; and

(d) if so, by what time, and if not, the reasons therefor ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh): (a). No, Sir. The imported tractors are supplied by the Bihar State Agro-Industries Development Corporation to the farmers on the basis of 'first come first served'. However, in certain cases where the tractors have been allotted to farmers and were not lifted by them for want of finance or otherwise, these were offered to farmers next to them in the list.

According to the information furnished by the Bihar Agro-Industries Corporation out-of-turn allotments are also made by it according to the norms approved by its Board of Directors. Cooperative Societies, educational institutions, un-employed engineers and Agricultural Graduates are eligible for such allotment. Besides these, a special quota of 1% of imported tractors has been reserved for progressive farmers, undertaking Custom Services

or intensive development in particular areas. Out-of-turn allotments are made by a Standing Committee, consisting of the Chairman, Vice-Chairman and three other Directors of the Board of Directors of the Corporation.

(b) to (d). Do not arise.

तराई विकास निगम और कृषि उद्योग निगम द्वारा बेची जाने वाली कृषि संबंधी मशीनों के विक्रय मूल्य में अन्तर

4880. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तराई विकास निगम द्वारा कृषि के काम आने वाले आयातित ट्रेक्टर फसल काटने वाले तथा अन्य आयातित मशीनें कृषि उद्योग निगम द्वारा बेची जाने वाली मशीनों से सस्ती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस अन्तर के कारण क्या हैं और इस अन्तर को दूर करने के लिए मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). तराई विकास निगम तथा उत्तर प्रदेश राजकीय कृषि-उद्योग निगम दोनों द्वारा अब तक बेचे गये सामान्य आयातित ट्रैक्टरों का मेक फोर्ड-3000 है । उत्तर प्रदेश राजकीय कृषि-उद्योग निगम द्वारा बेचे गये ट्रैक्टर की तुलना में तराई विकास निगम द्वारा बेचे गये ट्रैक्टर का मूल्य कम है । जहां तक तराई विकास निगम का सम्बन्ध है आयातित ट्रैक्टर 'न लाभ न हानि' के आधार पर कृषक शेयरधारियों को सप्लाई किये जाते हैं तथा शेयरधारियों को निगम द्वारा सेवाई सुविधायें सप्लाई की जाती हैं । उत्तर प्रदेश राजकीय कृषि-उद्योग निगम द्वारा बेचे गये फोर्ड-3000 ट्रैक्टर एस० के० डी० स्थिति में आयातित किये जाते हैं और सर्वश्री एस्कोर्ट ट्रैक्टर लिमिटेड द्वारा जोड़े जाते हैं । जुड़ाई के पश्चात् हुये वास्तविक व्यय को दृष्टि में रखते हुए इन ट्रैक्टरों का मूल्य निर्धारित किया जाता है तथा फर्म को कमीशन की अनुमति होती है और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राजकीय कृषि-उद्योग निगमों को भी विक्रय कमीशन की अनुमति होती है । इन कारणों से इन दो निगमों द्वारा बेचे गये फोर्ड 3000 ट्रैक्टरों के मूल्यों में भिन्नता मौजूद है ।

Social Institutions at Village Level

4881. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether in order to bring about salutary changes in the social life of rural people and for the development of rural life in the country, Government propose to develop such social institutions at village level which may help in fostering a new culture and awakening in the life of the common people;

(b) if so, whether any such scheme is likely to be implemented during the Fourth Five Year Plan period; and

(e) if so, the nature of the scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh: (a) (b) & (c). The programme of Community Development was launched primarily with a view to bring about salutary changes in the social and economic life of rural people and for all round development of rural communities. A multi-disciplinary team relevant to the principal factes of integrated rural development was provided to each of the Community Development Blocks, and peoples' participation to the effort institutionalised through the Panchayati Raj set up. The infra-structure at the village level responsible for the implementation of the socio-economic programmes has been a large number of voluntary associate institutions called Yuvak Mandals, Mahila Mandals, etc. To encourage their activities in the various economic, social, cultural, and other fields, incentive awards are given to these associate institutions on the basic of outstanding work. There also are schemes of leadership development through training programmes both for youth and women. These programmes of incentives and training are part of the Plan effort to rejuvenate village life.

वन्य पशुओं के लिए भारतीय बोर्ड की सिफारिशें

4882. **श्री रामचन्द्र कडनापल्ली :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य पशुओं के लिये भारतीय बोर्ड ने वन्य पशुओं के संरक्षण के लिये राज्य सरकारों द्वारा विशेष विधि बनाये जाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी, हां

(ख) महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा दमन-दीव और मैसूर की सरकारों ने वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाए हैं। अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने उत्तर दिये हैं कि इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। भारतीय वन्य प्राणि मण्डल की कार्यकारी समिति राज्य सरकारों के साथ इस विषय में बात-चीत कर रही है।

Reported Complaint by Bihar Govt. *re*-Non-Implementation of Labour Policies by Public Undertakings in Bihar

4883. **Shri Jagannathrao Joshi:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Bihar Government have complained to the Centre that the public sector undertakings located in Bihar are not co-operating with the State Government in implementing the labour policies of the State; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) & (b). Recently, there was a complaint from the Government of Bihar against Heavy Engineering corporation Limited, Ranchi, having gone to Court over differences in interpretation of

a clause in the agreement between management and workers, relating to payment of dearness allowance. However, the issue has since been resolved out of Court through negotiations between the management and the workers.

नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बेलूर हावड़ा का बन्द होना

4884. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल आयरन एंड स्टील कम्पनी, बेलूर, हावड़ा अब भी बन्द है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस कम्पनी को पुनः खोलने का कोई प्रयास किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) स्टील री-रोलिंग मिल्स एसोसियेशन, जिसकी यह फर्म सदस्य है, के अनुसार 1965-67 के दौरान व्यापक मन्दी, इस्पात अनुभागों के मूल्य कम होने, आर्डरों-विशेषतया रेल डिब्बे बनाने के आर्डरों की कमी तथा श्रमिक समस्याओं के कारण जनवरी 1968 में यह कारखाना बन्द हो गया था। इस कारखाने को मई 1969 में फिर से खोला गया परन्तु इसे पूरी तरह नहीं चलाया जा सका। चूंकि यह कम्पनी मजदूरों तथा कर्मचारी-वर्ग की छंटनी नहीं कर सकी अतः इसे घाटा होता रहा और अंत में अक्तूबर 1970 में यह बंद हो गई।

(ग) एसोसियेशन के अनुसार इस कारखाने को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (इन्डस्ट्रियल री-कन्सट्रक्शन कारपोरेशन आफ इन्डिया) तथा मेसर्स गाडर्न रीच वर्कशाप्स के तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग से इसे फिर से खोलने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। भारत सरकार को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

सिंचाई की सुविधाओं के लिए बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को विशेष सहायता

4885. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को उन क्षेत्रों में सिंचाई सम्बन्धी सुविधाएं देने के लिए विशेष सहायता दी है जहां सूखा की स्थिति अभी भी व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्यों में से प्रत्येक को कितनी राशि दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). ग्राम निर्माण कार्यक्रम एक ऐसा विशेष कार्यक्रम है जो चौथी योजना अवधि में आरम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य सारे देश के निरन्तर रूप से सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के लिए उत्पादनशील और श्रम प्रधान योजनाएं आरम्भ करना है। इस कार्यक्रम के अधीन मध्यम और लघु सिंचाई कार्यों में प्रथम अग्रता और मृदा

संरक्षण, वनारोपण और संचार सुविधाओं को अग्रता दी गई है। अभी 13 राज्यों में 54 जिले निरन्तर सूखा ग्रस्त माने गये हैं। चौथी योजना की अवधि में इनमें से प्रत्येक जिले को 2 करोड़ रुपये नियत किए जाएंगे। इनमें से 3 जिले बिहार में 6 उत्तर प्रदेश में और 10 राजस्थान में हैं। इन तीन राज्यों में 1970-71 में, जो कार्यक्रम का प्रथम वर्ष का, लघु सिंचाई योजनाओं के लिए और कुछ जिलों के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए मंजूर की गई राशि इस प्रकार है :—

रुपये लाखों में

राज्य	(मंजूर की गई रकम)	
	1970-71	1971-72
बिहार	1.00	10.00
राजस्थान	117.08	—
उत्तर प्रदेश	27.50	184.56

Alleged Shortage of Food and other Articles for Refugees from Bangla Desh

4886. **Shri Oakar Lal Berwa**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the Government are aware that in the report of U. N. Committee on Bangla Desh refugees in India, it has been pointed out that there is a shortage of food and other articles for them; and

(b) if so, the action taken by Government on this report ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar): (a) & (b). Presumably, the Hon. Member is referring to the report of the U. N. Team headed by Mr. Charles Mace, U. N. Deputy High Commissioner for Refugees, which visited India in May last to make an on-the-spot assessment of the problems of refugees from East Bengal. The report submitted by this Team to the Secretary-General, United Nations, is in the nature of survey of a background of the situation regarding East Bengal refugees. An estimate of our requirements of food-grains, shelter, medicines, etc., which were needed to provide relief to the refugee population estimated at the time of the visit of the Team at 3 millions also form a part of the report. Although the Team has not made any specific reference in regard to shortage of food and other articles, they have concluded that evidently there is great need for every possible assistance that can be extended by the United Nations, individual Governments etc., to meet the situation.

क्विलोन में काजू के छिलके से तेल निकालने के लिए अनुसंधान संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव

4887. **श्री सी० के० चन्द्राप्पन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने काजू के छिलके के तेल के नये प्रयोगों तथा उपयोगिता का पता

लगाने के लिए क्विलोन में अनुसंधान संस्था स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की थी; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) केरल सरकार से ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(क) केरल सरकार से ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख), (ग) तथा (घ). प्रश्न ही नहीं होता।

पंजिम में हुए कृषि मेले से सम्बन्धित वित्तीय अनियमिततायें

4888. **श्री इराज्यूद सेकेरा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दीव में पंजिम में हुए कृषि मेले से सम्बन्धित वित्तीय अनियमितताओं के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : पंजिम में हुए कृषि मेले से सम्बन्धित वित्तीय नियमितताओं के बारे में कुछ लेखा-अपत्तियों का संघ रांज क्षेत्र गोआ, दमन और दीव ने पहले ही समाधान कर दिया है। शेष आपत्तियों को निपटाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का उपयोग

4889. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं के उपयोग के परिणामस्वरूप मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों में पूर्ति की स्थिति में कितना सुधार हुआ है; और

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा अपेक्षित आयातित वस्तुओं के नाम क्या हैं ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) अब तक आयात की जाने वाली जिन मदों के बारे में स्वदेशी उत्पादन स्थापित कर दिया गया है, वहां सामान्यतया पूर्ति की स्थिति में सुधार हो गया है। ऐसा विशेषकर मिट्टी हटाने के भारी उपकरणों और मशीनों के बहुत से फालतू पुर्जों, कण्डक्टर केबलों, ट्रेलरों, अपकेन्द्री और टर्बाइन पम्पों के लिए इम्पैलों, मिलिंग और टर्बाइन पम्पों, मिलिंग मशीनों, परीक्षण उपकरणों, कण्डोमों आदि के मामलों में हुआ है।

(ख) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा आयात की जा रही मदों की एक प्रमुख वर्ग-वार सूची-संलग्न है।

"विवरण"

क्रम संख्या	मद
1.	वस्त्र (सूत और रेशा)
2.	कागज और कागज उत्पाद
3.	रबड़ और रबड़ उत्पाद
4.	रसायन और रसायनिक पदार्थ
5.	गैर धात्विक खनिज पदार्थ
6.	मूल धातु औद्योगिक पदार्थ
7.	मशीनों और संचार उपकरणों के अलावा धातु पदार्थ
8.	बिजली के अलावा मशीनें
9.	बिजली की मशीनें, उपकरण और सप्लाई
10.	रेल सामग्री सहित संचार उपकरण
11.	वैज्ञानिक उपकरण, चिकित्सा उपकरण आदि
12.	विविध औद्योगिक पदार्थ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का सभी खानों में लागू किया जाना

4890. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 सभी प्रकार की खानों में लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वे खानें कौन सी हैं; और

(ग) इसके कारण क्या हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क), (ख) और (ग). कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 को, कुछ खानों पर, जिनकी एक सूची संलग्न है, लागू कर दिया गया है। बाकी खानों पर (कोयला खानों को छोड़कर जिनके लिए अलग भविष्य निधि योजना है) अधिनियम को यथाशीघ्र लागू करने का प्रस्ताव है।

"विवरण"

क्रम संख्या	मद
(1)	कच्चे लोहे की खानें।
(2)	मेंगनीज की खानें।
(3)	चूने के पत्थर की खानें।
(4)	सोने की खानें।

क्रम संख्या	मद
(5)	अबरक की खानें।
(6)	बाक्साइट की खानें।
(7)	चाइना क्ले की खानें।
(8)	मैग्नेसाइट की खानें।
(9)	डोलोमाइट की खानें।
(10)	वेराइट्स की खानें।
(11)	फायर-क्ले की खानें।
(12)	जिप्सम की खानें।
(13)	क्यानाइट की खानें।
(14)	मिलीमाइट की खानें।
(15)	स्टीटाइन की खानें।
(16)	हीरों की खानें।

"भूख से मुक्ति" अभियान के अधीन स्विटजैरलैंड से प्राप्त सहायता

4891. **श्री जितेन्द्र प्रसाद:** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को "भूख से मुक्ति" अभियान के अधीन स्विटजरलैंड की सरकार से सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) ककोड़ी शहीद एजुकेशन सोसायटी को "भूख से मुक्ति" अभियान के अधीन कितनी सहायता दी गई है और उसका उपयोग किस प्रकार किया गया है; और

(घ) ककोड़ी शहीद एजूकेशन सोसायटी के सदस्यों के नाम क्या हैं और क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त सोसायटी को दी गई राशि का उपयोग किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) काकोरी शहीद शिक्षा समिति, चिंदकुरी (उत्तर प्रदेश) की 1,32,000 रुपये की लागत की "कार्य विकास और कृषक उत्पादन तथा प्रशिक्षण कैम्प तथा कृषक विचार-विमर्श दल" की एक परियोजना को भारती भूख मुक्ति अभियान ने 1 अगस्त, 1968 को स्वीकृति दी, जिसकी आर्थिक सहायता, फुड फार इन्डिया फाउन्डेशन, नीदरलैंड्स के द्वारा दिये दान से की जानी है यह धन राशि (1) आदर्श कृषि फार्म का विकास (2) कृषकों के उत्पादन एवं प्रशिक्षण शिविर (3) कृषकों के विचार विमर्श दल और (4) उपरोक्त अभिप्राय के लिये कर्मचारी वर्ग के लिये काम में लाई गई।

तथापि समिति को स्वीकृत धनराशि में से 50,000 रुपये और 30,000 रुपये की दो किश्तों में केवल 80,000 रुपये अदा किये गये ।

यद्यपि समिति से यह आशा थी कि वह तीन प्रतियों में एक त्रैमासिक प्रतिवेदन भेजे । इसने हमको केवल 12-1-70 को एक प्रतिवेदन भेजा । उस प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि 50,265 रुपए की स्वीकृत धनराशि अधिकांशतः चिंदकुरी फार्म की विभिन्न मदों के विकास के लिये प्रयोग में लाई गई, यद्यपि एक थोड़ी राशि प्रशिक्षण शिवरों पर भी व्यय की गई ।

समिति में अनुगामी प्रतिवेदनों के अभाव में शेष धन राशि की अदायगी रोक ली गई है ।

(घ) श्री पी० के० खन्ना काकोरी शहीद शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं । परन्तु जहां तक इस परियोजना का सम्बन्ध है समिति से कहा गया है कि एक विशेष कार्यक्रम समिति स्थापित की जाये जिसमें जिलाधीश, जिला कृषि अधिकारी, पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय के फार्म विस्तार अधिकारी, समीप के चीनी फार्म के निदेशक, उपविकास आयुक्त उत्तर प्रदेश कृषक प्रशिक्षण के कार्यभारी अधिकारी, काकोरी शहीद शिक्षा समिति के सचिव और परियोजना अधिकारी सम्मिलित हैं । समिति ने सूचित नहीं किया है कि क्या उसने समिति की कोई बैठक बुलाई है ।

निधियों के प्रयोग के बारे में समिति से नियमित प्रतिवेदन नहीं आ रहे हैं, इसलिये न केवल समिति को अनुस्मारक ही भेजे गये हैं, अपितु उत्तर प्रदेश सरकार से भी प्रार्थना की गई है कि वह पूछताछ करे और सूचित करे ।

चावल का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को नये किस्म का चावल बांटा जाना

4892. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को किन नई किस्मों का चावल बांटा गया है जैसा कि भारत के राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बताया था और उनको कितना चावल बांटा गया है;

(ख) चावल की किस्मों के नाम क्या हैं; और

(ग) जिन एजेंसियों के माध्यम से इन्हें बांटा गया है उनके नाम क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख) चावल की कई नई उन्नत किस्में विकसित की गई हैं जो स्थानीय किस्मों की अपेक्षा अधिक उपज देने वाली हैं और गत वर्षों में खेती के लिए नियुक्त की जा चुकी हैं । ऐसी 13 किस्में, जो देश के कई प्रदेशों में खेती के लिए उपयुक्त हैं गत 3 वर्षों में निर्मुक्त की जा चुकी हैं । इन किस्मों के नाम निम्नलिखित हैं:–

(1) जया
(2) पदमा

(3) जगन्नाथ
(4) पंकज
(5) साबरमती
(6) जमुना
(7) आई आर—20
(8) रत्न
(9) बाला
(10) विजय
(11) कृष्णा
(12) कावेरी
(13) सी० ओ०—35

इन किस्मों में से 9 किस्में केवल गत वर्ष ही निर्मुक्त की गई थी और (इन किस्मों के) प्रमाणित बीज बड़ी मात्रा में खरीफ, 1972 में किसानों को वितरण के लिए उपब्ध किए जायेंगे। राष्ट्रीय बीज निगम ने हाल ही में निर्मुक्त की गई किस्मों के बीजों का वर्धन शुरू कर दिया है। अन्यों में से, राज्य सरकारें मार्ग के अनुसार प्रमाणित बीजों के उत्पादन तथा वितरण कार्य संभालती हैं राष्ट्रीय बीज निगम ने भी चावल की नई किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया और वर्ष 1968-69 में 21,350 क्विन्टल 1969-70 में 17,130 क्विन्टल और 1970-71 में 30,100 क्विन्टल बीज बेचे हैं।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम राज्य सरकारों के माध्यम से अपने डिपो और लगभग 500 व्यापारियों के माध्यम से बीज वितरित करता है। राज्य सरकारें अन्य साधनों के साथ साथ सहकारी समितियों तथा विभागीय ऐजेन्सियों आदि के माध्यम से बीज वितरित करती है। तराई विकास निगम ने भी अपने व्यापारियों, राज्य सरकारों आदि के माध्यम से चावल की नई किस्में उत्पादित की और वितरित की है।

उड़ीसा में ग्रेफाइट पर रायल्टी

4894. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से उड़ीसा में ग्रेफाइट पर रायल्टी की दर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो स्वामित्व की दर में कितनी वृद्धि की जायेगी और इससे कितनी अधिक आय होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) ग्रेफाइट पर स्वामित्व की दरों के अभिवृद्धि के प्रस्ताव को खनिज सलाहकारी परिषद की 16वीं बैठक के, जो 29-9-1969 को हुई, समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसने प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया।

Nationalisation of Iron Industry

4895. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a proposal to nationalise iron industry in the country; and

(b) if so, the time by which such a step would be takan ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Central Assistance to Madhya Pradesh for Small Scale Irrigation Scheme

4896. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have since received the details of the expenditure incurred/likely to be incurred by the Government of Madhya Pradesh on their annual plans for 1970-71 and 1971-72;

(b) whether the State Government have asked for financial grants and loans from the Central Government for small-scale irrigation schemes;

(c) whether along with the request for grants, the State Government have also furnished details regarding the number of tubewells to be installed and the acreage of unirrigated land to be brought under irrigation;

(d) if so, the names of the places where tube-wells are proposed to be installed; and

(e) the number of tubewells proposed to be installed in Gwalior Division out of them?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh): (a) Yes, Sir.

(b) No such proposal has been received from the State Government. Central assistance to State Plan Schemes including minor irrigation schemes is given in the form of block loans and grants for the annual plan as a whole and is not related to any individual programme.

(c), (d) & (e). Do not arise.

रोजगार उप-कर

4897. **श्री नवल किशोर शर्मा:** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर बनाने हेतु कोई रोजगार उप-कर लगाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस समस्या का तत्काल समाधान करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या 970 दिनांक 7-7-1971 के भाग (क), (ख), (ग) और (घ) के उत्तर में सभा पटल पर रखे विवरण की ओर ध्यान आकृषित किया जाता है ।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कर्मचारी संघ

*4898. **श्री एम० एम० हाशिम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अन्तर्गत आने वाली सब यूनियनों ने अपने आपको अखिल भारतीय राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कर्मचारी संघ के रूप में गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संघ को मान्यता दी गई है;

(ग) क्या उक्त संघ ने भारद्वाज समिति की सिफारिशें पूरी तरह क्रियान्वित करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की "अखिल-भारतीय राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कर्मचारी परिसंघ" नामक संगठन से बैलाडिला में 29/30 मई, 1971 को हुए सम्मेलन में उसके गठन होने के विषय में 21-6-1971 को एक संसूचना प्राप्त हुई है । निगम में कार्यरत 10 यूनियनों में से चार यूनियनों के पदाधिकारियों ने प्रबंध को यह सूचित किया है कि वे परिसंघ से सम्बद्ध है । इस प्रकार राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की समस्त यूनियनें परिसंघ के सदस्य नहीं हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). परिसंघ ने निगम की मजदूरी/संरचना पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के प्रश्न को उठाया था । इस विषय में प्रबंध और समस्त श्रमिक-संघों में अभी अंतिम विचार-विमर्श होना है ।

बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये अधिक सहायता के बारे में संयुक्त राष्ट्र महा सचिव की अपील

4899. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महा सचिव ऊथांट ने एक बार पुनः विश्व के देशों से पूर्व बंगाल के व्यक्तियों के संकटों को कम करने के लिए उदारता से सहायता देने की अपील की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम स्वरूप शरणार्थियों के लिए प्राप्त सहायता में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : संयुक्त राष्ट्र महा सचिव, ऊथांट ने दो अपीलें जारी की थीं । एक 19 मई को और दूसरी 16 जून को । पहली अपील, सरकारों, अन्तर-सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ-साथ निजी संस्थाओं और लोगों से पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आए शरणार्थियों को मानवता के आधार पर तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी । दूसरी अपील में, महा सचिव ने, पूर्वी बंगाल के लोगों के लिए, पाकिस्तान सरकार के सहयोग से, राहत कार्यों को संगठित करने का निदेश किया था और सरकारों तथा अन्य संगठनों को स्वयं पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे "पूर्वी पाकिस्तान के लोगों" के लिए नकद और सामान के रूप में मानवीय सहायता के प्रयत्नों में योगदान देने के लिए कहा था । महा सचिव ने इस विषय पर बल डाला कि पूर्वी पाकिस्तान में राहत संगठन, "भारत में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के सहायता कार्यक्रम से पृथक कार्य है । दोनों कार्यों का केवल इसी सीमा तक संबंध है कि जैसे ही पूर्वी पाकिस्तान में परिस्थिति सुधर जायेगी, शरणार्थियों को आने से रोकने और उन्हें वापस लौटाने की अच्छी संभावनाएं उत्पन्न हो जायेंगी ।"

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एर्नाकुलम में विदेशी तेल कंपनियों के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किया जाना

4900. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्नाकुलम में तीन गैर-सरकारी तेल कंपनियों अर्थात् बरमा शैल, एस्सो और काल-टैक्स के कुछ कर्मचारियों को उनके मालिकों ने "शीघ्र स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना" के अन्तर्गत सेवा से निकाल दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) इस प्रश्न पर गोखले आयोग की क्या सिफारिश है; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त जांच आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । श्रम मंत्रालय के पास एर्नाकुलम में विदेशी तेल कंपनियों द्वारा 'शीघ्र स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना' के अन्तर्गत सेवा से निकाले गए श्रमिकों की सही संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं है । यद्यपि गोखले आयोग ने एर्नाकुलम स्थित विदेशी तेल कम्पनियों के श्रमिकों के बारे में कोई विशेष सिफारिशें नहीं की हैं, तो भी आयोग द्वारा विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी का अधिकाधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संभव आकार पर कुछ सामान्य सिफारिशें की गई हैं । चूंकि इनमें तेल उद्योग सहित सभी उद्योगों के सम्बन्ध में नया विधान बनाना शामिल है, इसलिए इस सम्बन्ध में विभिन्न संबंधित पक्षों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है । सभी संबंधित पक्षों के विचार प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जा सकती है ।

हीराकुंड, उड़ीसा में एक विस्फोटक कारखाने की स्थापना

4901. **श्री देवेन्द्र सत्पथी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में एक विस्फोटक कारखाना स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या हीराकुंड उड़ीसा में एक विस्फोटक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा हीराकुंड में कारखाना स्थापित करने के निर्णयानुसार उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1962-63 में सड़कों और इमारतों के निर्माण पर कुछ धनराशि खर्च की थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय अभी भी कायम है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते हैं ।

हिन्द महासागर में खनिजों के निक्षेप

4902. **श्री एम० सत्यनारायण राव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में काम कर रहे सर्वेक्षण जहाजों ने रूस के वैज्ञानिकों की सहायता से हिन्द महासागर में विभिन्न खनिजों के बड़े निक्षेपों के विद्यमान होने का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पाये गये निक्षेपों और उस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खाना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय समुद्र अभियान (1960-65) के, जिसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेषण सहित विभिन्न संस्थाओं से भारतीय वैज्ञानिकों ने भाग लिया, अन्तर्गत रूसी यानों ने भारतीय समुद्र के विस्तृत क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया, जिससे समुद्र के लगभग 100 लाख वर्ग किलोमीटर के अगाध वर्त्तीय क्षेत्र में यत्र-तत्र फेले हुए मेंगनीज नोड्यूल्स का पता चलता है ।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा समुद्रीय भूवैज्ञानिक समन्वेषण अपने निरन्तर कार्यक्रम के भाग के रूप में स्वतन्त्र रूप से किए जा रहे हैं और इसे रूस से सहायता प्राप्त नहीं है ।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्रारम्भिक अध्ययनों ने पश्चिमी किनारे से दूर बेरियम नोड्यूल्स और अन्डमान्स से दूर फास्फेटिक नोड्यूल्स की विद्यमानता का संकेत दिया है । 1965 में स्थापित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के समुद्रीय भूविज्ञान एकक द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययनों ने लेकाडीव द्वीपों के दो कछारों में 1.6 करोड़ टन चूर्णिय रेत का संकेत दिया है । अन्डमान से दूर फास्फेट के प्राप्ति-स्थलों का भूमीक्षण भी किया गया है ।

देश के सम्पूर्ण कांटिनेनटल क्षेत्र का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और समन्वेषण कार्यक्रम तैयार किया गया है और यह प्रस्तावित किया गया है कि 26,000 कि० मी० के कुल पोत विहार के मार्ग पर आंकड़े और नमूने संग्रहीत किए जाएं और देश के सम्पूर्ण कांटिनेनटल क्षेत्र को प्रतिच्छेवित किया जाए । प्रतितट खनिज समन्वेषण को त्वरित करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्ष-.का यह भी प्रस्ताव है कि चतुर्थ योजना के दौरान "इण्डियन शिपयार्ड्स" से प्रति-तट खनिज समन्वेषण के लिए विशेष प्रकार जहाज को लिया जाए ।

अमरीका के सहयोग से 'आपरेशन हार्डरॉक' परियोजना की स्थापना

4903. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री डी० पी० जवेजा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व अमरीका के सहयोग से 'आपरेशन हार्डरॉक' नामक परियोजना का कोई आरम्भ किया गया था;

(ख) क्या उसके असफल रहने के कारण अलौह धातु के विमान सर्वेक्षण सम्बन्धी फ्रांस से सहायता प्राप्त चालू परियोजना की आवश्यकता पड़ी है; और

(ग) देश को यदि इन खर्चीली परियोजनाओं से कोई लाभ हुआ है, तो कितना ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । "ओपरेशन हार्डरॉक" को इस बात को ध्यान में रखकर आरम्भ किया गया

था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मेग्नेटिक और स्पैक्ट्रोमीटर यंत्रों को प्रयोग करते हुए आन्ध्र-प्रदेश, राजस्थान और बिहार-पूर्वी बंगाल के कुछ चुने हुए संभावी अयस्क वाले क्षेत्रों का बहु-यंत्रीय हवाई भू-भौतकीय सर्वेक्षण किया जा सके। इस सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप, जो कि अनुसूचित समय में पूर्ण हो गया था, कई भूभौतकीय विसंगतिया प्रकाश में आई हैं। चुने हुए विसंगति वाले क्षेत्रों में भूतल अनुवर्तन से राजस्थान के क्षेत्र में उदीयमान जस्ता, सीसा खनिजीकरण और बिहार के क्षेत्र में ताम्र खनिजीकरण प्रकाश में आए हैं। राजस्थान-क्षेत्र में मौलीवडिनम के लघु प्राप्ति-स्थल भी पाए गए हैं। अयस्क-निकायों का विस्तार और ग्रेड का निर्धारण करने के लिए आगे का व्यधन कार्य प्रगति पर है। इस प्रकार "ओपरेशन हार्डरॉक" प्रायोजना के अन्तर्गत अब तक के प्राप्त परिणाम उत्साहवर्धक हैं।

हवाई सर्वेक्षण के लिए फ्रांसीसी सहायता प्राप्त प्रायोजना इसलिए आरम्भ नहीं की गई है कि "ओपरेशन हार्डरॉक" असफल रहा अपितु ऐसा इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि अलौह धातुओं के लिए समन्वेषण में तीव्रता लाई जाए जिसके लिए मैसूर, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के चुने हुए भागों के अतिरिक्त क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण आवश्यक समझा गया था और जिसके लिए स्वदेशी विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं थी।

(ग) "ओपरेशन हार्डरॉक" प्रायोजना द्वारा अवस्थापित हवाई-विसंगतियों पर भूतल अनुवर्तन कार्य अभी भी प्रगति पर है। इन खनिजों के, जो कि इन क्रियाओं के फलस्वरुप अवस्थापित किए जा सकेंगे, समुपयोजन के प्रश्न पर भूतल अनुवर्तन कार्य सम्पूर्ण हो जाने पर विचार किया जाएगा।

जापान को कतरनों के निर्यात में कमी

4904. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को कतरनों का निर्यात दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त निर्यात में कब से कमी हुई है और कतरनों के निर्यात में कमी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग). जी, हां। लगभग जून 1970 से जापान को फेरो स्क्रैप के निर्यात में लगातार कमी हुई है। इस कमी का मुख्य कारण घरेलू मांग का बढ़ना है।

भारत सेवक समाज

4905. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार भारत सेवक समाज को प्रतिवर्ष कितनी सहायता देती है;

(ख) उक्त संगठन में कितने कर्मचारी काम करते हैं; और

(ग) उक्त संगठन में गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि का गबन किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) भारत सरकार ने भारत सेवक समाज को नवम्बर, 1966 से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है, क्योंकि भारत सेवक समाज एक गैर-सरकारी संगठन है।

(ग) एक जांच आयोग भारत सेवक समाज के उन लेखाओं तथा कार्यों की जांच कर रहा है, जो नवम्बर, 1966 से पहले दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता से सम्बन्धित हैं। इस जांच आयोग की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

दुग्ध चूर्ण का आयात और उसके आयात पर दिया गया शुल्क

4906. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आयतित दुग्ध चूर्ण पर कितने शुल्क का भुगतान किया गया;

(ख) क्या डेरी उत्पाद संयत्रण और नगरीय दुग्ध केन्द्रों के फार्मों में संतुलन लाने हेतु शिशु-आहार बनाने वाले कारखानों की मांग को पूरा करने के लिए दुग्ध चूर्ण के आयात में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) गत तीन वर्षों की अवधि में सपरेटा दुग्ध चूर्ण के आयात से, जिसमें 4 प्रतिशत से अधिक स्नेह हो तथा अन्य कोई तत्व मिश्रित न हो जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क अधिनियुक्त की मद 4(2) में उल्लिखित है, एकत्रित हुए कर राशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कर से एकत्रित राशि
1968-69	नगण्य
1969-70	3.60 लाख रुपये
1970-71	53.53 लाख रुपये

(ख) तथा (ग). शिशु खाद्य तथा माल्ट युक्त दुग्ध खाद्यों का निर्माण करने वाले एककों तथा नगरीय, दुग्ध आपूर्ति योजनाओं द्वारा दुग्ध चूर्ण की अत्यधिक मांग की जा रही है। भारतीय डेरी उद्योग निगम द्वारा द्विपक्षीय नकद एवं उपहार समझौतों के अन्तर्गत आयातित भंडार से इन आवश्यकताओं की यथा संभव पूर्ति की जा रही है, शिशु खाद्य तथा माल्ट युक्त खाद्यों का निर्माण करने वाले एककों की अधिकाधिक दुग्ध चूर्ण की मांग सरकार के विचाराधीन है।

Aero-Magnetic Survey of Madhya Pradesh

4907. **Dr. Laxminarain Pande**: Will the Minister of **Steel aud Mines** be pleased to state:

(a) whether an aero-magnetic survey has been conducted by the Central Government keeping in view the industrial development of Madhya Pradesh;

(b) if so, the outcome thereof; and

(c) if not, whether Government have any such proposal under consideration ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a), (b) & (c). An airborne magnetic and scintillometric survey over an area of 16,000 sq. kms. covering parts of Panna, Chhatarpur and Tikamgarh districts of Madhya Pradesh was conducted by the National Geophysical Reserarch Institute at the instance of the State Government who have also since started ground follow up work in the anomaly areas which have been located as a result of this survey.

It is also proposed to cover an area of 17,400 sq. kms. covering parts of Jhabua, Harda, Sleemanabad, Sidhi and Malanjkhand areas of this State by airborne geophysical survey under the contract recently signed by the Government of India with the French Government Organisation Bureau De Recherches Geologiques and Minieres (BRGM) of Paris.

मैंगनीज श्रयस्क विषयक कार्यकारी दल की सिफारिशें

4908. **श्री बी० नारायणन्**: क्या **इस्पात श्रौर खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गठित मैंगनीज अयस्क विषयक कार्यकारी दल द्वारा की गई अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यह कार्यकारी दल अपनी अन्तिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगा ?

इस्पात श्रौर खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) यह "मैंगनीज उद्योग पर के कार्यकारी दल की अन्तिम रिपोर्ट" के अध्याय VII में अन्तर्विष्ट है। रिपोर्ट लोक-सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) रिपोर्ट पर अन्तर-मंत्रालय बैठक में विचार-विमर्श किया गया है और मैंगनीज उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं से अन्य सम्पृक्त मंत्रालयों को आगे की कार्रवाही करने के लिए अवगत करा दिया गया है। कार्यान्वय के समन्वय हेतु सम्पृक्त मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की स्थायी समिति गठित की गई है।

(ग) 1971 के अन्त तक।

मैंगनीज अयस्क विकास निगम की स्थापना

4909. **श्री बी० नारायणन्** :
श्री पी० ए० सामीनाथन् :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मैंगनीज अयस्क विकास निगम की स्थापना करने का विचार है, यदि हां, तो निगम की स्थापना कब तक की जायेगी; और

(ख) इस निगम के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

खाद्य तेल के आयात का देश में तिलहन के उत्पादन पर प्रभाव

4910. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में खाद्य तेल का आयात कितनी मात्रा में तथा कितनी कीमत का किया गया; और

(ख) क्या उक्त आयात से देश में उत्पादित तिलहन पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के बारे में सरकार को जानकारी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क)

	मात्रा (मी० टन)	लागत भाड़ा सहित (करोड़ रुपये)
सोयाबीन तेल	92,000	22.83
तोरिया	50,000	5.85

(ख) ये आयात मांग के सन्दर्भ में देशी उत्पादन की कमी को पूरा करने के इरादे से किए जाते हैं और इसलिए इनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है। खाने योग्य तिलहनों तथा तेलों का देशी उत्पादन अधिकांशतः चालू मौसमी परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होता है, चालू वर्ष में इनका उत्पादन अब तक के उत्पादन से सबसे अधिक हुआ है।

कृषि सम्बन्धी वस्तुओं की उत्पादन लागत का मूल्यांकन

4911. **श्री टी० बालकृष्णयैया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की खाद्य जन्य पदार्थों और कृषि साधनों की उत्पादन लागत का मूल्यांकन करने की कोई योजना है;

(ख) योजना को क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या इस प्रकार की कोई एजेंसी आंध्र प्रदेश में हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) भारत सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिये क्रमबद्ध तरीके से एक बृहत योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में अध्ययन के लिये चुने गये नमुने की जोतों से मुख्य फसलों की खेती में प्रयोग किये गये आदानों के विषय में विस्तृत जानकारी इकट्ठी करना है।

(ख) ओर (ग) इस बृहत योजना की क्रियान्विति के लिए आंध्र प्रदेश सहित अब तक 15 राज्यों के लिए मंजूरी दी गई है इन राज्यों में योजना की क्रियान्विति का कार्य निम्नलिखित अभिकरणों को सौपा गया है:—

राज्य	संस्था
आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद
असम	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट
बिहार	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना
गुजरात	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर
हरियाणा	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
केरल	केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम
मध्यप्रदेश	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जबलपुर
महाराष्ट्र	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
मैसूर	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर
उड़ीसा	उड़ीसा कृषि तथा तकनालोजी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
पंजाब	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
राजस्थान	उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर
तमिल नाडू	कृषि महाविद्यालय तथा अनुसंधान संस्था, कोयम्बटूर
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर
पश्चिम बंगाल	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी

इस योजना के समग्र पर्यवेक्षण तथा समन्वय का कार्य मंत्रालय के अधिन स्थापित होने वाला केन्द्रीय एकक करेगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना में भूमिगत जल विकास योजना का सम्मिलित किया जाना

4912. **श्री टी० बालकृष्णैया :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई भूमिगत जल विकास योजना को क्रियान्वित करने की योजना है;

(ख) 31 मार्च, 1971 तक राज्यों में अब तक कितनी परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(ग) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने किन राज्यों में उपर्युक्त परियोजनाएं आरम्भ की हैं; और

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश में भी ऐसी कोई योजना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) से (घ) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (भूतपूर्व समन्वेषी नलकूप संस्था) 1954-55 से सारे देश में भूमिगत जल संसाधनों की खोज में लगा हुआ है। यह एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है और चौथी योजना के लिये कुल 850 लाख रुपये (निवल) की व्यवस्था की गई है। इसमें से 261.57 लाख रुपये 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान व्यय किये गये। चालू वर्ष के लिये हमारा प्लान बजट 370 लाख रुपये (कुल) का है। इस समय केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड अम्बाला, वाराणसी, अहमदाबाद, मद्रास तथा रांची में स्थित अपने पांच प्रभागो के माध्यम से कार्य कर रहा है। उसे इस वर्ष से तीन नई परियोजनायें शुरू करने के लिये भी प्राधिकृत किया गया है। राजस्थान तथा गुजरात के कुछ रुक्ष तथा अर्द्ध-रुक्ष क्षेत्रों के भूमिगत जल संसाधनों के परिमाणात्मक मूल्यांकन के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) की सहायता से एक परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना राजस्थान के बीकानेर, चुरु, नागोर तथा झुन्झुनू जिलों में लगभग 16,000 वर्ग मील तथा गुजरात के बनासकांठा एवं मेहसाना जिलों में लगभग 4,700 वर्ग मील क्षेत्र को आवृत्त करेगी। दूसरी परियोजना कैनेडा की सहायता से शुरू की गई है और यह परियोजना अधिकतर आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद के आसपास के लगभग 3,000 वर्ग मील क्षेत्र तथा मैसूर के बिदर तथा गुलबर्ग जिलों के केवल छोटे से भाग को आवृत करेगी। यह प्रथम समय होगा, जबकि कठोर चट्टानी क्षेत्र के भूमीगत जल संसाधनों के मूल्यांकन के लिये प्रयत्न किया जायगा। तीसरी परियोजना, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के कछार के जलोढ़ भाग को आवृत करेगी। इस वर्ष केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा त्रिपुरा में समन्वेषी कार्य करेगा। हिमाचल प्रदेश में भी कार्य शुरू करने की सम्भावना है। यदि अपेक्षित किस्म की रिग का परिवहन करना सम्भव हो सका तो कश्मीर घाटी एवं किस्तवार क्षेत्र में भी समन्वेषी कार्य शुरू किया जा सकता है। वर्ष 1970-71 के अन्त तक केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने कुल 911 समन्वेषी तथा 1432 निक्षेप कुंओं का निर्माण किया है।

आर० एस०–09 ट्रैक्टर का निर्माण

4913. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक खराब पाये गये आर० एस०–09 के कितने ट्रैक्टरों में सुधार किया गया; और

(ख) उन ट्रैक्टरों की संख्या कितनी है जो मरम्मत के बाद भी ठीक काम नहीं कर रहे हैं और ऐसे ट्रैक्टरों के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1032 आर० एस०–09 ट्रैक्टरों में सुधार किया जा चुका है ।

(ख) आर० एस०–09 ट्रैक्टरों के किसान स्वामियों तथा विभिन्न राज्य कृषि उद्योग निगमों ने सुधारे गए आर० एस०–09 ट्रैक्टरों को वापिस करने की इच्छा व्यक्त की है, क्योंकि सुधरे हुए ट्रैक्टरों का कार्य भी संतोषजनक सिद्ध नहीं हुआ है । इन ट्रैक्टरों को वापिस कर देने का निर्णय किया गया है और इस सम्बन्ध में 21 फरवरी, 1971 को भारतीय राज्य व्यापार निगम और पूर्वी जर्मनी के सप्लायरों में एक नयाधार पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

Colourisation of Imported Oil to Stop its Adulteration

4914. **Shri Ram Bhagat Paswan:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether white oil and Dalda imported from U. S. A. are sold here by Indian traders after adulterating them with ghee, mustered oil and coconut oil;

(b) whether Government are aware that by consuming the adulterated oil, the public has to suffer from various diseases for which doctors have no cure and the people meet an untimely death as a result thereof;

(c) whether Government propose to add any particular colour to the imported oil so that the Indian traders are not able to adulterate it; and

(d) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasheb P. Shinde): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

न्यूनतम मजूरी बढ़ाने के लिये राज्यों को निदेश देना

4917. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्यों में न्यूनतम मजूरी बहुत कम है तथा उसका महंगाई से कोई सम्बन्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों को कोई निदेश दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क), (ख) और (ग). स्थानीय स्थितियों तथा अन्य संगत तथ्यों पर निर्भर करते हुए न्यूनतम मजदूरी-दरें भिन्न-भिन्न

राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं । राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त हैं और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन उनका यह सांविधिक दायित्व है कि वे पांच वर्ष से कम के अंतराल पर मजदूरी दरों का पुनरीक्षण करें और उनमें संशोधन करें । ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया है; परन्तु राज्य सरकारों को समय-समय पर यह परामर्श दिया गया है कि, जब कभी आवश्यक हो, वे न्यूनतम मजदूरी-दरों को पुनरीक्षित करने और उनमें संशोधन करने के लिए कार्यवाही करें ।

पंजाब राज्य कृषि-उद्योग निगम के प्रबन्धक निदेश के विरुद्ध आरोपों की जांच

4918. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या कृषि मंत्री पिछली लोक सभा में 17 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5021 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच पंजाब राज्य के मुख्य सचिव द्वारा पंजाब राज्य कृषि-उद्योग निगम के प्रबन्ध निदेश के विरुद्ध लगाये गये आरोप की जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इस जाँच के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या उचित कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) : अतारांकित प्रश्न संख्या 5021 दिनांक 17 दिसम्बर, 1970 का उत्तर देने के पश्चात् प्रबन्ध निदेशक (जिनका स्थानान्तरण कर दिया गया है) के विरुद्ध और कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं । ये सब शिकायतें मुख्य सचिव, पंजाब सरकार तथा अध्यक्ष, पंजाब कृषि-उद्योग निगम को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई है । उनसे अनुरोध किया गया है कि वे की गई कार्यवाही के विषय में इस मंत्रालय को सूचित करें । इन शिकायतों की काफी सावधानी से जांच की जानी है और निर्धारित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जानी है, इसलिए इस मामले की जांच-पड़ताल में कुछ समय के लगने की सम्भावना है ।

Staff working in Department of Steel

4919. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the total number of employees and officers working in the Department of Steel at present;

(b) the number of gazetted and non-gazetted employees/officers among them; and

(c) the number of permanent and temporary among them ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan):

(a) Total Staff	:	262
(b) Gazetted Staff	:	57
Non-gazetted Staff	:	205
(c) Permanent Staff	:	182
Temporary Staff	:	80

Staff in Labour and Employment Department

4920. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the total number of employees and officers working in the Labour and employment Department at present; and

(b) the number of gazetted and non-gazetted employees/officers among them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar): (a) & (b). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Strikes and Man-Days Lost in Central Industrial Establishments, Kerala, Bihar and Madhya Pradesh

4921. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the total number of strikes restored by the employees and workers of Central Industrial Establishments located in Kerala, Bihar and Madhya Pradesh from 1st January 1968 to date, State-wise; and

(b) the number of man-days lost and the extent of loss suffered by the public sector industries as a result thereof during the above period, State-wise ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar): (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House after it is received.

बंगला देश के शरणार्थियों के लिये चावल की सप्लाई

4922. **श्री बी० एन० मूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के निष्क्रान्त व्यक्तियों को कितना चावल सप्लाई किया गया और किन-किन राज्यों से यह सप्लाई प्राप्त हुई;

(ख) क्या किसी राज्य ने चावल का दान किया है, यदि हां तो कितनी मात्रा में; और

(ग) अपेक्षित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) 7 जुलाई 1971 तक पश्चिमी बंगाल और ओरिसा में विस्थापितों के उपभोग के लिए क्रमश: लगभग 56 हजार मी० टन और लगभग 6 हजार मी० टन चावल दिया गया था। असम और त्रिपुरा में विस्थापितों के लिए चावल की दी गई मात्रा के बारे में सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी। राज्य सरकारें विस्थापितों को चावल राज्य में अधिप्राप्त स्टाक और केन्द्रीय पूल से प्राप्त स्टाक में से देती हैं। केन्द्रीय पूल में चावल अधिशेष राज्यों और आयातों से प्राप्त होता है।

(ख) सरकार को इस बात का पता नहीं है कि किसी राज्य ने पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के लिए चावल दान रूप में दिया है।

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारें बंगला देश के विस्थापितों की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टाक रख रही है। केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक सीमा तक उन्हें सहायता दी जा रही है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बेरोजगार के तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी

4923. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे**: क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार कार्यालयों, में राज्यवार रजिस्टरों में 30 जून, 1971 को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बेरोजगार तीन वर्षीय डिप्लोमा धारियों के आंकड़े क्या हैं;

(ख) ऐसी तकनीकी संस्थाओं में राज्यवार, कितने व्यक्ति प्रवेश करते हैं;

(ग) बर्ष 1969-70 और 1970-71 में रोजगार कार्यालयों द्वारा कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला था;

(घ) उक्त अवधि "में स्वतः नियोजन योजना" के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार में लगाया गया; और

(ङ) उनके लिये रोजगार की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) से (ग). उपलब्ध जानकारी सलंग्न विवरण-एक और दो में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 666/71**]

(घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) योजना की परियोजनाओं के कार्यान्वियन से शिक्षित लोगों विशेष कर तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों को अधिक संख्या में नियुक्ति अवसर उपलब्ध होंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा शिक्षु प्रशिण कार्यक्रमों में व्यवसायों को नये आयाम देने पर भी बल दिया जा रहा है।

तकनीकी तथा अन्य कुशल व्यक्तियों को एवं-नियोजन में सहायता हेतु उत्पादन गति-विधि की योजनाओं में लगाने का कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है। इसके साथ-साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र प्राप्त तथा शिक्षुओं में केवल स्व-नियोजन को बढ़ावा देने के लिए गहन प्रशिक्षण की योजना भी आरम्भ कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, 1971-72 के केन्द्रीय बजट में इंजीनियरों, तकनीशियनों समेत बेरोजगारी के लिए उपयुक्त विशिष्ट योजनाओं हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था विशेष रूप से की गई है।

Shifting of Refugees to Mana Camp

4925. **Dr. Laxminarain Pandey**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of persons out of the Bengla Desh refugees shifted so far to Mana Camp in Madhya Pradesh; and

(b) whether Government have made complete arrangements for their housing and meals ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar): (a) Upto 10th July 1971, 1,01,932 persons have already been shifted from West Bengal to Mana Camp in Madhya Pradesh.

(b) Yes, Sir. Arrangements are being made to provide the refugees with shelter and food, while they remain in camps.

Replacement of RS-09 Tractors Found Defective in Rajasthan

4926. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the German tractors RS-09 supplied to the farmers in Rajasthan in 1970-71 have been found defective;

whether some of the farmers have been provided with Byelarus and Zeteor tractors in replacement of the above tractors;

(c) if so, the number of tractors so replaced;

(d) the action being taken in regard to the remaining tractors;

(e) whether the remaining tractors would also be replaced; and

(f) if so, by what time, and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh): (a) There were general complaints against the performance of RS-09 tractors.

(b) & (c). 1 Byelarus, 1 DT. 14E and 19 Ursus tractors have so far been supplied to the owners of RS-09 tractors.

(d) According to the protocol signed between the S. T. C. and the G. D. R. Suppliers on the 21st February, 1671, only such RS-09 tractors which have been modified before 21-2-1971 and the owners of which are not satisfied with their performance, will be taken back. The inspection for the return of such tractors is scheduled to be completed by the 17th July, 1971. The RS-09 tractors which are to be taken back will be replaced with Zeteor 2011 tractors.

(e) & (f). RS-09 tractors modified before 21-2-1971 are expected to be replaced by the Rajasthan State Agro-Industries Corporation in about a month's time. The question about the return of other tractors is under consideration.

दंडकारण्य परियोजना के कर्मचारियों द्वारा बारी-बारी से भूख हड़ताल करना

4927. **श्री गदाधर साहा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दंडकारण्य परियोजना के अराजपत्रित कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जून में बारी-बारी से भूख हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) दण्डकारण्य कर्मचारी एसोसिएशन के कुछ सदस्य 6 जून से 25 जून, 1971 तक "बारी बारी से भूख हड़ताल" पर रहे बताये गये हैं ।

(ख) और (ग). मुख्य मांगों तथा उन पर की गई कार्यवाही । की जाने वाली कार्यवाही की सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए एल० टी० 667/71]

वर्ष 1970-71 में गेहूं या आटा खरीदने के लिये ब्रिटेन से ऋण

4928. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :** **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970-71 के कटाई वर्ष में गेहूं, मोटे अनाज या आटा खरीदने के लिये ऋण देने हेतु भारत और ब्रिटेन के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर किये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितना अनुदान दिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). ब्रिटिश सरकार ने 17-6-1971 को गेहूँ, मोटे अनाज (चावल को छोड़कर) अथवा आटा खरीदने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनाज करार, 1967 की खाद्य सहायता कन्वेंशन के अधीन 12 लाख यू० एस० डालर का अनुदान दिया था । यह ऋण नहीं है ।

बंगला देश के शिक्षित शरणार्थियों की सेवाओं को उपयोग में लाना

4929. **श्री एम० सत्यनारायण राव :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) बंगला देश से भारत में शरण लेने वाले इंजीनियरों, डाक्टरों, वकीलों, अध्यापकों, सिविल अधिकारियों तथा अन्य व्यावसायिक और उच्च अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या इन व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिये कोई प्रस्ताव है और यदि हां तो कैसे और किस प्रकार ऐसा किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) चूंकि व्यवसाय-वार रिकार्ड नहीं रखा गया है इसलिये अपेक्षित जानकारी सरलता से उपलब्ध नहीं है ।

(ख) चूंकि वे विदेश राष्ट्रिक हैं, इसलिये उन्हें नियमित सरकारी पदों पर नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, जहां कहीं संभव है, डाक्टरों, चिकित्सक स्टाफ तथा अन्य लोगों की सेवाओं को स्वेच्छिक या दैनिक मजदूरी के आधार पर प्रयोग में लाया जा रहा है

दंडकारण्य परियोजना से कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

4930. **श्री रेणु पद दास** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंडकारण्य परियोजना, कोंडा गाँव, जिला बस्तर (मध्य प्रदेश) के अराजपत्रित कर्मचारियों को परियोजना भत्ता नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण है; और

(ग) क्या दंडकारण्य परियोजना में कार्य कर रहे कर्मचारियों को उक्त भत्ता देने के लिए सरकार ठोस कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) दंडकारण्य परियोजना के सभी योग्य कर्मचारियों (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) को सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों के अनुसार परियोजना भत्ता दिया जा रहा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Tractors allotted to Bihar

4931. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have allotted an annual quota of only 750 tractors to Bihar;

(b) if so, whether 3.344 applications are pending with the Bihar State Agro-Industries Corporation; and

(c) if so, the action proposed to be taken by the Government to meet the demand of the farmers in Bihar ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh): (a) No fixed quota of 750 tractors has been allotted to the Bihar State Agro-Industries Development Corporation. However, imported tractors are allotted to that corporation on the basis of actual imports. The number of tractors allotted to Bihar during the last three years is as follows:—

Year	*No. of tractors allotted*
1967—68	400
1968—69	1,445
1969—70	2,100

The import programme against the requirements for the year 1970-71 is under consideration.

(b) and (c). Yes, Sir. With a view to meeting the overall demand of tractors in the State to the extent possible, the Ministry of Agriculture has already allotted as many as 2100 imported tractors; balance requirements may be met out of indigenous production of tractors.

बिहार में रूस और चैकोस्लोवाकिया के ट्रैक्टरों की मांग

4932. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या है जिनके ट्रैक्टर भारत में बेचे जाते हैं;

(ख) क्या चैकोस्लोवाकिया और रूस में निर्मित ट्रैक्टरों की बिहार के किसानों में भारी मांग है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सोवियत रूस, चैकोस्लोवाकिया पौलैंड, रूमानिया, युगोस्लेविया, पश्चिम जर्मनी तथा ब्रिटेन से आयातित ट्रैक्टर विभिन्न राज्य कृषि उद्योग निगमों द्वारा बेचे गये है । जाते हैं । पश्चिम जर्मनी से ट्रैक्टरों के और आयात को बन्द कर दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) जी हां, रूसी तथा चैकोस्लेवाकिया के ट्रैक्टरों की मांग उनकी अच्छी कार्यक्षमता तथा उनके कम मूल्य के कारण अधिक है बिहार में ट्रैक्टरों की समग्र मांग की पूर्ति के लिये 21,000 आयातित ट्रैक्टरों का आवंटन पहले ही स्वीकार कर लिया गया है, इनमें से 1189 ट्रैक्टर (544 चैकौस्लेवाकिया तथा रूस से आयातित तथा 645 अन्य देशों से आयातित) बिहार राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम को पहले ही विशिष्ट रूप से नियतित कर दिये गये हैं । नौभरण के आधार पर निगम को और अधिक ट्रैक्टरों का नियतन किया जायेगा ।

Employees Provident Fund dues of Workers of "Sperk" Weekly Patna

4933. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the English Weekly "Spark" was being published from Patna and its publication was stopped in the year 1969;

(b) whether the Provident Fund contributions were being deducted from the salaries of all the employees working in the said weekly;

(c) whether the Provident Fund dues have not been paid to the employees inspite of repeated requests made by them in this regard; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government to ensure payment of Provident Fund dues to the employees ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar): The administration of Employee's Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees, set up

under the Employees' Provident funds and Family Pension Fund Act, 1952 and not the direct concern of the Central Government. The Provident Fund authorities have reported as under:

(a) The Regional Provident Fund Commissioner Bihar has intimated that M/s spark Press (P) Ltd.. Patna was closed from 1-12-1969 and That with offect from 1-1-70, the Press has been leased out to M/s Bhartiya Publisher (P) Ltd., Patna where the 'SPARK' Weekly is being printed and published.

(b), (c) and (d). M/s Spark Press (P) Ltd., Patna did not comply with the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 as they contested their coverage. Thus initially, they neither submitted the statutory returns nor paid provident fund contributions. Subsequently, the factory started paying the provident fund dues and submission of reports. They did not also give membership of the Fund to certain eligible persons. Action is being taken to take legal action against the factory. The claims received so far are being finalised on the basis of the amount available in their account.

Lease of Iron and Zink Mines in Singhbhum District

4934. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether some parties have applied to Government for lease of iron and Zinc mines in Nowamundi area of Singhbhum District, if so, names thereof;

(b) whether arrears of Income-tax, royalty, etc. are outstanding against one of the applicants; if so, the name of the said applicant;

(c) whether the Government of Bihar have recommended certain party for the purpose; if so, the name thereof; and

(d) the reasons for delay in taking a decision in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) The Government of Bihar have reported that the following parties have applied on 3-5-1969 for grant of Mining Lease for Iron Ore and Manganese Ore in village Nowamundi in Distt. Singhbhum:—

1. S/Shri Saha Bros.
2. Sardar Fauja Singh.
3. Shri Shymal Kumar Khirwal

(b) Shri D. D. Saha, a partner of S/Saha Bors. owed Rs. 13,378-39 to the Government. The applicant, S/Shri Saha Bros. is also a partner of Dwarka Das Ram Gopal Saha who owed to the Government a balance of Rs. 4,247-19.

The third applicant Shri Shyamal Kumar Khirwal is a partner of S/Shri Khem Karan Das Hardutt Rai who owed to the Government a balance of Rs. 1,174.57.

(c) & (d). The State Government recommended grant of Mining Lease to Sardar Fauja Singh who is one of the above mentioned applicants. Subsequently, against the failure of the State Government to dispose of his application, Sardar Fauja Singh filed a revision application with the Central Government under rule 54 of the Mineral Concession Rules, 1960. M/s Saha Bros. who are also one of the applicants filed revision application under rule 54 and both these revision applications are under consideration.

विभिन्न राज्यों में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में एकरूपता

4935. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, लखनऊ और अहमदाबाद में आवश्यक खाद्य पदार्थों के मूल्यों में एकरूपता लाना सम्भव क्यों नहीं है; और

(ख) क्या बड़े नगरों में मूल्यों में एकरूपता लाने के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) विभिन्न खाद्य पदार्थों के मंडी मूल्य (i) सप्लाई के स्रोत और खपत केन्द्र के बीच दूरी तथा लाने-ले जाने में होने वाले खर्चे; (ii) किस्म में विभिन्नता, (iii) विपणन तथा विधायन लागत और देश के विभिन्न भागों में विचौलियों के लाभ में विभिन्नता और (iv) स्थानीय करों आदि विभिन्नता जैसे विभिन्न तत्वों के कारण स्थान प्रति स्थान भिन्न भिन्न होते हैं :

(ख) सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार बड़े शहरों सहित देश भर में आवश्यक खाद्यान्न समान निर्गम मूल्यों पर दे रही है ।

बम्बई और मद्रास में श्रमिक की अधिक मजूरी

4936. **श्री पी० आर० दास मुन्शी :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और मद्रास में श्रमिकों की मजूरी कलकत्ता या पश्चिम बंगाल में श्रमिकों की मजूरी की तुलना में अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). यदि कोई विशेष उद्योग और श्रमिक-वर्ग (उदाहरणार्थ अकुशल, अर्धकुशल आदि) निर्दिष्ट कर दिये जाएं तो तुलना व्यवहार्थ हो सकती है ।

बंगला देश के विस्थापितों के लिये त्रिपालों की खरीद ।

4937. **श्री पी० आर० दास मुंशी :** क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश के विस्थापितों के लिए देश भर में एक ही मूल्य पर त्रिपाल खरीदे हैं;

(ख) अब तक इनकी खरीद पर कितना रुपया खर्च हुआ है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में खरीदे गये त्रिपालों का मूल्य क्या है ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० श्रार० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा खरीदी गई त्रिपालों के मूल्य में विभिन्नता होती है, जो माल की किस्म और विभिन्न फर्मों द्वारा प्रस्तावित वितरण के अनुसार होती है;

(ख) लगभग 89.33 लाख रुपये।

(ग) पश्चिम बंगाल में स्थित फर्मों को त्रिपालों के लिए दिए गए आर्डरों का मूल्य 54, 97,619 रुपये हैं।

डोनीमलाई लोह श्रयस्कर परियोजना, मंसूर में कर्मचारियों की छंटनी

4938. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम श्रौर पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि जनवरी, 1971 से डोनी मलाई लोह अयस्क परियोजना मैसूर में 537 कर्मचारियों की छंटनी की गई;

(ख) क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि कर्मचारी संघ के 14 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपनी मजदूर संघ गतिविधियों के कारण या तो बर्खास्त कर दिया गया या मुअत्तिल कर दिया गया था;

(ग) क्या कर्मचारियों को परियोजना प्रबन्धकों के विरुद्ध दमन और मजदूर विरोधी नीति के सम्बन्ध में गम्भीर शिकायत थी; और

(घ) क्या मालिक-नौकर सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए कोई कदम उठाए जायेंगे ?

श्रम श्रौर पुनर्वास मन्त्री (श्री श्रार० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना मिली है कि कदाचार के कारण पांच श्रमिकों को पदच्युत किया गया था।

(ग) और (घ). कुछ आरोप लगाये गये हैं जिनकी जांच की जा रही है।

Self-Sufficiency in Di-amonia Phosphate and its effect od Fertility of Soil

4939. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether fertility of soil increases on permanent basis by the use of chemical fertilizer named diamonia phosphate;

whether the above fertilizer was imported from abroad and its import has now been stopped; and

(c) whether Government have set up any new factory to produce the same kind of Fertilizer to meet its requirement in order to make the country self-sufficient in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh): (a) Diammonium phosphate (18-46-0) contains both nitrogen and phosphorus. In case of nitrogen the

residual value is very small because most of it (nitrogen) is either taken up by the crop or lost by leacking and through denitrification etc. The recovery of fertilizer phosphorus by a crop planted immediately after application is usually of the order of 10 to 30 percent and the amount not recovered in the crop is of value to succeeding crop. The residual phosphorus remain partially available to plants for several years and is taken by plants if root and moisture contacts with the phosphorus are adequate.

(b) Contracts have been placed for import of 1,59,500 tonnes of diammonium phosphate from USA and Canada for use during Rabi, 1971-72. A further quantity of 200,000 tonnes of diammonium phosphate is also being imported for use in Kharif, 1972.

(c) At present the Gujarat State Fertilizer Ltd., is producing di-ammonium phosphate in the country. For making the country self-sufficient in N-P fertilizers efforts are being made to set up fertilizer factories to produce various types of N-P and NPK fertilizers.

आन्ध्र प्रदेश में कृषि विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता

4940. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से कृषि विकास के लिये प्रस्तावित योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या चितूर तथा आदिलाबाद नामक दो जिले इन योजनाओं में शामिल नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन दोनों जिलों को भी उक्त योजना में शामिल करने के लिये कार्य-वाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) परियोजना के अन्तर्गत किसानों आदि को ऋण के रूप में दिये जाने वाला कुल परिव्यय तथा विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सहायता निम्नलिखित होगी :—

(लाख रुपये में)

	कार्यक्रम का ब्यौरा (जिसके लिये ऋण दिया जाता है)	कुल परिव्यय	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता।
1.	लघु सिंचाई	2000.00	1050.00
2.	भूमि समतलन	735.00	393.00
3.	ट्रैक्टर तथा अतिरिक्त पुर्जे	339.00	359.25
4.	ट्रैक्टर उपस्कर	175.00	6.75
5.	भूमिगत जल निदेशालय के लिये परामर्शदात्री सेवा में।	25.00	18.00
6.	भूमि बैंक के लिये परामर्शदात्री सेवायें।	6.00	3.00
	योग	3380.00	1830.00
			(दिया 244 लाख डालर)

(ख) राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना क्षेत्र में चितूर तथा आदिलाबाद के जिले सम्मिलित नहीं किये गये हैं।

(ग) यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा पहले ही स्वीकृत कर दी गई है, इसलिये इस अवस्था में इन दो जिलों को सम्मिलित करने का प्रश्न ही नहीं होता।

त्रिचूर स्थित अलगप्पा टेक्सटाइल मिल्स का बन्द होना

4941. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अलगप्पा टेक्सटाइल मिल्स, त्रिचूर केरल के बन्द होने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे कुल कितने श्रमिक बेरोजगार हुए हैं;

(ग) क्या उक्त मिल के प्रबन्धकों ने श्रमिकों के भविष्य निधि के अंशदान के लाखों रुपये सरकार के पास जमा नहीं कराये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस मिल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेन्शन निधि अधिनियम 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इसका केन्द्रीय सरकार से सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है;

(क) और (ख). प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, केरल ने सूचित किया है कि मेसर्स अलगप्पा टेक्सटाइल (कोचीन) लिमिटेड, त्रिचूर 2 अक्तूबर, 1970 से 11 अक्तूबर, 1970 तक बन्द रही। इसमें मार्च, 1971 में 1497 व्यक्ति काम करते थे।

(ग) जी हां, 30 अप्रेल, 1971 को नियोजकों और श्रमिकों के अंशदानों के हिस्सों की 12.59 लाख रुपये की भविष्य निधि की राशि बकाया थी।

(घ) नियोजक पर दोष करने के कारण मुकदमा चलाया गया है। प्रतिष्ठान के विरुद्ध राजस्व वसूली कार्यवाही भी शुरू की गई है। केरल सरकार ने कारखाने को, कुछ शर्तों के साथ, 25,000 रु० की मासिक किस्तों में बकाया राशि अदा करने की सुविदा प्रदान की, परन्तु प्रतिष्ठान ने अदायगी नहीं की। केरल सरकार से प्रार्थना की गई है कि वह अपने उस आदेश को रद्द कर दें जिसमें कारखाने को किस्तों की सुविधा दी गई है, ताकि संगठन कानूनी कार्यवाही शुरू कर सके।

पार्वती टैक्सटाइल मिल्स, क्विलोन, का बन्द होना तथा कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा का भुगतान न किया जाना

4942. **श्री एम० के० कृष्णन् :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पार्वती टैक्सटाइल मिल्स क्विलोन को हाल ही में बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या इस मिल ने कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान तथा कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान की 12 लाख रुपये की राशि सरकार के पास जमा नहीं की; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उक्त मिल के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राजकीय बीमा योजना की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड और कर्मचारी राजकीय बीमा निगम से है, जो क्रमशः कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेन्शन निधि अधिनयम, 1952 और कर्मचारी राजकीय बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित किये गये हैं, और इससे केन्द्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि और कर्मचारी राजकीय बीमा निगम प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है:–

(क) अमले के सदस्यों को छोड़ कर, पार्वती टेक्सटाइल मिल्स, क्विलोन के सभी श्रमिकों को 28-4-1971 से जबरी छुट्टी दे दी गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि

अप्रैल, 1971 तक, कारखाना लगभग 3.28 लाख रु० की देय राशि के सम्बन्ध में दोषी था। कारखाने ने केरल की राज्य सरकार से एक आदेश प्राप्त किया जिसके द्वारा उसे अप्रैल, 1969 तक की बकाया राशि को 8,000 रु० प्रतिमाह की किस्तों में चालू अंशदान सहित भेजने की व्यवस्था थी। केरल सरकार द्वारा दी गई किस्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, नियोजक के विरुद्ध बकाया राशि वसूल करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। कारखाना दुबारा खुलने के बाद स्थिति की समीक्षा की जानी है।

कर्मचारी राजकीय बीमा निगम

नियोजक, कर्मचारी राजकीय बीमा अधिनियम के अधीन देय अंशदान की लगभग 1.30 लाख रु० की अदायगी के सम्बन्ध में दोषी है। सितम्बर, 1970 के बकाया अंशदान की वसूली के लिए पहले ही कानूनी कार्यवाही की जा चुकी है। इससे अगली अवधि के लिए कार्यवाही की जानी है।

वन विकास परियोजनाओं पर खर्च

4943. **श्री पी० गंगा रेड्डी :**
श्री देवेन्द्र सिंह गारचा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन विकास परियोजनाओं पर पांच वर्ष में व्यय के लिये 95.04 करोड़ रुपये की एक योजना का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को कितनी-कितनी राशि आवंटित की जायेगी तथा इस आवंटन का आधार क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में कितना-कितना वन्य क्षेत्र है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित वन विकास योजनाओं के लिए 95.04 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस राशि में से राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा 90 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उनके द्वारा सम्मिलित की गई महत्वपूर्ण योजनाएं ये हैं—औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोग के लिए मितव्ययी बागान लगाना, शीघ्र उगने वाली किस्मों का पौदरोपण, उजड़े वनों को फिर से ठीक ठाक करना, फार्म वन एवं ईंधन पौदरोपण, लघु वन पदार्थों का विकास, वन यातायात का विकास, इमारती लकड़ी कार्य तथा वन्य प्राणि परिरक्षण। निम्नलिखित केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित वन योजनाओं के लिए 5.04 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं :–

केन्द्रीय योजनायें	(रुपये करोड़ों में)
1. वन अनुसंधान संस्थान सम्बन्धी योजनायें	1.75
2. वन संसाधनों का निवेशपूर्व सर्वेक्षण	1.52
3. लट्ठा निर्माण प्रशिक्षण केन्द्र	0.13
4. दिल्ली चिड़ियाघर	0.25
	3.65
केन्द्रीय प्रायोजित	
वन संसाधनों का सर्वेक्षण	1.39
	5.04

(ख) राज्य वन योजनाओं के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा 90 करोड़ रुपये की निर्धारित राशि को प्रदर्शित करने वाला विवरण 1 सभा पटल पर रख दिया गया है। राज्य का कुल वन क्षेत्र, उसके विकास की सम्भाव्यता, संसाधनों की उपलब्धि, विभिन्न क्षेत्रकों की प्राथमिकता आदि बातों को ध्यान में रखते हुए ही विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारण किया जाता है।

(ग) प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों में वन क्षेत्र प्रदर्शित करने वाला विवरण 2 भी सभा पटल पर रख दिया गया है।

[**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 668/71.]

किसानों को थ्रेशर खरीदने के लिये राज सहायता

4944. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष अप्रैल और मई में हुई असामयिक वर्षा के कारण गहाई से पहले ही अनाज खेतों में खराब हो गया; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को थ्रैशिंग मशीन खरीदने के लिये राज-सहायता देने की व्यवस्था कर रही है जिससे कि गहाई का समय एक मास से घट कर कुछ दिनों का ही रह जाये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों और कृषि-उद्योग निगमों से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

ग्रामीण शिक्षितों के लिये रोजगार कार्यालयों की सुविधा

4945. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी रोजगार कार्यालय देश के नगरीय केन्द्रों में ही स्थित हैं जिससे कि वे ग्रामीण शिक्षितों की आवश्यकतायें पूरी नहीं कर सकते; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभी विकास-खण्ड केन्द्रों में भी नाम दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). देश में शहरी क्षेत्रों में 481 रोजगार कार्यालय स्थापित हैं। इन सभी रोजगार कार्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवार स्वयं आकर अथवा डाक द्वारा अपने आपको पंजीकृत करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 188 रोजगार सूचना और सहायता केन्द्र केवल ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।

कलकत्ता की गोदियों में चौकीदारों का स्थायीकरण

4946. **श्री दिनेश जोरदार** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गोदी श्रमिक संगठन कलकत्ता की ओर से, कलकत्ता की गोदियों के चौकीदारों के स्थायीकरण की मांग करने वाला कोई अभ्यावेदन या ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर कोई निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विभिन्न सम्बन्धित से परामर्श लेकर इस मामले की जांच की जा रही है।

Storage of Pulses and Oil Seeds in Madhya Pradesh due to Increased Area Under Food-Grains Cultivation

4947. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the area under cultivation of pulses and oil seeds in Madhya Pradesh has been reduced as a result of expansion of area under foodgrains cultivation:

(b) if so, the extent thereof;

(c) whether the tendency of growing foodgrains is constntly on the increase despite the instructions issued by the Extension Agencies to the farmers to rotate cultivation of foodgrains and mini crops like groundnut or pulses;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) the steps proposed to be taken by Government to dispense with the possibility of shortage in the production of pulses and oil seeds ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh): (a) Athough there have been fluctuation in area under pulses and oilseeds from year to year, no definite trend is discernible.

(b) Does not arise.

(c) No such report has been received.

(d) Does not arise.

(e) Government are fully aware of the situation. The steps taken include (i) package approach in the cultivation of oil-seeds and pulses; (ii) taking up of Centrally Sponsored Schemes for the cultivation of oilseeds in potential areas; (iii) exploiting the non-traditional sources of edible oil by developing the cultivation of Soya-bean and Sunflower; (iv) systematic cultivation of minor oil-seeds, besides increasing availability of cotton-seed and rice bran oils; (v) increasing the area under pulses through introduction of short-duration pulses under multiple cropping and inter-cropping in major long duration crops; and (vi) intensification of research to evolve short duration high-yielding varieties of oil-seeds and pulses etc.

Central Loans to Madhya Pradesh For Agriculrural Purposes

4948. **Shri G. C. Dixit:** Will the Miaister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the amount of loans demanded by the Government of Madhya Pradesh for agricultural purposes during the years 1968-69 to 1970-71, year-wise;

(b) the amount of loans distributed through the cooperative societies during the said period, year-wise; and

(c) the outstanding amounts due to the Central Cooperative Banks and Primary Agricultural Societies in Madhya Pradesh yet to be realised during the years from 1968-69 to 1970-71 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia): (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b)

Year	Loans distributed by Primary Cooperative Societies (Rs. in lakhs)
1968-69	4036
1969-70 (Provisional)	4561
1970-71	The cooperative year ended only on 30-6-1971 and the figures will be avilable after about 6 months.

(c)

Year	Loans outstanding as on 30th June (Rs. in lakhs)	
	Central bank level	Primary Societies level
1968-69	6115	6290
1969-70 (Provisional)	6946	7032
1970-71	The Cooperative year ended only on 30-6-71 and the figures will be available after about 6 months.	

आवारा पशु और चौथी योजना में उनके द्वारा फसल को हुई अनुमानित हानि

4949. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में बहुत बड़ी संख्या में बेकार गाय और बैल आवारा फिरते रहते हैं और खाद्य फसलों को नष्ट करते रहते हैं;

(ख) गौशालाओं में प्रति वर्ष कितने आवारा पशुओं को रखा जा रहा है; और

(ग) चौथी योजना के दौरान आवारा पशुओं ने प्रति वर्ष अनुमानतया कितने मूल्य की फसलों को नष्ट किया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) आवारा पशुओं को गौशालाओं में नहीं रखा जाता । एक केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत उत्पादक पशु उन राज्यों के वास्तविक पशुपालकों को आवंटित किए जाते हैं जिनमें सामान्यतौर पर पशु कमजोर होते हैं । अनुत्पादक पशुओं को गौसदनों में भेज दिया जाता है । मार्च, 1970 तक कुल 23,962 उत्पादक पशु वितरित किए गए थे । इनमें गौशालाओं को प्रजनन के लिए दिए गए 102 पशु भी शामिल हैं । इनके अतिरिक्त 81,848 अनुत्पादक पशु गौसदनों में भेजे गए ।

(ग) आवारा पशुओं से फसलों को हुई क्षति की मात्रा के विषय में कोई ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के एक कर्मचारी की मृत्यु

4950. **श्री दशरथ देव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के एक कर्मचारी श्री सहदेव दास का पड़ा हुआ शव 17 जून, 1971 को दुर्गापुर इस्पात नगर के पास धनबाद गांव में एक तालाब में पाया गया था;

(ख) क्या सरकार ने श्री दास की मृत्यु के सम्बन्ध में कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). स्थानीय पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और इसकी अभी तपत्तीश की जा रही है ।

Workers' Education Scheme

4951. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether 30 Regional Centres under the Workers Education Scheme have been set up by the Central Board for workers' Education where training is imparted to the Labour Instructors of public and private institutions with a view to enabling them to educate the employees in regard to the development and increased production in industries:

(b) if so, whether any Act or rules governing the workers' Education Scheme have been framed; and

(c) the aims and objective of the scheme ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar): (a) The Central Board for Workers' Education has established 30 Regional Centres at different places in the country to implement the workers' Education Scheme. The syllabus includes topics relating to production, economic development, trade unionism, and other matters of interest to the workers.

(b) The Scheme is being implemented on a voluntry basis. No legislation has been enacted. However, the Board, as a registered "Society", has its own rules and regulations.

(c) The aims and objectives of the scheme are:

(i) To develop stronger and more effective trade unions through better trained officials and more enlightened members.

(ii) To develop leadership from the rank and file and promote the growth of the democratic process and tradition in the trade union organisation and administration.

(iii) To equip organised labour to take its place in a democratic society and fulfil effectively its social and economic functions and responsibilities.

(iv) To promote among workers a greater understanding of the problems of their economic environment and their privileges and obligations as union members and officials and as citizens.

Implementation of Recommendations of Cement Wage Board

4952. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the recommendations of the Cement Wage Board are being implemented; and

(b) if not, the steps proposed to be taken by Government for implementation thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar): (a) and (b). The recommendations of the Second Cement Wage Board are being implemented through the State Governments. According to the reports received from them, 33 units out of 41 have implemented the recommendations. Efforts continue to be made by the State Governments to persuade the remaining units also to implement the recommendations.

इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर में हड़ताल

4953. **श्री मनोरंजन हाजरा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर में सी० आई० टी० यू० के नेतृत्व में संयुक्त ठेकेदार कर्मचारी संघ द्वारा की गई एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख). इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने सूचित किया है कि "इस्को" के सी० आई० टी० यू० से संबंद्ध संयुक्त ठेकेदार कर्मचारी संघ ने 3-6-71 को हड़ताल का आव्हान किया था। संघ की मांग थी कि ठेकेदारों के श्रमिकों को कम्पनी की नौकरी में लिया जाये तथा ठेकेदारों के श्रमिकों को भी 240 रु० का वही न्यूनतम मासिक वेतन दिया जाए जिसकी सिफ़ारिश संयुक्त वेतन वार्ता समिति ने कम्पनी के कर्मचारियों के लिए की थी।

कारखाने के प्रबन्धक वर्ग के अनुसार कारखाने के सभी विभागों में काम सामान्य रूप से हुआ।

यह रिपोर्ट मिली है कि कम्पनी के कर्मचारियों तथा ठेकेदारों के श्रमिकों ने मिलकर, जिनकी संख्या लगभग एक सौ थी महाप्रबन्धक के कार्यालय के सामने आधे घंटे के करीब प्रदर्शन किया था।

(ग) यथावश्यक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी कारखाने के प्रबन्धकों की थी।

दुग्ध उद्योग का विकास

4955. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुग्ध उद्योग के विकास के लिए सरकार ने क्या अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम

बनाया है, इस कार्य से कौन कौन से सरकारी निकाय संबद्ध हैं, उक्त कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या है तथा इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) दूध को एकत्रित करने तथा अतिरिक्त दूध का उपयोग करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) डेरी के क्षेत्र में भूतपूर्व भारतीय डेरी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर में जो वर्ष 1925 में स्थापित हुई थी, ठोस कार्य किया गया है। उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाये गये विकास कार्यक्रमों के अनुरूप अनुसंधान कार्यवाहियों को बढ़ाया और तेज किया गया। वर्ष 1953 में एक नई संस्थान-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, स्थापित की गई और बंगलौर में संस्थान इसके दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में कार्य करती रही। बंगलौर में उप-केन्द्र के अतिरिक्त दो और केन्द्रीय क्षेत्र स्थापित किये गये जिनमें एक बम्बई में और दूसरा कलकत्ता के पास है। अपने उप-केन्द्रों के साथ नई संस्थान, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्रों में समस्याओं से नवीकृत अनुसंधान कर रही है जिनमें विदेशी नस्ल के समावेशन के द्वारा नस्लों का सुधार, जीवाणु विज्ञानीय और रसायन गुणस्तर के अनुरूप दुग्ध और दुग्ध उत्पादन की प्रक्रिया, खोया, छन्ना, श्रीखन्ड, दही आदि जैसे नवीनतर देमी उत्पाद का विकास, डेरी सज्जाकी, जो देश के अनुकूल हो, नई किस्म के क्रमिक विकास के साथ प्रक्रिया नियंत्रण का मानकी-करण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त संस्थान, क्षेत्र में विस्तृत कार्यवाहियों के माध्यम से परिणामों का भी पता लगता है।

दूसरी ओर, राज्य सरकारों सरकारी निकाय और निजी क्षेत्र के साहचर्य से, राष्ट्रीय योजना में संदर्शी समायोजन के द्वारा कृषि विभाग डेरी विकास कार्यक्रम का समन्वय कर रहा है। पंच वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत, देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए पशु और डेरी विकास कार्य-क्रमों को एक वड़ी संख्या में शुरू कर दिया है। खास योजनायें ये हैं :—

1. सघन पशु विकास परियोजनायें।
2. आदर्श ग्राम योजनायें।
3. स्थानीय पशुओं दुग्ध उत्पादन के लिए विदेशी विरासत के समावेशन के लिए दो नस्लीकरण की योजनायें।
4. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र।
5. दाना-चारा विकास योजनायें।
6. गोशाला विकास योजनायें।
7. बड़े पशु पालन फार्म और सांडों की सन्तान परीक्षण की स्थापना।
8. पशु पालन स्थानों में पशुओं के पंजीकरण की योजनायें।
9. 50,000 और उससे अधिक जन संख्या वाले नगरों के लिए दुग्ध वितरण की योजनायें।
10. कम जनसंख्या वाले शहरों को आवरण करने के लिए ग्रामीण डेरी केन्द्र।

वर्तमान समय में समस्त देश में 106 डेरी परियोजनायें कार्य कर रही हैं जिनका आयोजन और स्थापना केन्द्रीय सहायता के द्वारा किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सरकार दुग्ध पण्यन और डेरी विकास के लिए 95.40 करोड़ रुपये की लागत का एक बड़ा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिस से चार महानगरों अर्थात बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास की निजी क्षेत्र डेरियों में दुग्ध प्रक्रिया सुविधाओं में अब प्रतिदिन 10 लाख लिटर से पंच वर्ष योजना की अवधि के अन्त में 27.5 लाख लिटर की वृद्धि होगी और 10 राज्यों में स्थित इन नगरों के दुग्ध रूकत्रण क्षेत्रों से दुग्ध अधिप्राप्ति में भी वृद्धि होगी।

बड़े नगरों की दुग्ध योजनायें टोन्ड और डबल टोन्ड दुग्ध तैयार करती है और विशेषकर जनता के कमजोर वर्ग को कम कीमत पर दुग्ध वितरण करती हैं। यह दुग्ध आयातितस्किम दुग्ध चूर्ण से तैयार किया जाता है और विदेशी मुद्रा की स्थिति नाजुक होने के कारण आवश्यक रूप से सीमित रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा पूर्णतया आर्थिक सहायता प्राप्त एक योजना, तीन वर्ष के आयु तक के बच्चे को पोषक खाद्य प्रदान करने के लिए इस वर्ष चालू की है। जिन क्षेत्रों में जहां डेरी सुविधायें प्राप्त हैं खाद्य का एक भाग दुग्ध के रूप में बच्चों को सप्लाई किया जा रहा है ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के बेचने योग्य फालतू दुग्ध के एकत्रण और प्रयोग के लिए विभिन्न उपाय बर्ताव में लाये जा रहे हैं जो कि गावों में उत्पादन की मात्रा पर निर्भर है। सामान्य उपाय हैं (i) दुग्ध एकत्रण एवं ऐसेम्बलिंग केन्द्र (ii) दुग्ध प्रशीतन केन्द्र और (iii) प्रशीतित दुग्ध रोड टैंकरों से डेरियों पर ले जाना। वर्तमान नीति है कि दुग्ध की उपलब्ध सप्लाई डेरी स्वीकार करें। द्रव उपभोग के लिए दुग्ध के निपटान के पश्चात् डेरियों के पास फालतू दुग्ध रह जाता है जो कि उपभोक्ताओं से वापिस किये हुए दुग्ध के रूप में भी होता है। जिसके कारण उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुत सी डेरियों के पास फालतू दुग्ध को दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, घी, पनीर आदि उपयोग में लाने के लिए सामानसज्जा है। मौसमी फालतू दुग्ध के उपयोग के लिए विकास तकनीकी दृष्टि से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में 35.54 करोड़ रु० की लागत का एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना इस कार्य के लिए अपनाई है जो बंगलौर डेरी दुग्ध उत्पाद कारखाना विजयवाडा, दूध सागर डेरी, महसाना सरकारी दुग्ध परियोजना, कटक, इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद, हरिणघाट डेरी, हरिणघाट, वोर्लि डेरी, बम्बई, सरकारी दुग्ध प्लान्ट, अमृतसर और सरकारी दुग्ध परियोजना पटना, नौ डेरियों पर कार्य करेगी। परियोजना का परिणाम चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त में प्राप्त होगा।

दुधारू पशुओं की संख्या और उनकी नस्ल सुधारने के लिए कार्यवाही

4957. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दुधारू पशुओं की कुल संख्या कितनी है और उनमें कितने लाभप्रद और कितने अलाभप्रद हैं;

(ख) अखिल भारतीय और राज्यवार दूध का उत्पादन विकसित देशों की तुलना में औसतन कितना है और देश में दूध की प्रति व्यक्ति खपत की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) डेरी उद्योग को आत्म निर्भर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 10वीं पशुधन गणना (1966) के अनुसार 3 वर्ष की आयु से बड़ी प्रजनन व दूध उत्पादन योग्य गायों की संख्या 467.8 लाख थी। इसकी तुलना में भैंसों की संख्या 233.6 लाख थी। सन् 1947 में कृषि विभाग द्वारा स्थापित की हुई पशु अनुरक्षण और विकास समिति का यह अनुमान था कि कुल पशुधन आबादी का 7 प्रतिशत उत्पादन योग्य नहीं था जबकि 3 प्रतिशत पशु बेकार थे।

(ख) तीन विवरण सभापटल पर रख दिये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 669/71]

(ग) डेरी उद्योग के विकास के लिए राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं में पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। तरल दूध की सप्लाई और दुग्ध पदार्थ बनाने के लिए डेरियां स्थापित की गई हैं। प्राथमिक उत्पादकों द्वारा उत्पादित दूध के लिए बिक्री को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कदम उठाये गये हैं। कुछ मुख्य योजनायें नीचे दी गई हैं :—

1. गहन पशुधन विकास परियोजना।
2. मुख्य ग्राम योजना।
3. स्थानीय पशुओं में दूध उत्पादन के लिए विदेशी पैत्रिकता आरम्भ करने के लिए संकर प्रजनन योजना।
4. कृत्रिम वीर्य संचन केन्द्र।
5. दाना-चारा विकास योजनायें।
6. गौशाला विकास योजनायें।
7. बड़े पशु प्रजनन फार्म और सांडों के सन्तति परीक्षण के लिये फार्मों की स्थापना।
8. प्रजनन क्षेत्रों में समूह पंजीकरण योजनायें।
9. 50,000 या उससे अधिक आबादी वाले शहरों के लिये दूध वितरण योजनायें।
10. कम आबादी वाले शहरों की दूध सप्लाई की पूर्ति के लिए ग्रामीण डेरी केन्द्र।

शरणार्थियों की सहायता सामग्री के वितरण पर मतभेद

4958. **श्री जी० वेंकटास्वामी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल के भूतपूर्व शरणार्थी तथा पुनर्वास मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता हवाई अड्डे पर डिलीवर की गई विदेशी

सहायता सामग्री के नियतन और वितरण पर संघ और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों के बीच मतभेद पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इन मतभेदों को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) विदेशी सहायता सामग्री का नियतन किस प्रकार किया जा रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): भारत सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पश्चिम बंगाल सरकार के भूतपूर्व राहत तथा पुनर्वास मंत्री ने इस प्रकार का कोई वक्तव्य दिया है किन्तु विदेशी सहायता सामग्री के नियतन और विवरण पर संघ और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों के बीच कोई मतभेद नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विदेशी राहत सामग्री का नियतन विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर और उनके परामर्श से किया जाता है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा बिहार में की गई खरीद

4959. **श्री नवल किशोर सिंह**: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम बिहार से भी खरीद करता है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में उसने किन जगहों से तथा कौन-कौन सी वस्तुओं की खरीद की; और

(ग) उनका मूल्य क्या था ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) जी, हां

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है:—

खरीफ 1970-71

धान	2553 मीटरी टन
चावल	25273 ,, ,,

रबी 1971-72

गेहूं	5325 मीटरी टन
मसूर दाल	387 ,, ,,

विवरण

चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने जिन जिलों में खरीदारी की है—सम्बन्धी विवरण।

चावल	धान	गेहूं
रांची	धनबाद	शाहबाद
सिंहभूम	गया	दरभंगा
धनबाद	शाहबाद	चम्पारण
पटना	संथाल परगना	
गया	भागलपुर	
हजारी बाग	दरभंगा	
पलामऊ	चम्पारण	
शाहबाद	पूर्णिया	
संथाल परगना	सहरसा	
भागलपुर		
मुँगेर		
मुज़फ्फ़रपुर		
दरभंगा		
चम्पारण		
सारन		
पूर्णिया		
सहरसा		

राज्यों को यूरिया उर्वरक का वितरण

4960. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात की इंडियन फार्म फर्टिलाइजर को-आपरेटिव कारपोरेशन द्वारा बनाये गये नाइट्रोजन बहुल यूरिया उर्वरक उत्तर भारत के केवल 10 राज्यों में वितरित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो देश के अन्य राज्यों के सम्बन्ध में क्या किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लि० एक पंजीकृत सहकारी संस्था है, जो उर्वरक जिसमें 400,000 मीटरी टन यूरिया और 4000,000 मीटरी टन एन पी के उर्वरक भी शामिल हैं, तैयार करने के लिए गठित की गई है। आशा है कि तमिल नाडु, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र के 10 राज्यों के शीर्ष विपणन

परिसंघ द्वारा उत्पादित उर्वरकों के क्रय-विक्रय का कार्य हाथ में लेंगे । इफ्फको द्वारा शीर्ष परिसंघों के साथ जो विपणन समझोते किए गए हैं उनके अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा इफ्फको की अंश पूंजी में दिए गए अंशदान के समानुपात में परिसंघों को उर्वरकों का नियतन करने का इरादा है; इफाको को अन्य प्रबन्ध करने के लिये स्वतंत्र है, यदि शीर्ष परिसंघों को आवंटनों की जरूरत नहीं है अथवा उनके द्वारा उठाए नहीं जाते हैं;

ये 10 राज्य मोटे तौर पर इफाको के प्राकृतिक विपणन क्षेत्र में आते हैं; फिर भी यदि सम्भाव्य तथा आवश्यक हो तो अन्य राज्यों के शीर्ष परिसंघों को भी सदस्य बनने पर कोई रोक नहीं है ।

इफ्फको नाइट्रोजन बहुल यूरिया की एक-मात्र विनिर्माता तथा उर्वरक नहीं है । इस प्रकार के उर्वरक राज्य को अन्य विनिर्माताओं तथा केन्द्रीय उर्वरक पूल से भी सुलभ हैं ।

कूच-बिहार से धान और चावल की वसूली तथा पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले को खाद्यान्नों की सप्लाई

4961. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम पश्चिम बंगाल के कूच-बिहार जिले में स्थानीय बाजार से धान अथवा चावल की अपेक्षित मात्रा वसूल नहीं कर सका;

(ख) यहि हां, तो चालू वर्ष के लिये कितना धान और चावल वसूल किया गया तथा कूच-बिहार जिले के लिये खाद्यान्नों की कितनी संभाव्य कमी हुई;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने जिला कूच-बिहार और पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों को खाद्यान्नों की संभाव्य कमी को पूरी करने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न सप्लाई करने का निर्णय किया है और खाद्यानों की इस मात्रा का जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) चालू खरीफ वर्ष में कूच-बिहार जिले के लिए 15,000 मी० टन के अधिप्राप्ति समय के प्रति अब तक चावल के हिसाब से 5.8 हजार मी० टन की वास्तविक अधिप्राप्ति की गई है । अनुमान है कि चालू वर्ष के दौरान कूच-बिहार में सरकारी वितरण के लिए 13,000 मी० टन चावल की आवश्यकता पड़ेगी । इसमें पूर्वी बंगाल से आए विस्थापितों की आवश्यकताएं शामिल नहीं है ।

(ग) और (घ). पश्चिमी बंगाल सरकार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय खाद्य निगम के पश्चिमी बंगाल में स्थित डिपो को गेहूं का पर्याप्त स्टाक भेजने के लिए प्रबन्ध किए गए हैं । पश्चिमी बंगाल में स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपो से राज्य के विभिन्न जिलों

को चावल और गेहूं दोनों की निर्मुक्ति राज्य सरकार द्वारा किए गए आवंटनों के आधार पर की जाती है। पश्चिमी बंगाल की सरकार दोनों स्थानीय अधिप्राप्ति तथा केन्द्रीय पूल से प्राप्त सप्लाई से कूच-बिहार में खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक रख रही है। किसी भी जिले की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में किसी कठिनाई के पैदा होने की परिकल्पना नहीं की जाति है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सहकारी चावल मिलों को दिये गये विशेषाधिकार और सुविधाएं

4962. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को कोई ऐसे विशेष अनुदेश दिये हैं कि वह चावल की वसूली करते समय सहकारी चावल मिलों का विशेष ध्यान रखे;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम देश की सहकारी चावल मिलों को कोई विशेष विशेषाधिकार और सुविधाएं देता है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और चावल मिलों और सहकारी चावल मिलों में भेद करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिए हैं कि वे अपने विभिन्न कार्यपालनों में सहकारी चावल मिलों, जहां कहीं वे हों, सहित सहकारी समितियों का प्रयोग करें और उन्हें आपस में तय की गई शर्तों पर वित्तीय सहायता दें।

(ख) जी नहीं। तथापि, भारतीय खाद्य निगम धान की अधिप्राप्ति तथा अधिप्राप्त धान की मिलिंग के लिए सहकारी चावल मिलों को अपने एजेन्ट के रूप में नियुक्त करने में तरजीह दे रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

माना शिविर कर्मचारी संघ को मान्यता दिया जाना

4963. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माना शरणार्थी पुनर्वास शिविर समूह के कर्मचारियों ने अपने संघ को मान्यता प्राप्त पुनर्वास कर्मचारी संघ की शाखा के रूप में मान्यता देने के लिये मन्त्रालय से अनुरोध किया है;

(ख) क्या यह मामला बहुत दिनों से विचाराधीन पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). मामले पर सरकार द्वारा सक्रिय विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिये जाने की आशा है ।

पूर्ति मंत्रालय में ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन

4964. **श्री के० लकप्पा :** क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को विभिन्न वस्तुओं की सप्लाई के लिये उनके मंत्रालय में कितने ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन किया गया है; और

(ख) उनका विवरण क्या है ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) 30-6-71 को पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में पंजीकृत फर्मों की कुल संख्या 4202 थी ।

(ख) 1-1-1963 तक शोधित दो खंडों में प्रकाशित एक पुस्तिका, जिसमें पंजीकृत पूर्तिकर्ताओं के ब्यौरे दिए गए हैं, अप्रैल, 1970 में संसद-पुस्तकालय को भेज दी गई थी । फ़र्मों की एक अद्यतन सूची छप रही है और वह यथा समय संसद-पुस्तकालय को भेज दी जायगी ।

मनीपुर में उपभोक्ता, सहकारी समितियों के व्यापार में गिरावट

4965. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मनीपुर की अधिकतर उपभोक्ता सहकारी समितियों के व्यापार में गिरावट आती प्रतीत हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस गिरावट के क्या कारण हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो कितनी उपभोक्ता सहकारी समितियां संतोषजनक रूप में और कितनी असंतोषजनक रूप में काम कर रही हैं; और

(घ) इन उपभोक्ता सहकारी समितियों का सहकारी विभाग द्वारा किस प्रकार पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन किया जाता है ?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क), (ख) व (ग) : 61 उपभोक्ता सहकारी समितियों में से, 31 भंडार, जिनमें एक थोक भंडार भी शामिल है, संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं । शेष 30 प्राथमिक भंडार निष्क्रिय हैं ।

इसके लिए ये कारण रहे हैं : पर्याप्त कार्यकर पूंजी का अभाव और परिणाम स्वरूप कम बिक्री होना, निजी व्यापार की प्रतियोगिता और उचित प्रबन्ध का अभाव । इन कमियों को दूर

करने के लिए जो कार्यवाही की गई है उनमें ये शामिल हैं : चल सकने की सम्भावना वाली समितियों की कार्यकर पूंजी के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देना, व्यापार में विविधता लाना, और बेहतर प्रबन्ध तकनीकों के माध्यम से उनके कार्यकरण में सामान्य सुधार लाना।

(घ) मणिपुर प्रशासन के क्षेत्र कर्मचारी प्राय: समितियों का दौरा करते हैं और आवश्यक सलाह तथा मार्गदर्शन देते हैं।

खाद्यान्न, दाल, आलू और सब्जी में मनीपुर की आत्म निर्भरता

4966. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई प्रकार की दालों, आलू, प्याज तथा अन्य खाद्य पदार्थों का बड़ी मात्रा में मनीपुर में उपपोग हेतु आयात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो, मनीपुर को इन वस्तुओं के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में मनीपुर में कितने मूल्यों की सब्जियों का उत्पादन हुआ तथा कितने मूल्य को सब्जियां बेची गई और इससे प्रति वर्ष कितनी आय होने का अनुमान है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). मणिपुर प्रशासन से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

फलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये केन्द्रीय सहायता

4967. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :**
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विभिन्न प्रकार के पत्तों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में विभिन्न प्रकार की किस्मों के फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों को केन्द्र की ओर से कितनी सहायता दी गई है;

(ग) इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों द्वारा क्रियान्वित की गई योजनाओं का, राज्यवार, प्रमुख ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में बहुत सारी जनसंख्या में कुपोषण को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) केवल गत तीन वर्षों के उत्पादन अनुमान उपलब्ध हैं जो नीचे दिए गए हैं:–

वर्ष	उत्पादन ('000 मीटरी टनों में)	
	केला	पपीता
1967-68	3203.3	213.4
1968-69	3125.4	205.7
1969-70	3105.3	अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों ने नए फलोद्यान लगानें सन्तति-फलोद्यान-एवं नर्सरियों की स्थापना करने, मालियों को प्रशिक्षण देने और सधन खेती से मौजूदा फलोद्यानों का पुनर्नवीकरण करने की योजनायें शुरू की हैं। इस समय केन्द्रीय सरकार तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करती है। फलोत्पादन के लिये कोई केन्द्रीय योजना नहीं हैं। राज्य सरकार को वित्तीय सहायता योजना के सामूहिक अनुदानों के अन्तर्गत दी जाती है। इसके अतिरिक्त असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने कृषि पुनर्वित्त निगम से वित्तीय सहायता प्रदान कराने के लिये राज्म क्षेत्र में फलों की विभिन्न फ़सलों से सम्बन्धित योजनायें शुरू की हैं। मन्त्रालय ने राज्य सरकारों से सेव के लिए 1,500 रुपये प्रति एकड़, अन्य पहाड़ी फलों के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़, अंगूर के लिए 3,000 रुपये प्रति एकड़, अन्न फलों के लिए 500 रुपये प्रति एकड़ और केले तथा अनन्नास के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से नए फ़लोद्यान लगाने के लिए एक लम्बी अवधि के ऋणों की व्यवस्था करने की सिफ़ारिश की गई है।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदमों में सम्बन्धित राज्यों के परामर्श से फलों (केला, आम और अनन्नास) के उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

Stress on use of Organic Manure for Increased Agricultural Production

4963. **Shri Narendra Singh Bist:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether an agricultural expert of the Asian Centre at the Michigan State University has said that Asian countries should leave relying on western fertilisers and insecticides and that they can increase agricultural production by improving the present agriculture system based on organic manure;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government to benefit from the said system ?

The Minister of State in the Ministery of Agriculture (Shri Sher Singh): (a) to (c). The views expressed by the agricultural expert of the Asian Centre at the Michigan State

University have not come to the notice of the Government. It may, however be stated that in India, the use of both organic manures and chemical fertilizers is recommended for the successful growing of crops. While organic manures have beneficial effects on improving the physical and biological conditions of the soil but these are low analysis having plant nutrients is not readily available form. The quantities of organic manures available are also limited.

In order to meet the large demands of readily available plant foods for intensive agriculture when stress is being laid on getting very high yields by having maximum growth rate per unit area per unit time, the use of fertilisers which contain plant nutrients in concentrated and readily available form is essential. The use of fertilizers also help in sustaining the productivity of the soils from which large quantities of plant nurrients are removed as a result of the removal of big crop harvests. During the Fourth Five Year Plan it is estimated that the increased use of fertilizers along with high-yielding varieties of seeds would contribute about 22 million tonnes out of 29 million tonnes of extra foodgrain production. It would thus be seen that the greater use of fertilizers is indispensable in modern agriculture when large crop yields are to be obtained for meeting the food and fibre requirements of growing population.

Allotment of Land to Landless Adivasis and Harijans

4969. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the percentage of landless Adivasis and Harijans allotted land through-out the country together with the acreage thereof;

(b) whether the possession of the land so distributed has been registered in their name: and

(c) the action proposed to be taken by the Government to accelerate the pace of this work in future ?

The Miuister of State in the Minisrry of Agriculture (Shri Sher Singh): (a) to (c). The required information is being collected from the State Governments and will be placed on the Table of the Lok Sabha when received.

इस्पात बनाने के जापानी तरीके का भारत में अपनाया जाना

4970. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जापान ने समूचे आयात किये गये लौह अयस्क और मैंगनीज से लोहे तथा इस्पात का एक विशाल उद्योग कायम किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केरल जैसे स्थानों पर, जहां ऐसे उद्योगों की अत्यन्त आवश्यकता है, लोहे तथा इस्पात के कारखाने स्थापित करने के लिये जापान के इस्पात बनाने के तरीके को अपनाने की सम्भावनाओं पर विचार किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) सरकार को मालूम है कि जापान ने लौह खनिज, कोयले, मैंगनीज़ खनिज आदि कच्चे माल के अधिकांशतः आयात के आधार पर एक विशाल लोहा और इस्पात उद्योग कायम किया है ।

(ख) सरकार को यह भी मालूम है कि जापान ने प्रौद्योगिकी और कार्य कुशलता में कितनी उन्नति की है । चूंकि भारत स्वयं लौह खनिज, मैंगनीज आदि का काफी बड़ी मात्रा में निर्यात करता है अतः भारत के लिये यह ज्यादा जरूरी है कि वह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जापान का अनुकरण करे बजाय इसके कि हमारे देश में इस्पात उद्योग आयातित कच्चे माल पर निर्भर रहें । जहां तक देश में ऐसे कच्चे माल की उपलब्धि सुलभ है हमें इसके लाभ को खोना नहीं चाहिए । फिर भी सरकार केरल राज्य को रद्दी लोहे से इस्पात बनाने वाली 50,000 टन की क्षमता की विद्युत भट्टी स्थापित करने में सहायता दे रही है ।

आधुनिक उद्योगों में चीनी मिट्टी का उपयोग

4971. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के आधुनिक उद्योगों में चीनी मिट्टी, शोधित और अशोधित, का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है;

(ख) 1970-71 में कितने टन सफेद चीनी मिट्टी खोदी गई;

(ग) क्या सरकार के इस खनिज पदार्थ की निर्यात क्षमता की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार (1) उक्त वर्ष में कितनी सफेद चीनी मिट्टी खोदी गई, (2) इस खनन कार्य में कितने श्रमिक लगाये गये (3) कुल बिक्री गत वार्षिक मूल्य सम्बन्धी राज्यवार आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) चीनी मिट्टी प्रमुखतः चीनी मिट्टी के बर्तनों, उपासहों, पेपर की भराई के रूप, कपड़ा और रबर उद्योगों के विनिर्माण में उपयोग में लाई जाती है । इसका प्रयोग कीटनाशी औषधि, रंगों, औषध-निर्माण सम्बन्धी, शीशे, सौन्दर्य प्रसाधनों, त्वचाप्रवर्धक उद्योगों इत्यादि में, उर्वरक उद्योग में मिश्रण के रूप में भी सारवान मात्रा में किया जाता है ।

(ख) 1970 के दौरान और जनवरी से मार्च 1971 की कालावधि के लिए विक्रय योग्य अपस्कृत चीनी मिट्टी का उत्पादन क्रमशः 2,10,795 और 71,166 टन था । उसी कालावधि के दौरान प्रक्रियागत चीनी मिट्टी का उत्पादन क्रमशः 96,849 और 29,310 टन था ।

(ग) चीनी मिट्टी अल्प मात्रा में निर्यात की जा रही है । निर्यात के आंकड़े उपावंध-एक में दिए गए हैं । चीनी मिट्टी के निम्नस्तर के निर्यात का कारण यह है कि चीनी मिट्टी को कंकरी मुक्त करने के लिए अधिकांश खान मालिकों द्वारा अपनाए गए परिष्करण की पद्धतियां उच्च मानक की नहीं है ।

(घ) 1969 से 1971 (जनवरी से मार्च तक) के दौरान विक्रय योग्य अपरिष्कृत चीनी मिट्टी का राज्य-वार उत्पादन और उसका मूल्य एवं प्रक्रियागत चीनी का उत्पादन उपाबन्ध दो और तीन में दिया गया है।

1969 के दौरान नियोजित श्रमिक उपाबन्ध चार में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 670/71]

उत्तरी केरल में चूना पत्थरों के निक्षेप

4972. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्फाटक चूना पत्थर का आधुनिक औद्योगिक प्रयोग क्या है।

(ख) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्थान ने उत्तरी केरल में इस खनिज पदार्थ के किसी निक्षेप का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो अनुमानतः इन निक्षेपों की मात्रा कितनी है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) क्राइस्टा-लाइन चूना पत्थर धातुकार्मिकी में स्पन्द के रूप में, कार्बाइड बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा है और साधारणतः उन समस्त उद्योगों में प्रयोग किया जा सकता है जहाँ कच्चे माल को "फाइनली ग्राउन्ड फार्म (अर्थात् पोर्टलैण्ड सीमेन्ट)" अथवा स्पन्द चूना को प्रतप्त किया जाता है। इसको आलंकारिक प्रस्तर और सन्निर्माण सामग्री में समुच्चय के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है और सड़क में रोड़ी डालने और रेल रोड़ बालास्ट इत्यादि में भी प्रयुक्त होता है।

(ख) और (ग). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में किए गए अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप पण्डरेट्टू में लगभग 4 लाख टन और केरल में पालघाट जिले के वन्नमडाइ में 59000 टन क्राइस्टालाइन चूना पत्थर की अनांतिम उपलभ्य राशियों का अनुमान किया गया है।

मुर्गी पालन, सूअर पालन और पशु धन के लिये पूंजी निवेश योजना का प्रभाव

4973. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुर्गी पालन, सूअर पालन की और पशु धन विकास सम्बन्धी योजनाओं में पूंजी लगाने के परिणामस्वरूप अब तक क्या महत्वपूर्ण प्रभाव देखे गये हैं;

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने के पश्चात् इन योजनाओं पर कुल कितनी पूंजी लगाई गई है; और

(ग) औसत भारतीय के प्रति व्यक्ति दैनिक भोजन में यदि किसी पोष्टिक आहार की वृद्धि हुई है तो कितनी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) मुर्गी पालन और पशुधन विकास के लिये योजनाओं पर विनियोजन के परिणामस्वरूप, अन्य बातों के साथ-साथ 1968-69 में दूध और अंडा उत्पादन का स्तर क्रमशः 212 लाख मीटरी टन और 53000 लाख अंडे तक पहुंच गया। मुर्गी पालन और पशुधन विकास की योजनाओं पर विनियोजन के परिणाम से महत्व-पूर्ण प्रभावी के मूल्यांकन के लिये अभी तक कोई क्रमवद्ध सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, विभिन्न पशुविकास कार्यक्रमों को आरम्भ करने से, जिन में प्रजनन के और दाना चारा उत्पादन के सुधरे तरीके और रोग निमन्त्रण शामिल हैं, सन्तोषजनक परिणाम दिखाये हैं। मुर्गी पालन विकास कार्यक्रम ने आबादी के एक बड़े भाग को, विशेषकर समाज के निर्धन वर्ग को पूर्णकालिक और अंश कालिक रोजगार सुविधाओं की व्यवस्था की है। सूअर विकास कार्यक्रम के अधीन, 7 बेकन फैक्टरियां बनाई गई हैं। बेकन फैक्टरियां कृषकों द्वारा पाले गये सूअरों को स्वस्थ और गुणयुक्त सूअर मांस और सूअर उत्पाद के अतिरिक्त, लाभप्रद मंडी की व्यवस्था करती है।

(ख) प्रथम पंच वर्षीय योजना के आरम्भ से अब तक मुर्गी पालन और सूअर पालन सहित पशुधन विकास पर कुछ विनियोजन निम्न प्रकार है:–

	(रुपये करोड़ों में)
प्रथम पंच वर्षीय योजना	8.82
दूसरी ,, ,,	21.42
तीसरी ,, ,,	43.40
वार्षिक योजना 1966-69	34.00
चौथी पंच वर्षीय योजना	
1969-70	8.64
1970-71	13.46
जोड़	129-14

(ग) मांस, फल और सब्जियों जैसे कुछ पोषक खाद्यों के उत्पादन के अनुमानों की अनुपस्थिति में, प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक खाद्य में तत्वों की औसत पोषक वृद्धि के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि 1968-69 में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन औसत दूध उपलब्धि लगभग 105 ग्राम थी।

तमिलनाडु राज्य में बौक्साइट अयस्क से आय

4974. **श्री जी० भुवाराहन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु (सलेम जिला) के येरकौड स्थित केन्द्र द्वारा जो गैर-सरकारी क्षेत्र में है बौक्साइट अयस्क से कुल कितनी आय हो रही है;

(ख) यह राशि किस आधार पर एकत्र की जा रही है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने गैर-सरकारी माध्यम से विदेशों में इस बौक्साइट का निर्यात करके कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) इस समय, येरकौड गांव (जिला सलेम) तमिलनाडू में शेवाराय बौक्साइट खानें नाम की केवल एक ही खान है जिसमें मद्रास अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेट द्वारा कार्य किया गया है । इस खान से प्रेषित बौक्साइट की कुल मात्रा 1969 के दौरान 68,372 टन और 1970 में 59,260 टन थी । 1969 और 1970 के दौरान उपर्युक्त प्रेषणों से उद्भूत कुल स्वामित्व की राशि क्रमशः 1,70, 930 रुपए और 1,48,150 रुपए होती है । राजस्व का आयकर के रूप से संगणना करना कठिन है । राज्य सरकारों से स्थिर भारक/सतह भारक/बिक्री कर इत्यादि के रूप में प्रोद्भूत राजस्व से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रखी जाएगी ।

(ख) उपरलिखित राजस्व की राशि की संगणना समस्त ग्रेडों के बॉक्साइट के लिए 2.50 रुपए प्रति टन की दर पर की गई है ।

(ग) येरकौड गांव में शेवाराय बॉक्साइट खान से प्राप्त सम्पूर्ण बॉक्साइट की मात्रा का स्वदेश में ही उपभोग किया जाता है और इस खान से किसी भी प्रकार के निर्यात की जानकारी नहीं मिली है ।

तमिलनाडू में समेकित बारानी भूमि कृषि विकास के लिए परियोजना

4975. **श्री जी० भुवाराहन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित बारानी भूमि कृषि विकास मार्गदर्शी परियोजना के लिए तमिलनाडु में किसी स्थान का चयन किया गया है; और

(ख) इस उद्देश्य के लिये अब तक कितनी धन राशि नियत की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां । तमिलनाडु ने तिरुनेलवली और तिरुचिरपल्ली जिलों को बारानी कृषि के अन्तर्गत एक एक मार्ग दर्शी परियोजना की कार्यान्विति के लिये छांटा गया है ।

(ख) वर्ष 1971-72 की अवधि में इन दो मार्गदर्शी परियोजनाओं की कार्यान्विति के लिये 46.39 लाख रुपये की राशि का अनुमान लगाया गया है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि स्नातकों की बाबूगिरी करने से रोकने के सम्बन्ध में अध्ययन

4976. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि अधिकतर नये कृषि स्नातक कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं किन्तु नगरों में बाबूगिरी प्राप्त करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने इस असंतोषजनक घटना के बारे में अध्ययन आरम्भ किया है; और

(ग) जागरूक युवक शिक्षित किसानों को अधिक प्रोत्साहन देकर इस प्रतिभापलायन को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सरकार यह जानती है कि अधिकांश अन्य देशों की भांति कुल कृषि स्नातकों में से बहुत कम स्नातक ही खेती करते हैं। इसके साथ-साथ यह भी सच है कि बहुत थोड़े ही कृषि स्नातक, सरकारी या कृषि की प्रोन्नति से सम्बन्धित गैर-सरकारी क्षेत्रों में या जिनमें उनकी दक्षता का उपयोग किया जा सकता है, नौकरी करते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) अनेक राज्य सरकारें कृषि स्नातकों को खेती करने के लिये प्रेरित करने हेतु प्रोत्साहन दे रही हैं। कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक खेती करने वाले कृषि स्नातकों को ऋण भी देते हैं।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद भी कृषि विज्ञान के डिग्री पाठ्यक्रमों का उपयुक्त नवीकरण करने के लिये कृषि विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों की सहायता के लिये कदम उठा रहा है जिससे कि शिक्षार्थी स्वयं ही रोजगार पा सकें।

सब्जियों के निर्यात और सब्जियों के कुल उत्पादन में अनुपात

4977. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में सब्जियों के कुल उत्पादन की तुलना में देश के यूरोपीय बाजारों को हरी सब्जी के निर्यात का अनुपात क्या है;

(ख) किसानों को उनकी उष्ण कटिबन्धीय सब्जियों के लिये हमारी एयर इन्डिया सेवाओं में विमान द्वारा सामान भेजे जाने को सुविधाएं देने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) सब्जी उत्पादों के निर्यात के लिये किसानों की सहायता करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) नगण्य।

(ख) उन सब प्रकार के निर्यातकर्ताओं (व्यापारी निर्यातकर्ता/उत्पादक निर्यातकर्ता) के लिये विमान से सामान भेजने की सुविधायें उपलब्ध हैं, जो कि विभिन्न स्थानों के लिये एयर इन्डिया द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम भार की शर्त पर सब्जियों का निर्यात करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, इस समय भारत से निर्यात होने वाली अधिकतर सब जिन्सों के लिये विशिष्ट दरें, जो कि सामान्य भाड़ा की दरों से कम है, आइ० ए० डी० ए० (जिसका एयर इंडिया भी एक सदस्य है) द्वारा पहले निर्धारित की जा चुकी है।

(ग) ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोपीय देशों तथा जापान को निर्यात किये जाने वाले ताजे फलों, ताजी सब्जियों तथा फूलों के अदा किये जाने वाले विमान भाड़े के 50 प्रतिशत तक, लेकिन ऐसे निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 20 प्रतिशत की समस्त अधिकतम सीमा के अंतर्गत नकद सहायता देने की सरकार ने अनुमति दी है, अर्थात 50 प्रतिशत के भाड़ा सहायता के सम्बन्ध में पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक होने पर भाड़ा सहायता पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 20 प्रतिशत तक होगी।

Setting up of a Sugar Mill in Palia Kalan Khiri, U. P.

4978. **Shri Genda Singh**: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether any licence was granted to set up a sugar mill at Palia Kalan Khiri in Uttar Pradesh and the amount given by the Government for this purpose and in what form;

(b) if so, the name of the licensee, production capacity of the mill and the time by which the said mill was expected to be commissioned; and

(c) whether the licensee is already running a very big mill in the same district and the work on the new mill is being delayed so as to run the old mill for a longer period ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh): (a) and (b), A licence was granted on 20-7-1966 to M/s. The Hindusthan Sugar Mills Ltd., Golagokarannath, District; Kheri (U. P.) for the establishment of a new 1,400 tonnes daily cane crushing capacity at Palia-Kalan, District Kheri, on the condition that they will float a new public limited company. Fifty-one percent of the total share capital of the new company was to be taken by the applicant company and balance of 49% was to be offered to individual growers of the cane supply zone of the factory at Palia-Kalan. A new company in the name of M/s. Sharda Sugar & Industries Ltd. was accordingly floated and the licence was transferred to this company. No amount was given by the Government of India for setting up this factory. According to the original conditions of the licence, the factory was to be established by 31-10-1967.

(c) M/s. The Hindusthan Sugar Mills Ltd. are having a sugar mill of 3,600 tons cane crushing capacity per day at Golagokarnath, District; Kheri (U. P.). The delay in establishment of the sugar factory at Palia Kalan is reported to be due to the delay in the acquisition of land for the factory, heavy rains and floods in the nearby river Sharda preventing the construction work for some time and delay in supply of machinery by the suppliers. The factory is expected to go into production in the next crushing season.

Amendment of Minimum Wages Act

4979. **Shri Dhan Shah Pradhan**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the steps proposed to be taken by Government to amend the Minimum Wages Act keeping in view the rising prices and the pay-scales enjoyed by other categories of workers; and

(b) the limit of the minimum wage proposed to be prescribed ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar): (a) The Minimum Wages Act, 1948, does not by itself lay down wage rates; it empowers the "appropriate Government" to fix and notify wage rates in the scheduled employments and review and revise them at intervals not exceeding five years. No amendment of the Act is, therefore, required for any due increase in the current minimum wages.

(c) Does not arise.

रोजगार सम्भावनाएं

4980. **श्री एस० सी० सामन्त** :
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 27 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न 580 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका मंत्रालय बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए अन्य मंत्रालयों और सरकारी गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से क्या सहायता ले रहा है; और

(ख) उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). अतारांकित प्रश्न संख्या 580 के उत्तर में उल्लिखित रोजगार जुटाने की परियोजनाए तैयार कर ली गई है और केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के निकट परामर्श तथा सहयोग से कार्यान्वित की जा रही हैं । उद्योग के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से भी आश्यकतानुसार उचित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ।

उड़ीसा के भूगर्भीय मानचित्र का प्रकाशन

4981. **श्री देवेन्द्र सत्पथी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संख्या ने उड़ीसा राज्य का भूगर्भीय मानचित्र प्रकाशित किया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह चौथी योजना की अवधि में पूरा हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क), (ख) और (ग). उड़ीसा के भूवैज्ञानिक मानचित्र को 1:2.25 मिलियन के मापमान पर तैयार कर लिया गया है और मुद्रणालय को मुद्रण के लिए भेजने से पूर्व हाल ही के आंकड़ों के साथ इसकी जांच की जा रही है । उड़ीसा के भूवैज्ञानिक मानचित्र का मिलियन के मापमान पर प्रारूप भी तैयार ही होने वाला है ।

1:2.25 मिलियन के मापमान पर मानचित्र चतुर्थ योजना अवधि के दौरान प्रकाशित किया जाएगा ।

पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों की समस्या से अन्य देशों को अवगत कराने के लिए मंत्रियों की यात्राओं का शरणार्थियों को दी जाने वाली विदेशी सहायता पर प्रभाव

4982. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति से विदेशों को अवगत कराने के लिए भारतीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न देशों का दौरा करने के उपरांत शरणार्थियों के लिए सहायता के रूप में आने वाली सामग्रियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इस बीच बंगला देश के शरणार्थियों को सहायता देने का वचन पूरा कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसको कहां तक पूरा किया गया है; और

(ग) क्या अन्य देशों द्वारा वित्तीय तथा सामग्रियों के रूप में अधिक सहायता देने के लिए और वचन दिये गये हैं और यदि हां तो यह सहायता कितनी दी जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क), (ख) और (ग). जी, हां। विदेशी सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से बंगला देश के शरणार्थियों को राहत प्रदान करने के लिए, सामान और विदेशी मुद्रा में स्पष्टतया वृद्धि हुई है । इसके अलावा बहुत सी सहायता का वचन दिया गया है । किन्तु जब तक कुल प्राप्त सहायता या वचनबद्ध सहायता शरणार्थियों की आवश्यकताओं के लिए कम है । एक विवरण, जिसमें प्राप्त या बचनबद्ध सहायता का मूल्य और 60 लाख शरणार्थियों के लिए अनुमानित आवश्यकताएं दी गई हैं, संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 671/71.**]

धनबाद में कोयला खानों का बन्द होना

4983. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद क्षेत्र में लगभग 200 कोयला खानों ने उत्पादन कार्य बन्द कर दिया है जिससे लगभग 65,000 श्रमिकों की छटनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो ये कोयला खानें कब से बन्द पड़ी हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) विकट बेरोजगारी की स्थिति के समाधान के लिए उसमें शीघ्र कार्य आरम्भ कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कृषि विश्वविद्यालय का उचित कार्यकरण

4984. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा उचित रूप से कार्य करने के लिए कोई उपचारात्मक कार्यवाही की है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय कृषि संबंधी अनुसन्धान कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क), (ख) तथा (ग). कृषि अनुसंधान के संबंध में कृषि विश्वविद्यालय सामान्यत: राज्य-भर के लिए जिम्मेदार और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए और उसका विस्तार एजेन्सी के साथ उचित संबंध भी होना चाहिए। किन्तु कुछ राज्य सरकारों ने पूरा कृषि अनुसन्धान कार्य कृषि विश्वविद्यालयों को नहीं सौंपा है, इसके परिणामस्वरूप बिना उचित समन्वय के दो एजेन्सियों द्वारा दोहरा कार्य हो रहा है जो कि बेकार सिद्ध होता है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों तथा प्रगति का अनुमान लगाने और आवधिक सिफारिशें करने के लिए दौरे करने वाले दल भेजती है जिसके आधार पर अनुदान दिये जाते हैं। समय समय पर विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को कुछ कमियां बताई गई हैं और कई मामलों में उपचारात्मक कार्यवाही भी की गई है।

समस्त कृषि विश्वविद्यालय अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं यद्यपि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कुछ राज्य कृषि विभाग भी यह कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार कुछ राज्यों में दोहरे प्रयत्न हो रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनायें कृषि विश्वविद्यालयों में जहां सुविधायें मौजूद हैं, स्थित हैं। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विश्वविद्यालय विभाग अपने वैज्ञानिक कर्मचारी वर्ग, विज्ञान तथा विद्यार्थियों के माध्यम से विभिन्न अनुसन्धान कार्यक्रम, जो सामान्यत: समस्यामूलक हैं, चलाते हैं। मुख्य अनुसंधान फार्मों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों के आदेशिक अनुसन्धान केन्द्र भी हैं जो इस विशेष क्षेत्र की समस्याओं या फसलों के संबंध में अनुसंधान करने के लिए बने हुए हैं। कुछ विश्वविद्यालयों को अनुसंधान के लिए राज्य स्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन मामलों में विश्वविद्यालय तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रगति कर रहे हैं और बेकार के दोहरे कार्य को समाप्त कर रहे हैं।

खेत्री ताम्बा परियोजना का पूंजीगत परिव्यय

4985. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान स्थित खेत्री ताम्बा परियोजना के पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख). मई, 1964 में प्रायोजना के कार्यक्षेत्र को परिवर्धित किया गया था जिसका उद्देश्य कोलिहान खान को सम्मिलित करना और स्फुरण प्रद्रावक प्रक्रिया का भी प्रयोग करना, गन्धक मूल्यों को प्रयोग में लाना और उपयुक्त उर्वरक के अन्ततः उत्पादन हेतु गन्धकीय अम्ल का उत्पादन करना था। इसे अक्तूबर, 1966 में 78.52 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया था। इसे और पुनरीक्षित किया गया है और खेतड़ी कोलिहान ताम्र सर्कह, अम्ल-सह-उर्वरक संयत्र और उपनगर को सम्मिलित कर सम्पूर्ण कम्पलैकस के लिए वर्तमान अनुमान लगभग 93 करोड़ रुपए है। मूल प्राक्कलनों की अपेक्षा लागत अनुमानों में अभिवृद्धि का मुख्य कारण कोलिहान खान का समावेशण है जो कि प्रायोजना के इन परिवर्धित कार्य क्षेत्रों के लिए किया गया अर्थात्——

(1) ताम्र के उत्पादन में 21,000 टन से 31,000 टन की अभिवृद्धि

(2) सकुरण प्रद्रावक प्रक्रिया के प्रयोग द्वारा गन्धकीय मूल्यों की प्राप्ति

(3) उर्वरकों के उत्पादन के लिए गन्धक-सह-उर्वरक संयत्र का परिवर्धन।

अन्य कारण मूल्य में उतार-चढ़ाव, अवमूल्यन इत्यादि है, जिनसे बचा नहीं जा सकता।

त्रिपुरा में बंगला देश के लिए नागरिक राहत समिति

4986. **श्री दशरथ देव :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में बंगला देश के शरणार्थियों के राहत कार्य आरम्भ करने के लिए कोई नागरिक अथवा राहत समिति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या समिति में किसी संसद्-सदस्य और त्रिपुरा के विधायक को सम्मिलित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस समिति में किस दल के संसद्-सदस्य और विधायक को सम्मिलित किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क), (ख), (ग) और (घ). त्रिपुरा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, त्रिपुरा में राज्य के मुख्य मंत्री श्री एस० एल० सिंह की अध्यक्षता में बंगला देश के शरणार्थियों को राहत प्रदान करने और बंगला देश के लोगों के साथ त्रिपुरा के लोगों की एकता व्यक्त करने के लिए एक केन्द्रीय परिषद् बनाई गई है। समिति के अन्य सदस्य निम्न हैं :

1.	श्री कृश्नदास भट्टाचार्जी वित्त मंत्री	सदस्य
2.	श्री पी० के० दास, मंत्री	,,
3.	श्री मनोरंजन, उप अध्यक्ष	,,
4.	श्री के० सेन गुप्ता	,,
5.	श्री औघोर देव, सदस्य, विधान सभा	,,
6.	श्री के० के० राव, सदस्य, विधान सभा	,,
7.	श्री कार्तिक भट्टाचार्जी	,,
8.	श्री एस० के० चौधरी, प्रधानाचार्य एम० बी० बी० कालेज	,,
9.	श्री एच० एल० चटर्जी, प्रधानाचार्य, महिला कालेज	,,
10.	श्री एस० दत्ता, अधीक्षक, वी० मन्द, जी० बी० अस्पताल	,,
11.	श्री मनोरंजन चौधरी, वकील	,,
12.	श्री एस० बी० भट्टाचार्जी, लोक सम्पर्क निदेशक	,,
13.	श्री एम० सी० चक्रवर्ती, उप-निदेशक, युवक कार्यक्रम	,,
14.	श्री के० पी० दत्ता, उप-निदेशक, शिक्षा	,,

2. इस परिषद् में संसद का कोई सदस्य नहीं है। तथापि, स्थानीय विधान सभा के भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के सदस्य, श्री डी० संजीवैय्या वाली कांग्रेस और त्रिपुरा राज्य कांग्रेस के सदस्य इस परिषद् में शामिल किये गये हैं।

ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये द्रुत कार्यक्रम लागू करने का क्षेत्र

4987. **श्री सी० चित्ति बाबू:** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम के सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों में की जाने वाली गतिविधियों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा किस श्रेणी के बेरोजगार व्यक्तियों को द्रुत कार्यक्रम से लाभ पहुंचेगा; और

(ग) चालू वर्ष में प्रत्येक श्रेणी में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). ग्राम रोजगार के त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन किस्मों की निर्माण परियोनाएं प्रारम्भ की जा सकती हैं उनकी एक निदर्शी सूची राज्य सरकारों को भेजी गई है । इनमें ग्रामीण अवस्थापना से सम्बन्धित निर्माण कार्य शामिल हैं, कि मास्टर योजना के आधार पर सड़क निर्माण; भूमि सुधार और पंचायत की भूमि का विकास; जल-निकास, बांध आदि; जल-संरक्षण तथा भूमिगत जल पुनः चार्ज करना; भंडारण टेंकों का निर्माण और जीर्णोद्धार जैसे लघु सिंचाई कार्य; और भूमि-संरक्षण अथवा वन-रोपण योजनाएं जिनमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, भी सम्मिलित हैं ।

अनुदेशों के अनुसार, रोजगार के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति उन परिवारों में से होने चाहिएं जिनका कोई भी सदस्य रोजगार में नहीं है । यदि इस सिद्धान्त का पालन करना सम्भव नहीं है, तो रोजगार, के लिए व्यक्तियों का चयन इस बात की सम्भावना पर उचित ध्यान देते हुए किया जाना चाहिए कि उनके द्वारा दूसरा रोजगार ढूंढ लिया जाएगा । रोजगार का लाभ बेरोजगार व्यक्तियों के किसी विशिष्ठ वर्ग तक ही सीमित नहीं होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने की आशा है । इस बात का पता कि कुल कितनी नौकरियां तथा श्रम-दिन उपलब्ध किए जाएंगे, सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के कार्यक्रमों को स्वीकृति देने तथा उनका निष्पादन प्रारम्भ किए जाने के पश्चात लगेगा ।

Scale of Goods by Bhilai Steel Plant

4988. **Shri K. M. Madhukar:** **Shri P. Ganga Reddy:**

will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether goods have been sold by Bhilai Steel Plant without inviting tenders:

(b) if so, the value of the goods sold without inviting tenders;

(c) whether Government have enquired about the officers responsible for this irregularity; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पोरबन्दर (गुजरात) के पत्तन श्रमिकों श्रौर नमक श्रमिकों के लिए शिक्षा श्रौर चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं

4989. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या श्रम श्रौर पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पोरबन्दर (गुजरात) के पत्तन श्रमिकों तथा नमक श्रमिकों के बच्चों की ओर दिलाया गया है जिन्हें शिक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं नहीं दी जातीं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार को पत्तन और नमक उद्योग के श्रमिकों के जीवन यापन और अन्य परिस्थितयों की विस्तृत जांच करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति नियुक्त करने सम्बन्धी कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई मांग का पता है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी कि नमक श्रमिकों के जीवन-यापन और अन्य परिस्थितियों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाये।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग

4990. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नगर-पालिका, तालुका पंचायतों, जिला पंचायत की ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा श्रमिकों के लिये समस्त भारत में समान स्तर पर सेवा शर्तों और वैज्ञानिक वेतन ढांचों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करने के लिये वेतन आयोग नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियरिंग उद्योग के श्रमिकों के बारे में मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन

4991. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). मज़दूरी बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट 3 जनवरी, 1969 को दी और उसकी सिफारिशों का सारांश बोर्ड की

रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय सहित भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। सरकार के संकल्प संख्या डब्ल्यू बी–4(8)169 तारीख 21-3-1970 को देखिए।

(ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे आगामी कार्यवाही प्रस्ताव के पैरा 6 के अनुसार करें जो निम्न प्रकार है:–

"मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक सोच-विचार करने के पश्चात् भारत सरकार का यह विचार है कि विभिन्न राज्यों में पक्षों के बीच जो वार्तालाप इस समय चल रहे हैं, उन्हें जारी रखा जाये और जहां कहीं बातचीत चालू नहीं हुई, वहां उसे आरम्भ किया जाये ताकि रिपोर्ट के अध्याय VII में बोर्ड के अध्यक्ष तथा उसके स्वाधीन सदस्यों की सिफारिशों के प्रकाश में, परस्पर स्वीकार्य राज्य-बार या उपक्रम-बार समझोते हो सकें, जिनमें ऐसे समायोजन हों जो विभिन्न राज्यों। उपक्रमों की परिस्थितियों से मेल खाने में अनिवार्य हों तथा मान लिये जायें। सरकार पक्षों से ऐसे समझौते काफी लम्बी अवधि के लिए मान्य होने की वांछनीयता की भी सिफारिश करेगी–ये पांच वर्ष के लिए हों तो अधिक अच्छा है।"

इस्पात कारखानों में इंजीनियरों की सुरक्षा

4992. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कारखानों में, विशेष कर पश्चिम बंगाल में काम करने वाले बहुत से वरिष्ठ इंजीनियर बिगड़ती हुई श्रम सम्बन्धी दशाओं और असुरक्षा के कारण अपना काम छोड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है; और

(ग) इस्पात कारखानों में वरिष्ठ इंजीनियरों और कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) जी, नहीं। हिन्दुतान स्टील लिमिटेड के इस्पात कारखानों से ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कारखाने के प्रबन्धक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस संरक्षण की मांग करते हैं।

पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिये व्यापार, व्यवसाय और शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें

4993. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों को इस देश में ठहरने और उनके पूर्वी बंगाल को वापस लौटने तक कोई व्यापार, व्यवसाय व्यवसाय और शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा मध्यप्रदेश में खनिजों का सर्वेक्षण

4994. **श्री उमेद सिंह गठिया :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के जिला रायगढ़ में ग्राम कुमकुरी के निकट तहसील जसपुर में खनिज संसाधनों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में जसपुर एवं धर्मजयगढ़ तहसीलों के 1725 वर्ग कि० मी० क्षेत्र की भूमि का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया है परन्तु उसे किसी महत्वपूर्ण खनिज का पता नहीं लगा है ।

हौजरी के सामान की सप्लाई के लिये फर्मों का चयन करने हेतु निर्धारित मानदण्ड

4995. **श्री सतपाल कपूर :** क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को हौज़री का सामान सप्लाई करने के लिये फर्मों का चयन करने हेतु क्या मानदन्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) वर्ष 1970-71 के लिये क्रयादेशों की कुल राशि कितनी थी, ऐसी फर्मों की कुल संख्या कितनी थी और प्रत्येक को कितने कितने क्रयादेश दिये गये;

(ग) क्या हौज़री सामान उद्योग में सरकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) सरकार को होजरी या किसी अन्य वस्तु की सप्लाई के लिए फर्मों का चयन करते समय, पात्र फर्मों द्वारा प्रस्तुत किए गए माल की किस्म, वितरण की अवधि तथा प्रस्तावित मूल्य एवं उनकी क्षमता और पिछले कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखा जाता है ।

(ख) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा हौजरी के सामान के लिए जो क्रयादेश दिए गए, जिसमें 1970-71 के दौरान उनके द्वारा दिए गए दर-ठेकों के पूर्ति आदेश भी शामिल हैं, उनका कुल मूल्य 2,33,69,867.18 रुपये है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण संख्या–1 में दिया गया है। विभिन्न हौजरी मदों के लिए जिन फर्मों के पास दर ठेके हैं उनके नाम संलग्न विवरण संख्या–2 में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). सामान्यतया लघु उद्योगों की सहकारी समितियों को तरजीह दी जाती है। परन्तु 1970-71 में उनसे कोई निर्ख प्राप्त नहीं हुए। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 672/71**]

केरल में भूमि संरक्षण

4996. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में भूमि-संरक्षण हेतु किसी योजना के लिये धन-राशि नियत की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में कुल कितने एकड़ भूमि लाई गई;

(ग) किस प्रयोजन के लिये उक्त भूमि का उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) इस पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। केरल राज्य में मृदा रक्षण के लिये राज्य और केन्द्र सरकार ने धन-व्यवस्था की है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में (1968-69 से 1970-71 तक) राज्य प्लान स्कीम के अन्तर्गत 10100 हैक्टार क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1753 हैक्टार क्षेत्र इसके अधीन लाया गया है।

(ग) यह भूमि कृषि और गैर कृषि कार्यों के लिये प्रयोग में लाई जा रही है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में 1968-69 से 1970-71 तक) राज्य और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः 113 लाख और 18·64 लाख रुपये की रकम व्यय की गई है।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले।

4997. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में भ्रष्टाचार और अनियमितता के कितने मामले गत तीन वर्षों में सरकार के ध्यान में आये हैं; और

(ख) इसमें कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त हुई और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण): (क) 781 मामले ।

(ख) 189 मामलों में चेतावनी से लेकर सेवा से हटाये जाने और बरखास्तगी तक के उपयुक्त दण्ड दिये गये । ऐसे मामलों में अन्तर्ग्रस्त राशि के आंकड़े नहीं रखे जाते ।

रूरकेला इस्पात कारखाना द्वारा संस्थापित विद्यालयों में अध्यापक-छात्र अनुपात

4998. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: रूरकेला इस्पात कारखाना द्वारा संस्थापित विद्यालयों में अध्यापक-छात्र अनुपात क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : रूरकेला इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा संस्थापित विद्यालयों में अध्यापक-छात्र अनुपात 1:32 है ।

रूरकेला इस्पात कारखाने के श्रमिकों को क्वाटरों का आबंटन

4999. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री गजाधर माझी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात कारखाने के ऐसे कितने कर्मचारी (उनके वेतन समूह सहित) हैं जिनके पास क्वार्टर नहीं हैं;

(ख) क्वाटरों के आवंटन के लिये वरिष्ठता कैसे निर्धारित की जाती है;

(ग) क्या आवंटन के लिये वेतन ढांचे को ध्यान में रखा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) रूरकेला इस्पात कारखाने के निम्नलिखित वेतन समूह में लगभग 10500 कर्मचारियों के पास क्वार्टर नहीं है:–

वेतन समूह (पुराना वेतन मान)	संख्या
110 रुपए तक	2697
111 रुपए से 300 रुपए तक	5122
301 रुपए से 600 रुपए तक	1304
601 रुपए तथा इससे अधिक	1377

(ख) क्वार्टरों के आवंटन के लिए कर्मचारियों की वरिष्टता सूची क्वार्टरों के लिए उनकी पात्रता के आधार पर उनके विभागों की मार्फत वर्ष में दो बार प्राप्त हुए आवेदनों के अनुसार तैयार की जाती है और प्रकाशित की जाती है। अलग-अलग श्रेणी के क्वार्टरों के लिए अलग-अलग सूचियां बनाई जाती है। यह सूचियां कर्मचारियों के वेतन समूह के आधार पर क्वार्टरों की श्रेणी विशेष के लिए उनकी पात्रता के अनुसार उनकी क्वार्टरों की श्रेणी वार पात्रता के लिए न्यूनतम वेतन पाने की तारीख के क्रमानुसार बनाई जाती है।

(ग) और (घ). जी, हां। किसी कर्मचारी की विशेष श्रेणी के क्वार्टरों की पात्रता के लिए वेतन सीमा नीचे दी गई है:–

वेतन सीमा (पुराना वेतन मान)	क्वार्टरों की श्रेणी की पात्रता
84 रुपए और उससे कम	सस्ती श्रेणी के क्वार्टर
85 रुपए से 109 रुपए तक	एक कमरे के
110 रुपए से 249 रुपए तक	एक सोने का कमरा (निम्न श्रेणी)
250 रुपए से 349 रुपए तक	एक सोने का कमरा (उच्च श्रेणी)
350 रुपए से 499 रुपए तक	दो सोने के कमरे (निम्न श्रेणी)
500 रुपए से 799 रुपए तक	दो सोने के कमरे (उच्च श्रेणी)
800 रुपए से 1099 रुपए तक	3 सोने के कमरे (मोडिफाइड)
1100 रुपए से 1499 रुपए तक	3 सोने के कमरे (स्टैंडर्ड)
1500 रुपए तथा उससे अधिक	उच्च श्रेणी के बंगले।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का पुनर्गठन

5000. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का पुनर्गठन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो किस रूप में ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Shortage of Coal in Uttar Pradesh

5001. **Shri Sarjoo Pandey:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the quota of coal for Uttar Pradesh has been reduced reasulting in the shortage of fuel throughout the State;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government have received any representation pleadiug for an increase in the quota of coal for the State; and

(d) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) & (b). Due to relaxation of control over distribution and movement of non-coking coal no quota for coal is fixed for any State. The movement of coal to U. P. and other northern State has however, not been upto the desired level due to non-availability of adequate number of wagons.

(c) & (d), Do not arise.

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के कर्मचारियों को स्थायी करना

5002. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जो स्थायी नहीं हैं; और

(ग) उनको स्थायी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) :

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	जोड़
(क)	255	659	2818	978	4710
(ख)	87	95	860	142	1184

(ग) उन कर्मचारियों के मामलों को, जो उपलब्ध स्थायी रिक्त स्थानों पर स्थायी होने के पात्र हो गये हैं, अन्तिम रूप दिया जा रहा है। कुछ अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि पात्र कर्मचारियों को इन पदों पर स्थायी किया जा सके।

औद्योगिक नियोजन (अस्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत स्थायी आदेशों में संशोधन करने के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र

5003. **डा० जी० एस० मेलकोटे :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत 1968 और 1969 के दौरान स्थायी आदेशों में संशोधन करने के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे; और

(ख) इनमें से आवेदन-पत्रों का अभी निपटान करना है और उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जहां तक केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित सरकार है, सूचना इस प्रकार है:—

1968	—	33
1969	—	28

(ख) सूचना एकत्र की जारही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का उल्लंघन करने के मामले

5004. **डा० जी० एस० मेलकोटे :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 और 1971 में न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के उल्लंघन के कितने मामलों का पता लगाया गया था; और

(ख) दोषी नियोजकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). वर्ष 1970 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अनियमितताओं के 27,910 मामले देखने में आये, दोषी नियोजकों के विरुद्ध 178 अभियोजन और 57 दावे के मामले दायर किए गए । वर्ष 1971 की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

दक्षिण अर्काट में ई० आई० डी०–पैरी चीनी फैक्टरी द्वारा गन्ने की खेती के लिये रैयतों का पंजीकरण

5006. **श्री एस० राधाकृष्णन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण अर्काट में ई० आई० डी०–पैरी चीनी फैक्टरी द्वारा वर्ष 1970-71 में अपनी फैक्टरी के लिये गन्ने के उत्पादन और सप्लाई के लिये कितने रैयतों का पंजीकृत किया गया है;

(ख) वर्ष 1967-68, 1969-70, 1970-71 में गन्ने की खेती के लिये उक्त फैक्टरी द्वारा कुल कितने एकड़ क्षेत्र को इस प्रकार पंजीकृत किया गया; और

(ग) कितना गन्ना-उत्पादकों ने अपने नाम से (1) 25 एकड़ से कम के लिये (2) 100 एकड़ से कम के लिये (3) 100 एकड़ से अधिक के लिये पंजीकरण करा रखा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). तमिलनाडु सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

तमिलनाडू में ई० आई० डी०–पैरी चीनी फैक्टरी में चीनी की वसूली

5007. **श्री एस० राधाकृष्णन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडू के दक्षिण अर्काट में ई० आई० डी०–पैरी चीनी फैक्टरी द्वारा प्रत्येक मौसम में पेरे गये गन्ने से चीनी की प्रतिशतता का अनुमान लगाने के लिये अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) वर्ष 1969-70 से 1970-71 तक प्रत्येक वर्ष में चीनी की कितनी प्रतिशतता प्राप्त हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : किसी मौसम के दौरान पेरे गए गन्ने से चीनी की प्राप्ति की प्रतिशतता का हिसाब मौसम के दौरान पेरे गए गन्ने से प्राप्त कुल चीनी की मात्रा को उसी मौसम में पेरी गई गन्ने की कुल मात्रा को 100 से गुणा कर भाग देकर लगाया जाता है। इस प्रयोजन के लिए तमिलनाडु दक्षिणी अरकाट में स्थित ई० आई० डी० पैरी सुगर फैक्ट्री भी यह तरीका अपनाती रही है।

(ख) इस कारखाने को 1969-70 के मौसम में पेरे गए गन्ने से 7.65 प्रतिशत चीनी की वसूली हुई थी।

यह कारखाना 1970-71 मौसम में अब भी कार्य कर रहा है और इसलिए इस मौसम में चीनी की वसूली के अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

मैसूर में भेड़ प्रजनन

5008. **श्री के० सकप्पा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर राज्य में भेड़ों की नस्ल सुधारने और ऊन उद्योग को शक्तिशाली बनाने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कोलरग्न, होसादुर्गा, नागमंगला, बीजापुर, रानेरेन्नूर, यादगुरहबूद ही, यादे, यादगिर तथा होसपेट में सात भेड़ तथा ऊन विकास योजनायें स्थापित की गई है; ऊन उत्पादन में सुधार की दृष्टि से स्थानीय भेड़ों के साथ संकरण के लिये इन केन्द्रों में अभिजनक मेंढों की व्यवस्था की गई है।

ऊन के परीक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था के लिये रानेबेन्नूर में एक ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

मैसूर में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम निधि की सहायता से भेड़ों की ऊन उतारने, ऊन के श्रेणीकरण तथा विपणन की एक योजना प्रारम्भ की गई है, इस योजना के अन्तर्गत राज्य अधिकारियों को भेड़ पालन तकनीकों, भेड़ की ऊन उतारने, ऊन श्रेणीकरण तथा ऊन भंडारण व्यवस्था

में प्रशिक्षित किया जाता है, भेड़ों की ऊन उतारने के सहायक केन्द्रों सहित एक ऊन श्रेणीकरण केन्द्र स्थापित किया गया है। अधिकारियों को भेड़ पालन में प्रशिक्षित करने के लिये राज्य सरकारों को खाद्य कृषि संगठन के विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध की गई हैं।

संकरण कार्यक्रम की सहायता के लिये राज्य में चार भेड़ प्रजनन फार्मों की स्थापना की गई है। उच्चकोटि के संकर मेढ़ों के उत्पादन के लिये चित्रदुर्ग जिले के चल्लाकेरे नामक स्थान पर 9360 एकड़ भू क्षेत्र में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में विशाल भेड़ प्रजनन फार्म की स्थापना की जा रही है।

चौथी योजना में आन्ध्र प्रदेश के लिये मछली पकड़ने के बन्दरगाह

5009. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितना समुद्र-तट है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश के समुद्र-तट में काफी मछलियां और झींगे हैं; और

(ग) क्या चौथी योजना में आन्ध्र प्रदेश के लिये मछली पकड़ने के बन्दरगाहों की मंजूरी दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश समुद्र-तट की लम्बाई लगभग 862 किलोमीटर है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के समुद्र-तट में मछली तथा झींगों के काफी स्रोत हैं। वहां मिलने वाली मछलियों की मुख्य किस्में सारडाईन, सियन्निड्स, रिबन फिश, एन्चोवियला और शार्क है। सन् 1969 तथा 1970 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में क्रमशः 77,526 मीटरी टन तथा 71,976 मीटरी टन समुद्री मछलियां पकड़ी गईं जबकि समस्त भारत में इस अवधि में क्रमशः 9,11,841 मीटरी टन और 10,75,402 मीटरी टन मछलियां पकड़ी गई थीं। इस प्रकार इन दो वर्षों में पकड़ी गई कुल समुद्री मछलियों का यह 8.5 प्रतिशत और 5.7 प्रतिशत भाग होता है। क्रमशः 6,064 मीटरी टन और 6,881 मीटरी टन झींगे पकड़े गये जबकि समस्त भारत में 1,07,622 मीटरी टन और 1,15,201 मीटरी टन झींगे पकड़े गये थे। इस प्रकार 1969 और 1970 में पकड़े गये कुल झींगों का यह क्रमशः 5.6 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत है।

(ग) भारत सरकार ने विशाखापत्तनम के लिये एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फरवरी, 1970 में रुपया मंजूर किया था। पोर्ट ट्रस्ट विशाखापत्तनम से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर विशाखापत्तनम में मछली पकड़ने की एक बन्दरगाह की स्वीकृति के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त, मछली पकड़ने की बन्दरगाहों के निवेश-पूर्ण सर्वेक्षण की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की साहाय्य प्राप्त परियोजना द्वारा आन्ध्र प्रदेश के तट के साथ-साथ इंजिनियरी

और अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित अन्वेषण किये गये हैं। मछली पकड़ने की बन्दरगाहों की व्यवस्था के लिये चुनिन्दा स्थानों के विषय में विस्तृत रूप से विचार किया जा रहा है।

नेयवेली लिगनाईट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लेको की बिक्री के लिए एजेन्टों की नियुक्ति

5010. **श्री एस० राधाकृष्णन :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में लेको की बिक्री, के लिये नेयवेली लिगनाइट कार्पोरेशन द्वारा कितने एजेन्ट नियुक्त किये गये हैं।

(ख) थोक तथा फुटकर अथवा डिविजनल और सब-डिविजनल श्रेणियों के रूप में इन एजेन्टों की श्रेणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निगम द्वारा इन एजेन्टों की नियुक्ति के बारे में क्या शर्तें लगाई गई हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) 112 थोक अभिकर्ता।

(ख) थोक अभिकर्ता विशिष्ट विपणन क्षेत्रों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार थोक अभिकर्ता फुटकर विक्रय हेतु उप-अभिकर्ता नियुक्त करते हैं। इन उप-अभिकर्ताओं की पूरे राज्य में कुल संख्या 1500 है।

(ग) 'लेको' के विक्रय के लिए अभिकर्ताओं द्वारा नैवेली लिग्नाईट निगम लिमिटेड के साथ किए जाने वाले करार का प्ररूप संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 673/71]

नेयवेली लिगनाईट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा औद्योगिक आवास योजना के अधीन किया गया खर्च

5011. **श्री एस० राधाकृष्णन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) नेयवेली लिगनाईट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा औद्योगिक आवास योजना के अधीन विभिन्न चरणों में अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) कितने मकान बनाये गये हैं तथा नेयवेली लिगनाइट कार्पोरेशन में कार्य करने वाले कितने अधिकारियों, कर्मचारियों तथा मजदूरों को उक्त मकान आबंटित किये गये हैं; और

(ग) उक्त निगम ने कितने प्रतिशत अधिकारियों, कर्मचारियों तथा मजदूरों को आवास प्रदान किये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1438·26 लाख रुपये ।

(ख)	बनाए गए मकानों की संख्या	11,132
	नैवेली लिग्नाईट निगम में नियोजित अधिकारियों, कर्मचारियों और कर्मकारों को आबंटित किए गए मकानों की संख्या	10,658
	(शेष मकान अ-कर्मचारियों अर्थात् सैनिक कर्मकारों और न्यासी हितों को आबंटित किए गए हैं)	

(ग) विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 674/71]

द्रुत कार्यक्रम की क्रियान्विती के बारे में उड़ीसा के कृषि मन्त्री का वक्तव्य

5012. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा सरकार के कृषि तथा सामुदायिक विकास मन्त्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उड़ीसा में द्रुत कार्यक्रम को क्रियान्वित करना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि केन्द्र सरकार ने न तो राज्य सरकार की योजनाओं को अनुमोदित किया है और न ही उनके लिये धन राशि दी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने इन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी भेजने में सहयोग नहीं दिया था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क), (ख) व (ग). उड़ीसा सरकार से उन तीन जिलों (बालासूर, धनकनाल तथा सुन्दरगढ़), जिन्हें ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत लाने का विचार है, के बारे में प्राप्त प्रस्तावों की मंजूरी दी जा चुकी है और राज्य सरकार को आवश्यक धनराशि दे दी गई है । 6 जुलाई, 1971 को अन्य दो जिलों (कोरपट तथा कल्हंडी), के बारे में प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन हैं । शेष जिलों के बारे में राज्य सरकार से प्रस्ताव आते रहते हैं ।

केरल में चावल का उत्पादन और उसके लिये केन्द्रीय सहायता

5013. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में चावल का उत्पादन किया गया;

(ख) चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को किस प्रकार की तकनीकी सहायता दी गई; और

(ग) राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को भविष्य में किस प्रकार की सहायता दिये जाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) वर्ष 1967-68 से 1969-70 के दौरान केरल में चावल के उत्पादन के अनुमान निम्नलिखित हैं:–

वर्ष	**उत्पादन** (हजार मीटरी टन)
1967-68	1123.9
1968-69	1400.0
1969-70	1214.9

सन् 1970-71 के लिये ऐसी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है ।

(ख) केन्द्र ने राज्य सरकार को नवीनतम अनुसंधान परिणाम तथा क्षेत्र-अनुभव उपलब्ध किये हैं और राज्य में चावल की खेती करने के लिये पेकेज पद्धतियों को तैयार करने में उनकी सहायता की है । इसके अतिरिक्त, कीटों तथा बीमारियों का पता लगाने तथा सामयिक नियंत्रण उपायों को शुरू करने में सहायता प्रदान की है । राष्ट्रीय प्रदर्शन आयोजित किये गये और कर्मचारियों तथा किसानों के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने में भी सहायता की गई । केन्द्र के तकनीकी विशेषज्ञों ने समय-समय पर राज्य का दौरा किया और कृषकों के खेतों की कुछ समस्याओं को हल करने में राज्य सरकार की सहायता की ।

(ग) उपरोक्त तकनीकी सहायता के अतिरिक्त, बीज, उर्वरक तथा कीटनाशी औषधियों की मांग को पूरा करने में राज्य सरकार की सहायता करना जारी रहेगा । बीज तथा कीटनाशी औषधि की खरीद, उर्वरक, आदि के विपणन तथा वितरण के लिये भी अल्प-कालीन ऋण स्वीकृत किया जायेगा । बहुफसली खेती जैसी बिभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें, कृषि उत्पादन बढ़ाने में राज्य सरकार की सहायता करेगी ।

केरल के लोक निर्माण विभाग को इस्पात का वितरण

5014. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समय पर इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग सामग्री को प्राप्त न होने पर केरल लोक निर्माण विभाग तथा राज्य के कुछ उद्योगों को हो रही असुविधाओं की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केरल की ओर से प्राप्त क्रयादेशों की पूर्ति होना शेष है; और

(ग) यदि हां, तो स्थायी आधार पर इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है तथा अपेक्षित सामग्री का वितरण कब तक कर दिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) इस्पात की चालू वितरण प्रणाली के अनुसार तथा देश के समस्त प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की समस्त मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य की सरकारी एजेन्सियों तथा औद्योगिक इकाइयों को हर बार प्राथमिकता के आधार पर कुछ इस्पात दिया जा रहा है ।

कठिनाइयों का स्थायीरूप से निवारण तभी हो सकेगा जब देश इस्पात तथा औद्योगिक कच्चे माल में आत्म-निर्भर हो जायेगा । इस बीच अपने इस्पात कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा यथावश्यक आयात की अनुमति दी जा रही है ।

केरल में खानों के विकास पर खर्च

5015. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी योजना के दौरान केरल में खानों के विकास के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : जहां तक केरल राज्य का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यान्वियनार्थ कोई परियोजना नहीं है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

असम और त्रिपुरा स्थित सैनिक-प्रतिष्ठानों के अनाधिकृत रूप से चित्र लिये जाने का समाचार

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री मान, मैं रक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> अमरीकी टेलीविजन कर्मचारियों द्वारा एक भारतीय फोटोग्राफर के सहयोग से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किये जाने तथा उनके द्वारा असम और त्रिपुरा स्थित सैनिक प्रतिष्ठानों के चित्र लिये जाने का समाचार ।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

अध्यक्ष महोदय,

सरकार ने इस आशय की समाचार-पत्रों में खबर देखी है कि अमरीकी टी० बी० के कुछ सदस्यों ने, एक भारतीय फोटोग्राफर के सहयोग से, असम एवं त्रिपुरा में रक्षा संस्थापनाओं के चित्र लेकर सुरक्षा नियमों की अवहेलना की है। वर्तमान लागू आदेशों के अनुसार, विदेशी समाचार-पत्र आदमियों को जो कि सरकार से शरणार्थी शिविरों में जाने की सुविधा मांगते हैं, उन्हें गृह-मंत्रालय एवं प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरो की स्वीकृति लेनी आवश्यक हैं। और किसी रक्षा संस्थापना का चित्र लेने के लिए रक्षा मंत्रालय की भी स्वीकृति लेना आवश्यक है। उन व्यक्तियों एवं दलों के साथ जिनकी अग्रिम क्षेत्रों एवं शरणार्थी शिविरों में जाने की स्वीकृति दी जाती है, सरकार एक लायजन अफसर भी भेजती है।

2. जुलाई 1971, माह की अवधि में किसी भी अमरीकी टी० वी० दल को असम एवं त्रिपुरा में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, न ही किसी अमरीकी टी० वी दल ने शरणार्थी शिविरों या रक्षा संस्थापनाओं में जाने की सुविधा मांगी थी। सरकार को असम एवं त्रिपुरा में रक्षा संस्थापनाओं के चित्र लेने के अनाधिकृत प्रयास की कोई सूचना नहीं है।

3. बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति द्वारा रक्षा संस्थापनाओं के चित्र लेना आफ़िशियल सिक्रेट एक्ट के नियमों का उल्लंघन है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

श्री एस० एम० बनर्जी : वक्तव्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि जबसे बंगला देश में याह्या शासन के अत्याचारों के कारण 24 मार्च, 1971 के बाद भारी संख्या में शरणार्थियों का आना आरम्भ हुआ है, तब से मई और जून, 1971 के दौरान क्या इन टेलीविजन विशेषज्ञों तथा संवाददाताओं ने इन क्षेत्रों का दौरा किया है। माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह नहीं कहा कि इस टीम ने इजाज़त नहीं मांगी थी। वास्तव में, इजाज़त मांगी गई थी, परन्तु सैनिक अधिकारियों ने उसे अस्वीकार कर दिया था। जैसा कि आपको ज्ञात है, अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने, राष्ट्रपति निक्सन के रवैये आदि से स्पष्ट है कि वे बंगला देश से मुक्ति फ़ौज का सफाया कर देने के लिए पाकिस्तान की सहायता करना चाहते हैं और शरणार्थियों के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें रुकावटें डालना चाहते हैं।

उनका उद्देश्य यह है कि शरणार्थियों के बहाने सैनिक प्रतिष्ठानों के फोटो लिये जायें और यह सिद्ध किया जाये कि भारतीय सेना पाकिस्तानी सीमा में घुसकर पाकिस्तान के लिए समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। इस प्रकार, वे पाकिस्तान को हथियारों की जो सप्लाई कर रहे हैं उसे उचित साबित करना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे दिल्ली में बैठे रहकर अनेक एजेंसियों के माध्यम से अपनी गतिविधियाँ चला रहे हैं ? क्या यह भी सच है कि कल-परसों सैनिक गुप्तचर विभाग के निदेशक को बदल दिया गया है और यदि हाँ, तो किन कारणों से ? क्या विदेशियों को शरणार्थियों की सहायता के काम से हटा दिया गया है।

श्री जगजीवन राम : अनेक देशों की कई टेलीविजन टीमों ने, जिनका ब्यौरा मुझे मालूम नहीं है, शरणार्थियों के शिविरों को देखने के लिए इन क्षेत्रों का दौरा किया था । ऐसे दौरों की अनुमति सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय देता है । हमारे सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें रक्षा प्रतिष्ठानों का फोटो लिया गया हो । इस बारे में मैं आगे पूछताछ कर रहा हूं । इन क्षेत्रों में रक्षा प्रतिष्ठान देखने की अनुमति के लिए जुलाई में किसी ऐसी टीम ने रक्षा मंत्रालय से सम्पर्क नहीं किया था । ध्यानाकर्षण सूचना के बाद थोड़ा समय मिलने के कारण हर स्रोत से यह जानकारी इकट्ठा करना सम्भव नहीं हुआ है । अब मैं इस बारे में मालूम करूंगा ।

डा० रानेन सेन (बारासर) : मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह पता चलता है कि रक्षा मंत्रालय अगर अनुमति दे दे, तो विदेशी हमारे रक्षा प्रतिष्ठानों के फोटो ले सकते हैं । आज जबकि हमारा देश बंगला देश की समस्या तथा याह्या खां की काली करतूतों के कारण कठिन परिस्थितियों में फंस गया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में जासूसी गतिविधियां चल रही हैं; विदेशी टेलीविजन कर्मचारी तथा संवाददाता रक्षा मंत्रालय से ऐसे फोटो लेने की अनुमति किस लिए मांगते हैं । कलकत्ता और अन्य क्षेत्रों में टेलीविजन कर्मचारी जिनमें अधिकांशतः अमरीकी हैं, जगह जगह जाते रहते हैं । यह निश्चित नहीं है कि क्या ये लोग सीमावर्ती क्षेत्रों में चले जाते हैं । वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी टेलीविजन कर्मचारियों तथा संवाददाताओं के आने जाने पर पूर्णतः रोक लगा देनी चाहिए । मौखिक वक्तव्य में खेद व्यक्त किया गया है और लिखित वक्तव्य में पूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है । समाचार पत्र में इन टेलीवजन कर्मचारियों के बारे में स्पष्ट आरोप लगाये गये हैं । मंत्री महोदय न केवल राज्य सरकार वरन् सेना के गुप्तचर विभाग के माध्यम से इन आरोपों के बारे में पूरी तरह जांच करायें ।

श्री जगजीवन राम : बंगला देश के समूचे प्रश्न के प्रति अमरीका का जो रवैया है सभा उससे पूर्णतः अवगत हैं । अतः उसके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । मैंने अपने वक्तव्य में पूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया है । इस वाक्य का कि किसी रक्षा प्रतिष्ठान का फोटो लेने के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुमति लेना आवश्यक है; यह अर्थ नहीं है कि ऐसी अनुमति दी जाती है ।

अग्रिम क्षेत्रों के दौरे का प्रश्न केवल इस कारण उत्पन्न होता है कि हमारी सीमाओं पर बड़ी भारी संख्या में बंगला देश के नागरिक जिनको वहाँ से खदेड़ा गया है और जो शरण पाने के लिए हमारे देश में आये हैं एकत्रित हो गये हैं । जब कभी कुछ विदेशी भ्रमणकारी शरणार्थियों की दशा देखने के लिए कुछ शरणार्थी शिविरों का दौरा करने हेतु अनुमति मांगते हैं तो हम नहीं समझते कि उन्हें अनुमति देने से इन्कार किया जाये । उपयुक्त मामलों में शरणार्थी शिविरों का दौरा करने के लिए अनुमति दी ही जानी चाहिए ।

सैनिक प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में भी हम इस पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते । यह निर्णय करना तो हमारे हाथ में है कि कहाँ के लिए अनुमति दी जानी चाहिए और कहाँ के लिए नहीं ।

श्री पी० गंगादेव (आंगुल) : 'पेट्रियट' में कहा गया है कि अमरीकियों ने अगरतला के समीप एक कैंटीन खोल रखी है जिसमें एक आधुनिकतम दूर संचार यंत्र लगा हुआ है । क्या कारण है कि हमारे सैनिक अधिकारी काफी पहले इस यंत्र का पता नहीं लगा सके और इसे समाप्त क्यों नहीं किया गया और सम्बन्धित विदेशी एजेन्सियों के शरारत भरे इरादों को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या शीघ्र कदम उठाने का विचार है ।

श्री जगजीवन राम : किसी विदेशी व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य नहीं करने दिया जायेगा जिससे हमारी सीमाओं की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े । और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उससे ठीक ढंग से निपटा जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर अब पत्र रखे जायेंगे ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : किसी प्रस्ताव के बिना मैं आगे एक मिनट के लिए भी कोई बात कहने की अनुमति नहीं दूंगा । मेरी अनुमति के बिना आप जो कुछ कहेंगे उसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : *

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क के अन्तर्गत पत्र

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं श्री मोहन कुमार-मंगलम की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:--

(1) (एक) माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कर्पोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर, के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए एल० टी०—662/71]

(2) (एक) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए एल० टी० - 663/71]

(3) (एक) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए एल० टी० 664/71]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 जून, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी एस० आर० 1842 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए एल० टी० 665/71]

लोक लेखा समिति
(PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE)
छठा प्रतिवेदन

श्रीमती मुकुल बनर्जी : मैं दिल्ली दुग्ध-योजना सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1970 के पैराग्राफ 80 के बारे में लोक लेखा समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ ।

अनुदानों की मांगें, 1971-72
DEMANDS FOR GRANTS, 1971-72

औद्योगिक विकास मंत्रालय-जारी
MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (*Contd.*)

अध्यक्ष महोदय : अब हम औद्योगिक विकास मंत्रालय की मांगों पर आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं एक बात कहूंगा। श्री एच० एम० पटेल तथा कुछ अन्य सदस्य मुझ से चर्चा करने के लिए मेरे कार्यालय में आये थे। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरे साथ हुई चर्चा समाचार पत्रों को दे दी जाये। इस प्रकार की चर्चा को समाचार का रूप देने से मैं कठिनाई में पड़ता हूं।

श्री डी० के० पण्डा (भंजनगर) : यह मन्त्रालय कांग्रेस राज्य के गत 22 वर्षों के दौरान आई सभी विपत्तियों के लिए उत्तरदायी है। इसने देश में बड़े-बड़े एकाधिकारियों को उभरने में सहायता दी है। केवल यही नहीं इसने क्षेत्रीय असन्तुलनों को अधिक बढ़ामें का प्रोत्साहन दिया है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है। इसमें बहुत अधिक अव्यवस्था है। औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत यदि किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी उद्योग में अव्यवस्था होती है, तो सरकार को तुरन्त एक समिति नियुक्त करनी चाहिए। उससे बाद उस समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। परन्तु इस दिशा में इस मंत्रालय ने कुछ ध्यान नहीं दिया है, जब कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने इस निगम में अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए कतिपय कदम उठाने की सिफारिश की थी।

रिक्त पदों सम्बन्धी अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम के अन्तर्गत किसी उपक्रम के लिए यह अनिवार्य है कि वह रिक्त पदों पर नियुक्ति करने से पूर्व उन पदों को अधिसूचित करे। परन्तु इस निगम के प्रबन्ध निदेशक ने पूर्व अधिसूचना के बिना ही दो या तीन महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति की है और नियुक्ति करने के बाद अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिनियम का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

यही नहीं उड़ीसा में हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में दो विद्यार्थियों को नौकरी नहीं दी गई, यद्यपि निर्धारित आधार के अनुसार उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने आत्महत्या कर ली। कार्मिक संघों ने ही नहीं वरन् उड़ीसा के विधायकों ने भी इस सम्बन्ध में कई एक ज्ञापन तथा अभ्यावेदन भेजे। परन्तु इसके बावजूद इस मंत्रालय ने कोई कार्यवाही नहीं की। इससे पहले कि कोई और विपत्ति आये, मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

ऐशडाडन एण्ड कम्पनी में वित्तीय अव्यवस्था बताई गई है। निदेशक बोर्ड ने त्यागपत्र दे दिया है और कम्पनी बन्द होने वाली है। हरिदास मून्द्रा जिसके प्रदत्त पूंजी के 36 प्रतिशत शेयर हैं, इसके लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय को अनेक अभ्यावेदन भेजे गये हैं, फिर भी सरकार कठोर रवैया अपना रही है।

जहाँ तक लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति का सम्बन्ध है; 67 लाइसेंस 28 एकाधिकारी औद्योगिक कम्पनियों को दिये गये हैं। लघु-इस्पात संयंत्रों और नवीकरण आदि के नाम पर सरकार इस प्रकार के लाइसेंस दे रही है। औद्योगिक नीति संकल्प का अभिप्राय एकाधिकार-वाद को बढ़ने से रोकना था। परन्तु इस मामले में मंत्रालय के निर्देश कुछ और ही हैं।

जब सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखाने चलाये जा सकते हैं; तो गैर-सरकारी क्षेत्र में पांच 'मिनी' इस्पात कारखानों के लिये लाइसेंस देने का क्या मतलब है?

प्रादेशिक असंतुलन के बारे में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि दस्तूर एण्ड कम्पनी ने उड़ीसा में 28 स्थानों की सूची में बोनाई और नयागढ़ को सबसे ऊपर रखा था। जापान तथा अन्य देशों में भारी मांग को ध्यान में रखते हुए वहां पर इस्पात कारखाने क्यों नहीं स्थापित किये जा रहे हैं।

कोयले की सप्लाई में कोई समन्वय नहीं है जिसके कारण उड़ीसा में कलिंग आयरन वर्क्स बन्द होने वाला है और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने जो अब तक कोयला सप्लाई कर रहा है, मूल्य बढ़ा दिये हैं।

इस्पात और लौह अयस्क की मांग बढ़ रही है। माननीय मंत्री ने राज्य सभा में आश्वासन दिया था कि चौथी योजना में स्थानों के चमन तथा अन्य कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी। उड़ीसा में चौथी योजना के दौरान एक इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं? मैं आशा करता हूं कि सरकार शीघ्र इस दिशा में कदम उठायेगी ताकि प्रादेशिक असंतुलन दूर किया जा सके।

Shri Chandulal Chandrakar (Durg): This Ministry can go a long way in solving three major problems facing the country, viz. unemployment, price rise, and optimum production. But more units are set up in some areas while some areas are ignored which leads to regional imbalances. Government have not paid any attention to setting up of industries in Bastar, Raigarh, etc. in Madhya Pradesh, where 80 percent of the people are *Harijans* and *Adivasis.*

I would suggest setting up of industrial estates for every ten lack of people in the rural areas and water, power and roads may be provided in every estate. The educated youth of the area may be imparted training in various trades and industries and may be absorted. This would check the influx of population from the rural areas to the cities and towns.

The licensing procedure needs to be streamlined. It takes a number of years in obtaining a licence. A time-limit of 5-6 months should be fixed for issue of a licence for a

basic or major industry. Similar time limits should be fixed for consumer industries. So far the public sector is confined to basic industries only. The public sector should be extended to important consumer industries also. The liberalisation of licensing policy ten years back as an export promotion effort did not yield the desired results. Proper follow up action should have been taken to keep a watch on production and verify the export and if any shortfall is noticed the rersons therefor should be proved into. The medium and small scale industries are not being paid due attention and incentive. I am in favour of export production but not at the cost of indigenous consumer.

The agro-industries should be accorded priority. It will increase both agricultural and industrial production, stabilise the prices and provide employment to more people. The ancillary industries should be left for the small scale units. If considered necessary the rules may be modified.

There is general complaint that no paper can move from one table to another in the office of D. G. T. D. unless the palm is greased. One minister should be made in charge of the issue of export and import permits, who should ensure that corruption is eradicated. A time limit of one month should also be fixed.

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इस मंत्रालय का महत्व और उत्तरदायित्व अत्यधिक है। परन्तु वास्तविकता यह है कि यह भारत सरकार का सबसे अधिक अकुशल मंत्रालय है। यहां पर समय का कोई महत्व नहीं है, यहां पर सभी कार्य मन्थर गति से किये जाते हैं। मंत्रालय को समझना चाहिये कि समय विकास का मूल है।

अभी हाल में घोषणा की गई थी कि विकास छूट समाप्त कर दी जाये। ऐसी घोषणा मंत्रालय की सहमति से ही की गई होगी। क्या अधिकतम औद्योगिकरण हो गया है? क्या इससे औद्योगिक प्रगति में बाधा नहीं पड़ेगी? मुद्रा स्फिति और मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए मशीनों आदि के प्रतिस्थापन के लिये विकास अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा क्यों सोचा जाता है कि 1974 में विकास छूट बिना किसी हानि के समाप्त की जा सकती है। ऐसी अनेक पूंजी प्रधान योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं जो 1974 से पहले फलीभूत नहीं हो सकतीं।

प्रत्येक व्यक्ति बड़े पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन न देने की बात कहता है। आजकल के अधिकांश बड़े उद्योग छोटे उद्योगों के रूप में ही तो आरम्भ हुए थे। स्वतन्त्रता के नाम अपनी कुशलता और उत्तम प्रबन्ध के कारण उन्होंने तेजी से प्रगति की है। किर्लोस्कर, महेन्द्रा आदि इसके उदाहरण हैं। क्या कुशलता का यही मूल्य है कि उनका विकास रोक दिया जाये। क्या आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण के आधार पर? आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण कहां पर है जब हमारे उद्योग विश्व के सौ बड़े उद्योगों में भी नहीं आ पाते? मंत्रालय को औद्योगिक विकास में सहायक होना चाहिए।

लघु उद्योगों की बात कही जाती है। निस्संदेह लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बड़े उद्योग लघु उद्योगों के पोषक हैं। बड़े उद्योग अर्थ-व्यवस्था के लिये स्वयं हानिकर नहीं हैं। धन के वितरण से पहले धन पैदा किया जाना चाहिए। अधिकतम उत्पादन और वितरण

परस्पर विरोधी नहीं हैं, दोनों साथ-साथ किये जा सकते हैं। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि मंत्रालय को उन सब चीजों के कार्यकरण का, जिनके लिये वह उत्तरदायी है, मूल्यांकन करना चाहिए। उदाहरण के लिये भारतीय मावक संस्था द्वारा अनेक मावक-निर्धारित किये गये हैं, परन्तु देखना यह है कि उन व्यक्तियों ने जिन्हें प्रमाण पत्र दिये गये हैं, उनका कहां तक सच्चाई से पालन किया है।

श्री एम० सुदर्शनम् (नरसारावपेट) : मैं केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के बारे में राजमन्त्रा समिति की सिफारिशों का विरोध करता हूं। इन सिफारिशों के दूरगामी प्रभाव होंगे और देश के एकीकृत विकास में बाधा पड़ेगी, सरकार को पिछड़े राज्यों के विकास और परिवहन के लिये राजसहायता तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता के बारे में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का प्रबन्ध कुशल होना चाहिए। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में परियोजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब नहीं होना चाहिए। एक करोड़ की पूंजी वाले उद्योगों के लिये वर्तमान उपबन्ध उदार बनाया जाना चाहिए। सोड़ा ऐश, कास्टिक सोड़ा, कैलशियम कारबाइड, कामज, एल्युमिनियम, इस्पात, सीमेंट आदि कमी वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिये आवेदन करने वाले उद्योगपतियों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। नियंत्रण से कमी दूर नहीं होगी बल्कि मुद्रा-स्फीति बढ़ती है।

मसूलीपट्टणम में आन्ध्र साइंटीफिक कम्पनी अकुशल प्रबन्ध और वित्तीय संकट के कारण कठिनाई में है। मंत्रालय को इसे अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में अत्यावश्यक वस्तुओं की संख्या 57 दी गई है। इस संख्या को कम करना चाहिए ताकि उत्पादन अधिक हो। अतिरिक्त क्षमता मंजूर करने की अपेक्षा वर्तमान क्षमता के पूर्ण उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पिछड़े राज्यों सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए ताकि वहां पर सहायक उद्योग स्थापित हो सकें। वाणिज्यिक तथा व्यापार संगठनों के साथ सम्पर्क बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उत्पादन बढ़े।

डा० हेनरी ग्रास्टिन (एरणाकुलम) : मुझे आश्चर्य होता है कि हम विकास की गति क्यों तेज नहीं कर सके जबकि हमारे देश में औद्योगिक विकास के सभी साधन भूमि, श्रमिक, पूंजी और संगठन उपलब्ध हैं। शहरों से कुछ मील दूर बहुतसी भूमि पड़ी है। जिसका कुछ भाग औद्योगिक विकास के लिये नियत कर दिया जाना चाहिए। हमारे देश में अनेक बेरोजगार तकनीशन और इंजीनियर हैं। क्या हमने उनका सही उपयोग किया है? कोयला, लोहा आदि कच्चा माल भी उपलब्ध है और हाल में हमें तेल के विशाल भंडारों का पता चला है। औद्योगिक विकास से बेरोजगारी की समस्या हल होगी और गरीबी दूर होगी।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्य का मैं प्रतिनिधि हूं। मंत्रालय के पास अनेक परियोजनाएं पड़ी हैं, जिनपर शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिए। केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम के कम मूल्य की छोटी कार के आवेदन को नामंजूर कर दिया गया है। इस पर निगम ने पुनर्विचार के

लिये अनुरोध किया है। इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। टेलीविजन सैटों और पुर्जों के निर्माण के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। नायलान के धागे के निर्माण का आवेदन पत्र मंत्रालय के विचाराधीन है। ऐसे राज्य में जहां लाखों लोग मत्स्य पालन उद्योग में लगे हैं, इसका बहुत महत्व है, इसके लिए लाइसेंस क्यों नहीं दिया जाता जबकि राज्य में समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों से बहुत सी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। पोलिस्टर रेशे के निर्माण और मांस शोधन संयंत्र लगाने के लिये आवेदन-पत्र भी विचाराधीन हैं। इसी प्रकार अन्य प्रस्ताव भी हैं। इन पर शीघ्र विचार किया जाना चाहिए।

मेरे राज्य में नोलेश्वर नामक स्थान में सक्षम व्यक्तियों के कथनानुसार बाक्साइड और एल्यूमिनियम के विशाल भण्डार हैं। वहां पर 50,000 व्यक्तियों को रोज़गार मिल सकता है। हमारे देश में उद्योग, विशेष रूप से बड़े उद्योग महानगरों के आसपास ही केन्द्रित हैं। उद्योगों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए अन्यथा कानून और व्यवस्था, आवास, लोक स्वास्थ्य आदि की समस्याएं उत्पन्न होंगी।

श्री कृष्णराव पाटिल (जलगांव) : भारतीय अर्थ-व्यवस्था में औद्योगिक विकास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति संतोषजनक रही है। तीन योजनाओं से औद्योगिक क्षेत्र में देश की नींव सुदृढ़ हो गई है और मैं आशा करता हूं कि यह देश को आत्म-निर्भरता की ओर ले जायेगा।

कुछ मूल उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि की दर या प्रगति की गति ठीक नहीं है। कारण कुछ भी हो हम चौथी योजना में प्रगति की १० प्रतिशत दर के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट में कच्चे माल की कमी, श्रम विवाद उचित तालमेल न होना, प्रबन्ध नियंत्रण में अकुशलता आदि बताये गये हैं, यह सन्तोष की बात है कि औद्योगिक शान्ति के लिये यह मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय प्रयत्नशील हैं, हमें यह मानना पड़ेगा कि दोनों क्षेत्रों में, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में, प्रबन्ध नियंत्रण समुचित और सन्तोषजनक नहीं रहा।

लघु उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके माध्यम से कम पूंजी से अधिक लोगों को रोज़-गार दिया जा सकता है। इन्हें तीन वर्गों में बांटा जा सकता है, कुटीर उद्योग, औद्योगिक बस्तियां और औद्योगिक सहकारी समितियां। कुटीर उद्योगों में लगभग २ करोड़ लोग काम करते हैं। इनका विकास करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है परन्तु कुछ राज्य सरकारें इस ओर उचित ध्यान नहीं दे रही हैं। शक्तिचालित करघों के लिये व्यय की स्वीकृति देते समय बुनाई क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए।

औद्योगिक बस्तियों को कृषि-औद्योगिक प्रगति और लघु उद्योगों के विकास का मुख्य साधन माना जाता है। परन्तु वास्तविकता यह है कि प्रायोजित की गई 493 बस्तियों में से 311 पूर्ण हुई हैं, जिनमें से भी 265 बस्तियां अंशतयां कार्य कर रही हैं।

औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 51,500 सहकारी समितियां काम कर रही हैं और उनकी सदस्य संख्या 40 लाख है। उनकी कार्य पूंजी 350 करोड़ रुपये है। ऋण और विक्रय सम्बन्धी सुविधाएं पर्याप्त न होने के कारण उन्हें भी हानि पहुंच रही है। सरकार को एक लघु समिति नियुक्त करनी चाहिए जो उनकी समस्याओं का अध्ययन करके सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

विस्तार सेवाएं भी प्रभावी साबित नहीं हुई हैं। ये औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण उत्पन्न करने में असमर्थ रही है। अतः लघु औद्योगिक एककों को सहायता और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके लिए बड़े पैमाने पर वित्त की व्यवस्था और प्रबन्ध कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

Shri Chandrika Prasad (Ballia): After the attainment of Independence there has been immense industrial development but the common man has not received its benefit in any way The Ministry has not achieved the expected results. With this achievement we could banish poverty and remove unemployment but the results have been otherwise.

There is no dobut that the country as a whole has benefited a lot with the development of industries. But already advanced areas have advanced further and the backward areas have been neglected. The rich have become richer and the poor poorer. Those who laid down their lives for the attainment of independence are starving badly.

Some Members have spoken at length regarding the need to develop industries in Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. My submission is that the statistics regarding per-capita plan outlay, assistance, location of Central public sector projects, issue of licences for private industries and industries development and regulation Act, investment by Centre financing industries, bank credits and allocation of adequate raw materials show that U.P. has been the most neglected. Natural calamaties like floods, drought etc. are a common phenomenon in U. P. But the financial assistance given to this State is most inadequate.

Eight crores of people of eastern U. P. have demanded that a regional research laboratory on the pattern of Regional Research Laboratory, Hyderabad be set up there. This demand of those people must be met.

Tow districts namely Ballia and Jhansi have been selected to set up industries for which ten per cent outright grant and subsidy will be given. But under this policy very few industries have been set up there. Hence this policy has proveed to be very defective. Industries in the public sector should be set up there in order to remove backwardness from there.

The report regarding fisheries, project dairy, industrial development and leather goods industries submited by the survey brain should be implemented forthwith.

Government should help run khadi industry on profiteering lines.

श्री बी० वी० नायक (कनारा): हमारे यहां 15,000 कारखाने हैं जिनमें लगभग 50 लाख व्यक्ति काम करते हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि 1956 के पश्चात् नीति बनाने के बारे में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। हम पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को हर प्रकार की सहायता देते हैं। हम रियायतें देते हैं। हम उन्हें कम दरों पर बिजली मुहैया करते हैं। फिर उनका वर्गीकरण क्यों किया गया है यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

मैं उत्पादन के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। यदि हम बड़े पैमाने पर माल तैयार करें और उसे उचित मूल्य पर बेंचे तो इससे हमें बाद में बहुत लाभ होगा। मैं समझता हूं कि उपभोग वस्तुओं का बड़े पैमाने पर निर्माण करने के बारे में तो हमें कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए।

हमें मालूम ही है कि प्रबन्ध में श्रमिकों के सहयोग के बारे में एक समिति नियुक्त की गई है। प्रबन्ध में श्रमिकों के सहयोग के बारे में हमने जो धारणा अपनाई हुई है वह गलत है। मैं समझता हूं कि वह धारणा गलत है।

मैं खादी-ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों की स्थिति के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहूंगा। ये कर्मचारी डर रहे हैं कि कहीं इसे बन्द न कर दिया जाए। हमें इसे अभी बन्द नहीं करना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन में भारत सरकार का नियंत्रण है क्योंकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उसके सबसे अधिक अंश हैं। उसमें सरकार के निदेशक भी हैं। यह बड़े दु:ख की बात है कि इस कारपोरेशन के कानपुर स्थित कानपुर टैक्सटाइल और एलगिन मिल नं० 2 एककों ने केवल 4 प्रतिशत बोनस दिया है जबकि मुनाफा कहीं अधिक हुआ था। इस पर कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और अधिक बोनस की मांग की। अब परसों दोनों एककों ने तालाबन्दी की घोषणा कर दी है। यह बड़े दु:ख की बात है कि यह घोषणा ऐसे समय पर की गई है जब बंगला देश के शरणार्थियों के लिए वहां पर खैमें बनाए जा रहे थे। सरकार को बीच में पड़ कर समझौता करा देना चाहिए।

श्री मोइनुल हक चौधरी (धुबरी) : सब से पहले मैं उत्पादन की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों का ऐसा विश्वास है कि किसी उद्योग का कोई भी मामला औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा ही निपटाया जाता है। ऐसी बात नहीं है। मैं अन्य मंत्रालयों द्वारा नियन्त्रित उद्योगों के मामलों पर कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का समय मिलेगा जब मंत्रालय की मांगों पर सभा में बहस होगी। यदि बहस नहीं होती है तो बड़े दु:ख की बात है। उनके बारे में मैं इस समय उत्तर नहीं दे सकता।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि अपेक्षाकृत कम हुई है। इसका एक कारण तो यह था कि 1971 की पहली तिमाही में सूती कपड़े में लगभग 14 प्रतिशत कमी हुई है क्योंकि कच्ची रुई का उत्पादन कम हुआ है। दूसरे तैयार इस्पात के उत्पादन में भी

1970 में 4 प्रतिशत कमी हुई है। इसके फलस्वरूप इस्पात पर आधारित अनेक उद्योगों में उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है । देश में इस्पात की कमी होने के कारण हमने इस्पात का आयात करने के लिए आयात लायसेंस बढ़ाए हैं। मुझे आशा है कि इस्पात आने पर इस्पात पर आधारित उद्योगों का उत्पादन बढ़ जाएगा। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक बड़े पैमाने के क्षेत्र के उत्पादन का ब्यौरा प्रस्तुत करता है । छोटे पैमाने के उद्योगों का, जिनमें 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ब्यौरा नहीं होता है।

हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उद्योगों का कुछ गिने चुने हाथों में केन्द्रीकरण न हो। अपने आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यों की नीति के अनुसार हम औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं। मैं इस शंका का निवारण करना चाहता हूं कि हमारी बड़े बड़े उद्योगों के मालिकों को लाइसेंस देने की नीति है । मैं यकीन दिलाता हूं कि हमने ऐसा नहीं किया है और न ही हम ऐसा करना चाहते हैं । लाइसेंस देने के बारे में फरवरी, 1970 में घोषित नीति अब भी कायम है। हमारी नीति का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों का विकास, कुछ एक हाथों में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकना और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना, रोज़गार के अवसर बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना आदि है ।

इस नीति के अधीन सरकार ने बड़े उद्योग गृहों के कार्य को सुनिश्चित कर दिया है । बड़े पैमाने के पूँजी निवेश की उनसे आशा की जाती है और उन्हें इसकी अनुमति दी जाती है। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है । इस प्रकार आप देखेंगे कि बड़े उद्योगपतियों को न तो वंचित किया गया है और न ही उनके लिए कोई क्षेत्र सुरक्षित किया गया है ।

यह धारणा बन गई जान पड़ती है कि सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में लाइसेंस तथा आशय-पत्र जारी कर दिये हैं । सर्वप्रथम हमें लाइसेंस और आशयपत्र के अन्तर को समझ लेना चाहिये। आशयपत्र पहले जारी किया जाता है और लाइसेंस बाद में। लाइसेंस उस समय जारी किया जाता है जब सम्बन्धित व्यक्ति या कम्पनी ने कुछ निर्धारित शर्तें पूरी कर दी हों ।

फरवरी 1970 के पश्चात् लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी संशोधित नीति पर अमल किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत बड़े उद्योगपतियों को 1970 में केवल 15 आशयपत्र जारी किये गये हैं। उनमें से केवल एक नये उपक्रम की स्थापना के लिए है और शेष वर्तमान उपक्रमों में नई वस्तुओं के निर्माण के विस्तार के लिए हैं। इसी प्रकार 1971 के प्रथम पांच महीनों के दौरान पांच आशयपत्र जारी किये गये हैं। इनमें से केवल दो नये उपक्रमों की स्थापना के लिए हैं। हमें 1970 से पूर्व की स्थिति के साथ फरवरी 1970 के बाद की स्थिति की तुलना नहीं करनी चाहिये। अब हम छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों के हितों का निरन्तर ध्यान रखते हैं। एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि एक करोड़ रुपये के निवेश वाले औद्योगिक एककों को लाइसेंस से छूट दे दी गई है। इसके साथ विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कुछ आवश्यक शर्तें हैं। बड़े-बड़े उद्योगपतियों, विदेशी कम्पनियों और प्रमुख उपक्रमों के मामले मैं शर्तें उदार नहीं की गई थीं। इस समय यह घोषणा करते समय मुझे प्रसन्नता होती है कि उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के

अधीन लाइसेंस की शर्तों को और उदार बनाया जा रहा है। इसी प्रकार फालतू पुर्जों और कच्चे माल के आयात के बारे में लाइसेंस दिये जाने को भी उदार बनाया जा रहा है। हमें आशा है कि इस प्रकार की उदार नीति अपनाने से नये उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलेगी। लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों के मामले में क्षमता आदि की शर्तों में ढील देकर लाइसेंस दिये जा रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर बल दिया है कि एक व्यक्ति को आशयपत्र दिये जाने के बाद की कार्यवाही शीघ्र की जानी चाहिये। यदि कोई ऐसा व्यक्ति समय बढ़ाने की मांग करता है, तो ऐसा समय बिना उचित कारणों के नहीं बढ़ाया जाना चाहिये। हमारी कोशिश यह होगी कि कच्चे माल का उचित प्रयोग किया जाये।

मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभारी हूं। जिन्होंने बहुत अधिक विदेशी पूंजी तथा सहायता पर निर्भर करने के प्रति सतर्कता बरतने का सुझाव दिया है।

हम विदेशी सहायता केवल ऐसे मामलों में लेते हैं जिनमें ऐसा करना अत्यावश्यक हो। देश के हितों की ओर पूरा ध्यान दिया जाता है। विदेशी पूंजी लगाये जाने के प्रत्येक मामले की अच्छी तरह से छानबीन की जाती है। विदेशी सहयोग के समझौतों की अवधि सामान्यतः पांच वर्ष तक सीमित रखी जाती है। अपने देश में ही आधुनिक जानकारी व्यवस्था करने की दृष्टि से सभी ऐसे एककों के कार्य में समन्वय बनाये रखा जाता है जो विदेशी सहयोग से चल रहे हैं। सहयोग की अनुमति देते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि निर्मित माल के निर्यात पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध न हों। तकनीकी जानकारी को अधिकाधिक भारतीय एककों में उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जाती है। विलास की वस्तुओं के निर्माण और गैर-आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित उद्योगों के मामले में विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी जाती, परन्तु निर्यात-प्रधान वस्तुएं अपवाद हैं।

देशी औद्योगिकी के विकास के लिए भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है। भारत के कच्चे माल तथा उपकरणों आदि का पूरा प्रयोग किया जा रहा है। यह कहा गया है कि हम विदेशी तकनीशनों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं जबकि हमारे देश के इंजीनियर बेकार हैं। वास्तव में हमारी नीति यह है कि विदेशी तकनीशनों या इंजीनियरों को केवल उसी स्थिति में बुलाया जावे जब ऐसा करना राष्ट्र के हित में हो।

विदेशी तकनीशनों को दी गयी रियायतों में अप्रैल 1971 से कमी की गई है। बड़ी-बड़ी तन्खाहें पाने वाले ऐसे तकनीशनों को आय-कर देना होगा। उनके कार्यकाल को भी सीमित करने का विचार है। ऐसे तकनीशनों की संख्या बहुत कम है। माननीय सदस्यों ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास करने और क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने पर बल दिया है। मैं स्वयं के बारे में बहुत चिंतित हूं और आश्वासन देता हूं कि हम पूरी शक्ति से यथासंभव प्रयत्न करेंगे कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जा सके। हमने ऐसे जिलों को चुना है जहां समुचित कार्यवाही की जायेगी। ऐसे क्षेत्रों में राजसहायता से औद्योगिक एकक स्थापित करने की योजना तैयार की जा रही है। केन्द्रीय वित्त संस्थाएं इस बारे में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करेंगी। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के परिवहन

व्यय के 50 प्रतिशत भाग को सरकार वहन करेगी। जम्मू तथा काशमीर के मामले में यह सहायता पठानकोट से औद्योगिक एकक के स्थान तक होगी।

यह योजना तुरन्त लागू की जा रही है और आगामी पांच वर्षो तक लागू रहेगी। मुझे आशा है कि इससे पिछड़े क्षेत्रों और राज्यों के विकास में सहायता मिलेगी।

सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण का भी उल्लेख किया गया है। गत दस वर्षों में इन में बहुत धनराशि लगायी गई है। अभी हाल में इनके कार्य के विस्तार की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। मुझे आशा है कि सरकारी क्षेत्र में कार्यकुशलता लायी जायेगी। सरकार ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है। कुछ उपक्रमों ने गत वर्ष में लाभ अर्जित किया है। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने उल्लेखनीय कार्य किया है। भोपाल स्थित कारखाने में सुधार हेतु कुछ कदम उठाये गये हैं। मैंने स्वयं वहां जाकर कुछ सुझाव दिये हैं। आशा है वहां स्थिति में सुधार होगा।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की भी गत वर्ष कुछ हानि उठानी पड़ी है परन्तु अब इस के उत्पादन में वृद्धि हो गई है। इसके पिंजोर एकक में ट्रैक्टरों का उत्पादन भी आरम्भ हो गया है। अन्य स्थानों पर भी इस उपक्रम के एकक स्थापित किये जा रहे हैं।

मैं श्री सेक्वीरा की इस बात से सहमत हूं कि इन उपक्रमों में व्यावसायिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिये। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन पदों पर उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जिन्हें इनके बारे में जानकारी होती है अब हमने उपक्रमों के प्रमुख अधिकारियों को बहुत अधिकार दे दिये हैं। उनके कार्य की समय समय पर समीक्षा की जाती है ताकि कार्य में सुधार किया जा सके।

प्रबन्धकों और कर्मचारियों के सम्बन्धों में सुधार लाया जा रहा है। मज़दूरों को उपक्रमों के प्रबन्ध में भाग लेना होगा। इससे उपक्रमों के उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है।

माननीय सदस्यों ने मांग की है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पिछड़े क्षेत्रों में स्थित होने चाहिये। हमें समझना चाहिये कि इस सम्बन्ध में अनेक बातों पर ध्यान देना होता है। इस सुझाव पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा।

कुछ सदस्यों ने शिकायत की है कि लाइसेंसों के लिये दिये गये आवेदनपत्रों पर निर्णय किये जाने में बहुत विलम्ब होता है। मैंने इस सम्बन्ध में जांच करायी है। इस विषय पर अनेक अन्य विभागों और मंत्रालयों से मन्त्रणा लेनी होती है। इसमें बहुत समय लग जाता है। इस वर्ष हमने इस कार्य में विलम्ब कम करने का प्रयत्न किया है और स्थिति में सुधार हुआ है। कुछ वर्ष पूर्व हमारे पास 3000 आवेदनपत्र थे परन्तु लगभग 1500 हैं।

कुछ सदस्यों ने उन विशेष समस्याओं का उल्लेख किया जो पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक स्थिति के कारण उत्पन्न हुई हैं। सरकार पश्चिमी बंगाल में पुनः उचित औद्योगिक वातावरण

बनाने की अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरुक है और इस बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है तथा हाल ही में इस दिशा में अनेक कदम उठाये गये हैं ।

संकट ग्रस्त एककों को पुनरुज्जीवित करने के लिए औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता देना इस दिशा में एक बड़ा कदम है । हल्दिया को एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का निर्णय इस दिशा में दूसरा बड़ा कदम है । वहाँ पहले ही एक तेल शोधक कारखाना बनाया जा रहा है; जिसमें 55 करोड़ रुपये पूँजी लगाई गई है । वर्ष 1972 के मध्य तक एक गोदी परियोजना आरम्भ किये जाने की सम्भावना है । वहाँ एक उर्वरक तथा सोड़ा ऐस संयंत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है । औद्योगिक लाइसेंसों के लिए पश्चिमी बंगाल से प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जा रही है । बन्द पड़े औद्योगिक एककों विशेषत: पश्चिमी बंगाल के बन्द एककों के लिए वर्ष 1971-72 की आयात नीति के अन्तर्गत कच्चे माल के अग्रिम नियतन का उपबन्ध किया गया है । सरकार ने बन्द पड़े कुछ एककों को अपने हाथ में भी ले लिया है (अन्तर्बाधा) । पश्चिमी बंगाल में सीमेंट कारखाना लगाने की इस समय हमारे सामने कोई योजना नहीं है ।

जहाँ तक इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के सरकारी क्षेत्र के पालघाट एकक का सम्बन्ध है, प्रक्रिया नियंत्रण औजारों की मांग में हुई कमी को देखते हुए इस योजना को स्थगित करना पड़ा है और जब अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जायेगी, तो मूल योजना के अनुसार पालघाट में परियोजना स्थापित करने का हर प्रयास किया जायेगा ।

हम ट्रेक्टरों का निर्माण करने वाले एककों के संयंत्र तथा मशीनें प्राप्त करने तथा उन्हें और पुर्जों तथा कच्चे माल का आयात करने में हर सम्भव प्रोत्साहन तथा सहायता दे रहे हैं, ताकि उन्हें उत्पादन का स्तर प्राप्त करने में सहायता मिले । यह सहायता दिये जाने के बाद भी ट्रैक्टरों का निर्माण करने वाले वर्तमान एककों की प्रगति धीमी रही है और वे ट्रैक्टरों की पूर्वानुमानित मांग के अनुसार अपने उत्पादन को नहीं बढ़ा पाये हैं ।

ऐसी स्थिति के कारण ही विगत वर्षों में ट्रैक्टरों का आयात करना अनिवार्य हो गया था । तो भी देशी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए तथा उन ट्रैक्टरों को हिसाब में लेते हुए जिनके आयात के लिए क्रयादेश दिया जा चुका है और जो प्राप्त होने वाले हैं, हमने यह निर्णय किया है कि इस समय और ट्रैक्टरों के आयात की आवश्यकता नहीं है ।

देश में यात्री कारों के निर्माण तथा इस उद्योग की एकाधिकारी स्थिति का भी उल्लेख किया है । यह कहा गया है कि विक्रेता बाजार का लाभ उठाते हुए निर्माताओं द्वारा घटिया किस्म की गाड़ियां बाजार में भेजी जाती हैं तथा अत्यधिक दाम वसूल किये जाते हैं । जैसा कि सभा को ज्ञात है, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद कारों के उचित विक्रय मूल्य की सिफारिश करने के लिये एक कार मूल्य आयोग का गठन किया गया था । आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है । कार के मूल्य का मामला अभी तक निर्णयाधीन है ।

यह सच है कि इस समय देश में जो यात्री कारें बनाई जा रही हैं उनके गुण-प्रकार में सुधार की काफी गुँजाइश है । कुछ समय पहले कारों के गुण-प्रकार के प्रश्न की जांच करने के लिए सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी । समिति द्वारा अनेक उपयोगी सिफारिशें की गई हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार द्वारा स्वीकृत रूप में समिति की सिफारिशों को निर्माताओं द्वारा क्रियन्वित किया जाये, निर्माताओं को सांविधिक निदेश दिये गये हैं । अब तक किये गये उपायों के बावजूद यात्री कारों के गुण प्रकार में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है । सरकार यह महसूस करती है कि यह सुनिश्चित करने का कि अच्छे गुण प्रसार की कारें उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराई जायें, एक ही तरीका है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को कार्यकुशल तथा मितव्ययता के आधार पर चलायी जाने वाली सरकारी क्षेत्र की परियोजना से प्रतियोगिता करने को बाध्य किया जाये ।

तदनुसार सरकार ने सरकारी क्षेत्र में अच्छे डिजाइन की 50,000 कारों की वार्षिक अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता स्थापित करने का सिद्धान्त रूप से निर्णय किया है । अत: हम इस समय एक उपयुक्त माडल तथा विदेशी सहयोगकर्ता का चयन करने के विचार से चार विदेशी फर्मों के साथ जिन्होंने सहयोग की पेशकश की है, बातचीत कर रहे हैं । मंत्रालय इस परियोजना को बड़ी गम्भीरता से ले रही है ।

मैसर्स ऐश डाउन एण्ड कम्पनी के कुप्रबन्ध का भी उल्लेख किया गया है । हमने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 15 के अधीन इस कम्पनी के मामलों की जांच करने के लिए एक निकाय नियुक्त किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।
(The Cut motions were put and negatived)

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा औद्योगिक विकास मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।
(The Following Demands in respect of Ministry of Industrial Development were put and adopted)

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
	एक—राजस्व खाते से किया जाने वाला व्यय	**रुपये**
53	औद्योगिक विकास मंत्रालय	*77,43,000
54	उद्योग	5,12,43,000
55	नमक	60,24,000
56	औद्योगिक विकास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	*15,74,46,000
	दो—पूंजी खाते से किया जाने वाला व्यय और ऋणों तथा अग्रिमों का भुगतान	
128	औद्योगिक विकास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	*6,57,27,000

* 27 मार्च, 1971 को स्वीकृत लेखानुदान की राशि भी सम्मिलित है ।

कृषि मंत्रालय

Ministry of Agriculture

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कृषि मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई।

The following Demands in respect of Ministry of Agriculture were moved.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
28	कृषि मंत्रालय . . .	*2,10,55,000
29	कृषि	14,38,79,000
30	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगियां .	17,51,42,000
31	वन	1,44,95,000
32	कृषि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	*66,93,76,000
122	अन्न और रासायनिक खाद की खरीद .	82,15,41,000
123	कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	*62,69,75,000

* 27 मार्च 1971 को स्वीकृत लेखानुदान की राशि भी सम्मिलित है।

***श्री बी० एन० रेड्डी** (निरयालगूडा) : सरकार हरित क्रांति का तो बहुत ढिंढोरा पीटती है परन्तु इस बात का उत्तर नहीं देती कि गांवों में गरीबी क्यों बढ़ती जा रही है और उनका जीवन स्तर गिरता जा रहा है। विश्व बैंक के प्रतिनिधि श्री वुल्फ ने कहा है कि गांवों में अनुमानतः 15.4 से 21.00 करोड़ व्यक्तियों की आय 200 रुपए प्रति वर्ष मात्र है। रिजर्व बैंक के अनुसार 1960-61 में 52 प्रतिशत जनता निर्धनता के स्तर पर अथवा निर्धनता से निम्न स्तर पर गुजारा करती है। 1967-68 में यह 70 प्रतिशत हो गई। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर से भी निम्न स्तर पर गुजारा करने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता 1960-61 में 38.03 प्रतिशत की जो 1968-69 में बढ़कर 53.02 प्रतिशत हो गई। सरकार इस बात से इन्कार नहीं कर सकती कि न्यूनतम निर्वाह स्तर से भी निम्न स्तर पर गुजारा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। यह प्रतिशतता बंगाल में तीन गुनी और हरियाणा में दो गुनी है।

उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ खाद्य-पदार्थों की उपलब्धता कम होती जा रही है। खाद्य-पदार्थों की प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपलब्धता 1961 में 466 ग्राम थी, 1968 में 452 ग्राम और 1969 में 437 ग्राम रह गई। ऐसी स्थिति में हरित क्रान्ति से क्या लाभ हुआ। इस हरित

* तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

क्रान्ति से जन-साधारण को कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि एक नया वर्ग अर्थात् "हरित वर्ग" (ग्रीन क्लास) पैदा हो गया, जिसका देश में उपलब्ध खाद्यान्न के बड़े भाग पर नियंत्रण है ।

भूमि सुधारों के सम्बन्ध में सरकार ने समाजवाद के अन्तर्गत अपनी कृषि नीति में कहा था कि सरकार भूमि के सम्यक और न्यायोचित वितरण के सिद्धान्त को स्वीकार करती है । लेकिन भूमि सुधारों का प्रश्न कांग्रेसी शासकों का एक शर्मनाक नाटक रहा है । गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में असन्तुलन और असमानता है तथा आन्ध्र-प्रदेश, आसाम, तमिलनाडू बिहार, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में अधिकांश जोतदारों को भूमि जोतने का स्थायी अधिकार नहीं है और जमीन के मालिक की मर्जी पर निर्भर करना पड़ता है। गत वर्ष अक्तूबर में हुए मुख्यमंत्री सम्मेलन में महत्वपूर्ण राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का विरोध किया । हाल ही में अनुमान लगाया गया था कि भूमिहीन लोगों में वितरण के लिये 25 लाख एकड़ भूमि उपलब्ध है । कुछ समय बाद फालतू भूमि केवल 2 एकड़ रह गई । इस कार्य के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि भी गुजर चुकी है और अब वे मुख्यमंत्री पद के लिये संघर्ष में लगे हुए हैं । आन्ध्र में 89 लाख भूमि उपलब्ध की परन्तु कानून बनाये जाने के बाद भी एक भी एकड़ भूमि नहीं बांटी गई है । मैं तो समझता हूँ कि भूमि सुधार सम्बन्धी ये सब अधिनियम जनता के साथ मजाक है । 3 मई, 1971 के 'टाइम्स आफ इंडिया' समाचारपत्र में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० स्वामीनाथन ने कहा है कि 71 प्रतिशत भूमि 19 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के कब्जें में है। विश्व बैंक के प्रतिनिधि श्री वुल्फ ने भी कहा है कि 1969 में 43.4 करोड़ ग्रामीण जनता में से 10.3 करोड़ के पास कोई भूमि नहीं थी और 18.5 लाख लोगों के पास प्रति परिवार 5 एकड़ से भी कम भूमि थी । किसानों की भूमि छिनती जा रही है और भूमि का कुछ व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रीयकरण हो रहा है ।

यदि कांग्रेस के 23 वर्ष के शासन काल में भूमिहीनों के कोई भूमि मिली है, तो उनके संघर्ष और बलिदान के फलस्वरूप ही मिली । बंगाल में कुछ लोगों के बलिदान के बाद ही 60 लाख एकड़ भूमि मिली । सरकार ने केरल और बंगाल में 3-4 हजार किसानों को मौत के घाट उतार दिया । सरकार के हाथ इन किसानों के खून से रंगे हुए हैं, सरकार समाजवाद का ढिंढोरा जरूर पीटती है परन्तु उस पर अमल नहीं करती । वर्तमान सरकार में बड़े पूँजीपति मंत्री है । केन्द्र और राज्यों में सत्तारूढ़ व्यक्ति बड़े भूस्वामियों और पूँजीपतियों के एजेन्ट हैं । सरकार भूस्वामियों को प्रश्रय देते रहने की अपनी नीति ज्यादा दिन तक नहीं चला सकेगी ।

कृषि मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखिक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
28	10	डा. लक्ष्मीनारायण पांडे	मध्य प्रदेश में रतलाम और मंदसौर जिलों में कच्चा माल पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के	

1	2	3	4	5
			बावजूद और इन जिलों के निवासियों की मांग के बाबत वहां पर एक और चीनी मिल स्थापित करने में बिलम्ब ।	100 रु.
28	12	श्री रामावतार शास्त्री	उर्वरकों की बिक्री में की जा रही अनियमितताओं को रोकने में असफलता ।	
29	16	डा. लक्ष्मीनारायण पांडे	कृषि विज्ञान के लिये प्रोत्साहन देने तथा समुचित प्रसार करने में असफलता ।	
	17		कृषि के क्षेत्र में नये परीक्षण करने तथा तकनीकी ज्ञान को गांवों तक पहुंचाने में असफलता ।	
	18	..	गन्ना उत्पादकों को संरक्षण देने में असफलता ।	
	10		वाणिज्यक फसलों का उत्पादन बढ़ाने में असफलता ।	
	20		किसानों को कृषि उपकरण सस्ते मूल्यों पर तथा आसान शर्तों पर उपलब्ध कराने में असफलता ।	
30	22	..	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में कार्यकुशलता में असफलता	
28	34	श्री रामावतार शास्त्री	सभी राज्यों में भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए समान कानून बनाने और उसे लागू करने में असफलता ।	राशि कटकर 1 रुपया कर दी जाये ।
	35		सरकारी परती भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों में वितरित करने में असफलता ।	..
	36	..	चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	..
	37	..	आम जनता के हित में पंचायती राज प्रणाली का उपयोग करने में असफलता ।	..
	38	..	देश खाद्यान्नों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनाने में असफलता ।	..
	39	..	खाद्यान्न के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	..
	40	..	कृषि क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करने की असफलता ।	..
	41	..	भूमिहीन लोगों को भूमि देने में असफलता ।	..

1	2	3	4	5
	42	..	हरियाणा, पंजाब तथा अन्य राज्यों में गेंहूं को सड़ने और खराब होने से बचाने के उपाय करने में असफलता ।	100 रुपया .. ..
	43		भारतीय खाद्य निगम की मनमानी को रोकने में असफलता ।	.. ..
	44	..	चीनी के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने में असफलता ।	.. ..
	45		चीनी पर से नियंत्रण हटाकर चीनी मिल मालिकों को अधिक लाभ कमाने देना ।	.. ..
	46		खाद्यान्नों में चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता ।	.. ..
	47	..	खाद्यान्नों के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने में असफलता ।	.. ..
	48		भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की वास्तविक मांगों को स्वीकार करने में असफलता ।	.. ..
	49	..	गन्ने का मूल्य 10 रुपये प्रति किंवटल निर्धारित करने में असफलता ।	.. ..
	50	..	बिहार में राज्य स्तर पर पंचायती राज्य प्रणाली लागू करने में असफलता ।	.. ..
	51	..	छोटी सिंचाई योजनाओं के विकास के लिये बिहार को और अधिक धन देने की आवश्यकता ।	..
	52		सहकारी कानूनो को सहज और ग्राह्य बनाने की आवश्यकता ।	.. ..
	53	..	किसानों को गन्ने के मूल्यों की बकाया राशि दिलवाने के लिये मिल मालिकों को विवश करने में असफलता।	.. ..
	54		नलकूप लगाने हेतु बिहार के लिये और अधिक धन राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता ।	.. ..
	55	..	बिहार में अत्यधिक वर्षा के कारण हुई क्षति को ध्यान में रख कर राज्य को अधिक सहायता देने की आवश्यकता ।	.. .. ..
	56		बिहार में वर्षा के कारण हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिये दूसरा अध्ययन दल भेजने की आवश्यकता ।	.. .. ..

1	2	3	4	5
	57	..	किसानों को समय पर बीज और खाद देने में असफलता ।	..
	58	..	सस्ती दर पर खाद उपलब्ध करने में असफलता ।	..

Shri Genda Singh (Padrona): I rise to support the Demands for Grants and I oppose the cut motions moved here. The opposition should have pleased for maximum funds for the ministry of Agriculture since 70 per cent of our population depends on it. I hope Shri Reddy will withdraw his cut motion.

It is totally wrong to say that our agricultural production has not gone up. In fact we have made the country self-relient in food whereas we had to depend earlier on foreign countries for our food requirements. Is it an ordinary achievement ? At the same time we have made efforts in the direction of equity distribution. Two-thirds of our farmers are small cultivators owning less than five acres of land.

The number of such farmers in the U. P. is 85 per cent and the number of marginal farmers who own about two acres and a half of land is 67 per cent. The agriculture experts have held that the rents achieved by them have not been commensurate with the facilities provided to them.

The landless and the small agriculturists are the backbone of the country. Nothing can be achieved unless their hands are strengthened. The work done in this direction is very negligible. Therefore, we sloved concentrate our efforts for helping them.

I would also like to submit that I am deadly against disparity. The national property should be divided on equal forming. The gap between the rich and poor should not be allowed to be widened. The agriculturist is forced to sell his produce under some restrictions imposed on him while there is no such restrictions on the sale of manufactured goods The price of sugar after decontrol has not come down. On the other hand millowners are selling it at higher rates. But this benefit of these enhanced rates does not go to the agriculturist in any way. I hope that Government will take into consideration this fact at the time of fixing the price of sugarcane next year so that it does not go out if the market.

The agriculturists are forced to sell sugarcane to particular mills, but there is no control on the sell price of molasses.

We are improving cotton worth 100 crores of rupees from abroad. Our cotton experts are of the view that the type of cotton imprted from abroad can be producted indigenously. We should be self-sufficient in cotton also as we are in the matter of wheat. It will not take us a long time to be self-sufficient in cotton.

The jute does not fatch a good price at the place where it is produced. But it fetches a handsome amount when sold at a distance away from the place of production. It is all the more worst that it is not available to the consumers at cheaper rates of wheat, sugar

and cloth have not been reduced and these commodities available to the consumers at higher rates. The Position of the cultivation where there are no intermediaries is comparatively better than where there are intermediaries.

I wonld also like to say something about Animal Husbandry Department. Out of 34 crores of animal wealth there are 6 crore and 46 lakh goats in our country. But due attention is not paid towards this animal.

Much attention has not been paid on the agricultural education. Some universities have been set up for this purpose but their number is very small. More attention should provided towards this type of education.

The people in agricultural administration also suffer from inferiority complex. Steps should be taken to remove this complex from their mind by putting this service on all India, basis.

I cannot refrain myself from saying a few word, in favour of F. C. I. Had there been no institution like this the prices of foodgrains must have been at a very low off. More improvements should be made in this department so that it may serve the cultivators in a batter way.

Shri B. S. Bhaur (Bhatinda): Our country is inhabited mostly by persons who depend more or less on agriculture. They are 70 per cent of the total population. But it is a matter of great surprise that though 24 years have passed since we attained independence yet the gap betwten those who own thousands of acres of land and those who do not own even a single acre of land been not abridged so far. The policy of the Government in this regard should be implemented in all the States.

The condition of landless persons in our country is pitiable. They work on daily wages. Wherever they put their demand to enhance wags, they are turned down. Something should be done to improve their lot.

Some mention was made regarding sugar policy. After control has been lifted from sugar there has been spurt in its prices. Twelve mills of U. P. have been nationalised but the compensation having given to them is too much. The remaining mills should also be Nationalised.

The production is not possible without water, manure and implements. The agricultural produce is higher in Punjab.

[श्री के. एन. तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

Though the position of water is a bib easy in Punjab but there is great scarcity of power in that State. The proposal to set up Atomic Plant should be implemented in order to remove scarcity of power there.

There is a great demand of tractors there. But these are available only in the black market. No enquiry is instituted in this regard, A factory for the manufacture of tractors should be set up in Punjab.

There is one fertilizer factory at Nangal in Punjab. It is unable to meet the requirements of Punjab. Two or three more such factories should be set up in that state. We will be able to bring about green revolution in real sense if shortage of imputs is not there.

The big landlords in Punjab make misuse of irrigation water and the small farmers are not supplied water. This matter should be enquired into by a commission. The lands reforms Act of Kerala should be adopted by all states as a model law. At present there are two lands act applicable in Punjab. There should be one law. All the members of Parliament from that state have submitted a memorandum in this regard. Punjab is under President's rule these days. A Presidential order should be issued in regard to land reforms in that state. A ceiling should be fixed on the land holdings of big landlords. The ceiling should be on the basis of family and not number of persons. There are many other loopholes in land laws. Many people get concessions in the name orchards and cooperative societies. This practice should be stopped. The surplus land, which exceeds the fixed ceiling, should be taken over by Government. then it should be distributed to the landless labour and landless peasants.

There are large number of tenants who have not been given property rights, though they are tilling that land for a very long time.

Thus it is very essential that a fool-proof law should be enacted to ensure possession of land to actual tiller. Untill and unless the problem of land reforms is solved, the problem of unemployment cannot be solved. It is mentioned in this report that an agency has been set up to tackle problem of rural unemployment. I have enquired about its working Sangrur. There they have appointed very incompetent persons under this scheme. I feel that this will not be of any help to the small farmers. More opportunities should be offered to the graduates of Ludhiana Agriculture University.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): There are two important things for the progress of this country. They are land and machine. The essential items for land are seeds, water, fertilizer and credit. It is gratifying to note that Government is paying due attention to this. The food production has increased considerably. It has been done after a great deel of effort.

This work was started in 1963. Prior to that production was much less. Many new measures have been taken and as a result of that the production per area has increased threefold. The farmers have adopted new methods and they have put in hand labour. Government has provided necessary facilities. Now there is no shortage of foodgrains in the county.

The production of wheat in 1966-67 was 11 million tons and during 1970-71 it is 22 million tons. In this way we hope to achieve the production target of 1973-74 before that year. It is not a small achievement. The farmers of our country deserve all praise for this. I feel that lesser attention has been paid to the course grains. The prices of these graing are still very high. Bajra is being sold at 38 rupees per. quintal in Rajasthan. This is consumed mainly by poor people. I request the Government to pay special attention making all essential inputs easily available to the farmers. More seed farms should be established. I think we will require more seeds after a few years and our present production will not be adequate. Government should take necessary steps in this direction.

The prices of fertilizer has shot up. It will compel the farmers to demand more price for his production. The plea that this cost of production has gone up. Government should institute an enquiry into the causes of rise in the prices of fertilizer.

The irrigation projects which are under construction should be expedited. The Rajasthan canal is one such project. Efforts should be made to exploit the underground water on a larger scale. We cannot depend on rains now. More and more pumping sets should be installed. For this we will have to increase our power generating capacity. The small farmers have to face many difficulties these days. He is denied credit facilities and so on. Government should look into this and remove the difficulties of these farmers.

I know that land reforms is a state subject. but Central Government can do a lot in this regard. Haryana Government has taken some steps in fixing a cieling on land to be owned by a family. The landless farmers should be given surplus land. We have seen that in Punjab people have got their land transferred in the name of their newborn sons. Land should be taken from all such persons and distributed amongest agriculturist.

We know many persons who want to cultivate land but are not able to get it while those who do not cultivate land they have it in abundance. It should be destributed to actual tillers.

The imported tractors are being sold in the black market. Step should be taken to manufacture them indigenously. The cost of tractors is too much as a result of which the cost of production increases and the prices do not come down. We want that the prices of commodities should be started to such an extent that everyone provided bara necessities of life. I would request the Government to pay attention towards it and reduce the prices of tractors.

The farms should be amalgamated with animal husbandry and poultry farms in the shape of by-products as is done in England.

We can step up production only by using fertilisers on a large scale. But the average consumptions of fertilisers is very small in our country.

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak): The subject under discussion is too vast and the time at our disposal is too short. I would like to say something about the departments which come under this Ministry. Community Development is a wasteful charge on our revenue. It is not rendering any good service.

The position regarding land in our country is very unstable. The cultivators are not happy. The attention of Government is drawn in the House regarding ever changing laws. The ceiling area put should not be reduced very frequently otherwise the cultivators begin to lose interest because of this unstable position. On the one hand we take of mechanised farming and on the other hand we take of land holding. There should not be uneconomic holdings in our country.

I do not oppose industrial expansion but at the same time I want that fertile land should not be acquired in the bids of industrial development as is being done in the peripheral towns of Delhi. Only waste land should be acquered for this purpose which is already in abundance in our country.

Our Food Corporation of India is also not free from corruption. The seeds which are not required to be sold before stiuplated period are sold to some cultivators at exorbitant prices.

The marketing facilities in our country are too small to cope with demand. Though net production this year was very good but lack of marketing facilities did not allow the cultivators to gain much. I propose that there should be a warehouse at a distance of every ten miles.

There is corruption even at a higher level. Those who are defeated in the elections are given a chance in corporations *i. e.* F. C. I. etc. This corruption is not going to end in our country.

Mr. Chairman, Sir, I would like to say to you that**

Mr. Chairman : Your time is over and nothing will be record thereafter.

श्री विक्रम चन्द महाजन (कांगड़ा) : विरोधी दलों के सदस्यों ने अपने भाषण में यह कहने का प्रयास किया है कि सरकार ने कृषि के क्षेत्र में कुछ नहीं किया है परन्तु आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि अनाज के उत्पादन में दो गुणा वृद्धि हुई है और काफी अधिक भूमि उपजाऊ बनाई गई है । इसके अलावा हमारे देश में पहले ट्रैक्टर बनाने का एक ही कारखाना था जबकि इस समय तीन ऐसे कारखाने हैं ।

जहां तक के उत्पादन और बढ़िया किस्म के बीजों का सम्बन्ध है . . . **(व्यवधान)** * *

Shri G. P. Yadav (Katihar): We must be given the allotted time.

Mr. Chairman: You have been given one minute more.

Shri Phool Chand Verma (Ujjain): We were not let the proceedings go till Shri Mukhtiar Singh is given more time to speak.

Mr. Chairman: It is against the rules to say so.

Shri Mukhtiar Singh Malik: Haryana is not backward to any other State in the matter of agriculture but the position regarding irrigation is not good there. The cultivation by tube-wells is very expensive while the rivers are not there. The power is supplied to the cultivatiors at much higher rates than to the industrialists. It should be supplied to them at uniform rates. It should be insured that no wasteful expenditure is incurred as has been seen by R. A. C. in connection with exploratory Tube-Wells organisation.

श्री विक्रम चन्द महाजन : कृषि में हुई सफलताओं के साथ-साथ कुछ कमियां भी रह गई हैं । कृषि में उन्नति केवल पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हुई है । इसी प्रकार बड़े किसानों को तो लाभ हुआ है परन्तु छोटों को नहीं । छोटा किसान तो पहले की तरह अब भी ऋण में ही डूबा है । वह न तो नलकूप और न ही उन्नत किस्म के बीजों का लाभ उठा सकता है । प्रतिभूति न दे सकने के कारण वह अग्रिम राशि का भी लाभ नहीं उठा सकता है । फसल न होने पर भी उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि

* * कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

* * Not recorded.

उसके पास धन नहीं होता है। उसका देहान्त हो जाने पर उसकी भूमि के और भी टुकड़े हो जाते हैं जिस पर उसके बच्चे निर्वाह नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि आज तक किसी राज्य ने भी उसे ऐसी दशा से बचाने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है।

भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित न होने दिया जाए जब ऐसा प्रस्ताव यहां लाया जाता है तो कह दिया जाता है कि यह राज्य का विषय है। परन्तु यदि राज्य ऐसा विधान नहीं लाते हैं तो सरकार को संविधान में संशोधन करके ऐसा कानून बनाना चाहिए। यदि ऐसा कानून नहीं बनाया जाता तो छोटे किसान खेती छोड़कर शहरों में भाग जाएंगे। यदि उसे रोजगार नहीं मिलता तो उसे भीख माँगने पर मजबूर होना पड़ेगा। अतः मेरा निवेदन है कि भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में होने से बचाया जाना चाहिए।

हमें फसल बीमा योजना भी आरम्भ करनी चाहिए। ऐसी योजना के बनाए जाने से उन्हें कठिनाई आने पर कुछ राहत मिल सकती है।

सरकार ने खाद्य निगम इसलिए बनाया था कि छोटे किसानों को अनाज भेजते समय कठिनाई न हो। उनका माल उचित मूल्य पर बिक सके। परन्तु देखा यह गया है कि जब फसल बाजार में प्रारम्भ हो जाती है तो निगम के आदमी वहां पर नहीं पहुंचते। इससे छोटे किसानों को नुकसान होता है। प्रत्येक वर्ष सदस्य यह शिकायत करते हैं कि निगम के लोग मण्डियों पर नहीं पहुंचते और जब वे पहुंचते हैं तब तक छोटे किसान पहले ही अपना अनाज बेच चुके होते हैं। यह बड़े दुख की बात है कि निगम ऐसी व्यवस्था नहीं करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि निगम और बिचोलिये आपस में साँठगांठ कर लेते हैं।

अनाज का उचित समय पर मूल्य भी निर्धारित किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कोई भी मंडी ऐसी नहीं है जहां अन्न का समाहार किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में पौंग डैम बनाया जा रहा है। सिंचाई मंत्री ने आश्वासन दिया था कि छोटे किसान को वहां से निकाला नहीं जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि वह आश्वासन कहां तक पूरा किया गया है।

जोत की उच्चतम सीमा के बारे में कमियाँ दूर करने का अब उपयुक्त समय आ गया है। अच्छा यह होगा कि राज्यों को इस सम्बन्ध में आदर्श कानून बनाकर भेजा जाये क्योंकि कुछ राज्यों ने केवल थोड़े से व्यक्तियों के हितार्थ छूट देना आरम्भ कर दिया है।

अन्त में मेरा सुझाव यह है कि एक विशेष निगम बनाया जाना चाहिए जो 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के लिए कार्य करे। सभी तहसीलों में इस निगम की शाखाएं होनी चाहिए और छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, किराये पर ट्रेक्टर देकर सहायता करनी चाहिए।

***श्री आर० पी० उलागानम्बी** (वेल्लोद) : मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में एक केला-विकास निगम स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। चूंकि तामिलनाड़ में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट केले का भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, इसलिए यह अच्छा होगा कि यह निगम तामिलनाडु में स्थापित किया जाये ताकि केले की खेती बढ़ाई जा सके और केला उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जा सके।

हमारे देश में भूमिगत जल संसाधनों से अभी तक पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया गया है। सरकार ने अब एक केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड का गठन किया है। इसका प्राथमिक कार्य प्रतिनिधि क्षेत्रों में संसाधन मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन करना और कठोर चट्टानों वाले क्षेत्रों में अन्वेषण संबंधी कार्यों को बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि इस बोर्ड का कार्यक्षेत्र तमिलनाडु के रामनाथपुरम, मदुराई, तिरूनेलवेली और कोयमबतूर जिलों जैसे क्षेत्रों में बढ़ाया जाये।

हाल ही में एक समाचार था कि ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और नई शाखाएं खोलने का कार्य कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। इससे देश में हरित क्रान्ति लाने के कार्य में लगे हमारे किसानों का उत्साह ठंडा पड़ जायेगा। अतः कृषि मंत्री को इस मामले पर वित्तमंत्री से चर्चा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह करह का प्रतिगामी कदम न उठाया जाये।

इस समय किसानों के आदान-प्रदान का कार्यक्रम केवल संयुक्त राज्य अमरीका तक ही सीमित है, जब कि जापान, ताइवान और इस्रायल ने कृषि में अद्‌भुत प्रगति की है। यह कार्यक्रम उन देशों के सम्बन्ध में भी लागू किया जाना चाहिए।

फ़सल बीमा योजना हमारे देश में बहुत पहले ही क्रियान्वित की जानी चाहिए थी। यदि फसल बीमा योजना आरम्भ की जाएगी तो उससे न केवल मौसम की अनिश्चितता और प्राकृतिक संकटों के कारण किसानों को जो हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति होगी, अपितू गांवों के 5,000 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अबसर भी प्राप्त होंगे। मंत्री महोदय को इस बारे में शीघ्र कार्यवाही आरम्भ करनी चाहिए।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के निदेशकों के हाल के एक सम्मेलन में किसानों को अच्छी किस्म के बीज देने के लिए एक निर्णय लिया गया था। मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि यह निर्णय क्रियान्वित किया जाये।

वसूली के बारे में सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। यह समझ में नहीं आता कि यह नीति उत्पादक अभिमुखी है अथवा उपभोक्ता अभिमुखी। कृषि मूल्य आयोग की सिफारश के अनुसार बसूली मूल्य इस तरह निर्धारित किया जाना चाहिए कि उपभोक्ताओं को कोई अनावश्यक कठिनाई न हो।

* तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
(Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil).

ट्रैक्टरों के बारे में सरकार की नीति अवास्तविक है। हमारे देश में ट्रैक्टर निर्माण करने वाले 8 कारखाने हैं और 15 नए कारखानों को आशय पत्र जारी किये गये हैं। इसके साथ ही हम कई किस्मों के ट्रैक्टरों का अंधाधुन्ध आयात कर रहे हैं। हमारी नीति उन्हीं धनी किसानों को प्रोत्साहन देने की प्रतीत होती है जो आयातित ट्रैक्टरों को प्रयोग में ला सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम इस प्रकृति को बदलें और हम अपने देश में ऐसे ट्रेक्टरों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन दें जिन्हें छोटे किसान भी चला सकें।

हमारे देश में भूमि की अधिकतम सीमा के मामले में कोई एकरूपता नहीं है। इस संबंध में एकरूपता लाने के लिए मंत्रालय को शीघ्र ही अवश्य कदम उठाने चाहिए।

भारतीय खाद्य निगम ने वर्ष 1970-71 के दौरान 14,690 मीटरी टन खराब अनाज बेचा है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। सभा को बताया जाना चाहिए कि इस मामले में मंत्रालय ने कौन से निवारक कदम उठाये हैं।

यद्यपि कृषि उत्पादन में हमने काफी प्रगति कर ली है तथापि हम अभी भी भारी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात कर रहे हैं। वर्ष 1968-1969 तथा 1970 के दौरान हमने विदेशी जहाजी कम्पनियों को जिन्होंने हमारे देश में खाद्यान्न लाया था, भाड़े के रूप में 179.37 करोड़ रुपये दिये। इस प्रकार हमारी काफी विदेशी मुद्रा हाथ से निकल गई है। इसे रोका जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त अधिकांश खाद्यान्न अमरीका से आयात किया जाता है। खाद्यान्नों के मामले में इस प्रकार असाधारण रूप से अमरीका पर निर्भर रहने के कारण हमारे देश की स्थिति असाधारण हो गई है। हम अमरीका की किसी कार्यवाही की आलोचना नहीं कर सकते हैं चाहे यह कार्यवाही हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध ही क्यों न हो। यदि हमें स्वतन्त्रतापूर्वक अपने राष्ट्रीय हित के लिए कुछ करना है तो अमरीका से आयात काफी हद तक कम करना नितान्त आवश्यक है।

सरकार को बिना किसी और विलम्ब के समस्त देश में चावल मिलों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

30 जून, 1970 को प्राथमिक समितियों के स्तर पर बकाया राशि की प्रतिशतता लगभग 36 प्रतिशत थी जिसका कारण ऋण देने की दोषपूर्ण नीतियां, अपर्याप्त पर्यवेक्षण आदि बताये गये हैं। मेरी प्रार्थना है कि प्रक्रिया में सुधार किया जाये ताकि बकाया राशि वसूल हो सके।

राज्यों के सहकार मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की गई है कि उपभोक्ता सहकारी समितियों को कार्यकारी पूंजी ऋणों के लिये गारन्टी की योजना को 31-12-1971 के बाद भी बढ़ाया जाये। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय इस बारे में अपने उत्तर में स्पष्टीकरण देंगे।

सुपर बाजार तथा अन्य शहरी सहकारी उपभोक्ता भण्डारों को हानि हो रही है। इनके कार्यकरण की जांच करने तथा उनकी स्थिति सुधारने के मार्गोपायों का सुझाव देने के लिये एक जांच समिति नियुक्त की जानी चाहिए। मंत्री महोदय से मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचायती राज संगठनों के कार्यकरण की जांच करने के लिये आयोग कब तक बनाया जायेगा और उसके निर्देश-पद क्या होंगे।

मैं अन्त में यह कहना चाहता हूँ कि यदि पंचायतों के चुनावों में राजनैतिक दलों को भाग लेने दिया गया तो लोकतंत्र की नींव खोखली हो जायेगी। इसलिए पंचायतों को राजनैतिक दलों से दूर रखने के उपाय किये जाने चाहिए।

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Sher Singh): the development of agriculture is the backbone of our economy. The Government realised this fact and took steps in that direction with the result that to-day the country is self-reliant in food stuffs and we have not to depend on import of foodgrains.

Had there not been proper arrangements for supply of various inputs such as quantity seeds, fertilisers, etc. The picture of to-day's achievement in agricultural production would have been quite different. There is yet another essential input *i. e.* water. in the absence of which all other inputs are of no use. Government have paid due attention to it. When we attained independence, the irrigated area was meagre but now the percentage of irrigated land is 20% and in the next 5 years we hope the percentage to go up to 25.

A sum of Rs. 1650 crores have been provided for minor irrigation and ground water works during the Fourth Five year Plan. Our targst is to provide 8 lakhs of due wells, 5 lakhs of private tubewells, 5 thousand State tubewells and 12·50 lakhs of electric motor pumps. During 1970-71 Rs. 98.45 lakhs were spent in public sector and Rs. 120 crores were spent in the institutional sector and 1.70 lakh dug wells, 1 lakh private tubewells and 2·65 lakh pumping sets were provided.

An hon. member referred to the Exploratory Tubewell organisation. We had realised as back as in 1954 that in the long run this organisation would not be able to handle the entire job all alone. So we created a unified agency. The central ground water Board. So projects for tapping the ground were resources are to be undertaken with foreign assistance, three of which have already been undertaken, one lack in Rajasthan, Hydrabad and Gujrat. If water has been found at the depth of 250 feet in Jaislmer area of Rajasthan.

Shri Genda Singh said that no attention is paid to improve the breed of govt. Let me inform the hon. member that two projects have been undertaken by I. C. A. R. and Rs. 40 lakhs could be spent on each project. There was a demand for white revolution also, i. e. more proteen, more milk, more butter etc. We plan to increase the milk yield by 30 percent by cross-breeding and Rs. 20 crores have been allocated for the purpose. The sale proceeds of Rs. 95 crores from the milk powder, butter etc. received from abroad and from the supply of milk in big cities, would also be utilised for this purpose.

We have appointed a committee. Since cow slaughter is not a central subject we have addressed the various States in the matter. We have drawn their attention to article 46 and emphasised the need to protect cow, the most valuable livestock of the country.

It is not proper to charge us with neglecting the small farmer. You might be well aware that we have formulated two schemes, one for farmers with a holdings of 2½ acres to 7½ acres and the other for marginal farmers owning land less than 2½ acres, landless farmers and agricultural labour. 41 districts have been selected and there the small farmers will be given 25 per cent subsidy. This will be for inputs. Loans will be given to them on easy terms for purchase of cattle. Similarly, loans are being advanced to farmers for pumping sets.

A rural works scheme has been launched in 54 selected districts of the country. For this scheme, 100 crores of rupees have been ermarked. these are drought stricken districts. People will be provided work in these districts. We have to increase our food production. Much has been done and achieved in this regard. Along with this, distribution of system is also very important. we want to remove poverty. For achieving this object we will have to work hard. More jobs will have to be offered to the unemployed persons. If you analyse the budget, you will find that Rs. 250 crores have been earmarked for providing employment. Out of this Rs. 50 crores are for crash programme of rural development. Under this, at least 1000 persons will be provided work in each district.

Some hon. Members have complained that the prices of sugar have gone up after decontrol, but I can say in this regard that if the over all position is taken into consideration this complaint losses ground. On the other side the sugar mill owners complain that Government is releasing large quantities of sugar and this is causing loss to them. In this situation, Government has to strike a balance. It has to safeguard the interests of sugarcane growers also. It has to see that the consumer is not unduly burdened. We are conducting special studies into the cost of production of sugarcane to see and ensure proper returns to the growers.

We are taking action against those mills which are not paying the dues of farmers. We tried to take over certain mills in U. P. but they moved the High court. The court has granted stay order. A committee is also considering this matter. On receipt of its report action will be taken.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur): This Ministry is the most important Ministry of our Government. About 80 percent of our population lives in villages. It is mostly dependent on agriculture. No doubt that our food production has doubled during the last two decades, we will have to increase it all the more. The discussion on the demands of this Ministry should be thorough and comprehensive. More time should be allotted for this, so that hon. Members may be able to express their views.

My state has to depend on rains in the matter of irrigation. If there are adequate rains, our state becomes a surplus state otherwise we have to face famine. If adquate water is supplied to Rajasthan, it can meed the needs of other states also. It is a metter of gratification that our country has achieved self-sufficiency in the matter of foodgrains and will stop import of foodgrains from 1972.

Last year it was good season in Rajasthan and production was to the tune 62-63 lakh tons. We had good crops of Bajra, maize, rice and wheat. I am happy to hear from the hon. Minister about new measures being taken to help the small farmers. Our progress depends on the progress of farmers. Special attention should be paid to imporve the condition of farmers. All effects should be made to provide the necessary facilities to the farmers. This should be made the first priority. Even now our production of raw cotton,

oil seeds. rice etc. is far less than our country's needs. We should try to increase the production of these commodities. The Rajasthan canal should be constructed expeditiously. It will solve the water problem of the state and production of essential commodities will go up considerably. Rajasthan should be given necessary funds to exploit its natural resources. The animal husbandry department of the state should be encouraged. This state produces about 45 percent of our total wool production. The breed of sheep these should be improved. More central farms on the lines of suratgarh farm should be set up in the state.

The Food Corporation is a very important organisation. It should be strengthened so that it is helpful to the farmers and consumers.

श्री नटवरलाल पटेल (मेहसाना) : श्रीमान, यह मेरा यहां पर प्रथम भाषण है। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर कृषि विभाग की मांगों पर चर्चा हो रही है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। मेरे क्षेत्र उत्तर गुजरात में सिंचाई की बहुत कम व्यवस्था है। हमें मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करना पड़ता है। वहां पर सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिये। वहां पर कुएं खोदने पर बहुत धन व्यय होता है।

मुझे खेद है कि राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों से सुगमता से ऋण नहीं मिलता है। किसानों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण में सुधार कराया जाये ताकि किसानों के सुविधापूर्वक धन उपलब्ध किया जा सके।

खाद्य पदार्थों का उत्पादन अधिक होने के कारण उनके मूल्य बहुत कम हो गये हैं। ऐसी स्थिति में खाद्य निगम को मंडी में जाकर खाद्यान्न खरीदने चाहिये और किसानों के हितों की रक्षा करना चाहिये।

किसान हमारे देश का एक विशेष समुदाय हैं। वे किसी भी राज्य के हो सकते हैं। उनकी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। गुजरात में नर्मदा परियोजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पर शीघ्रता से निर्णय करे।

नर्मदा परियोजना समूचे भारत की परियोजना है। इसमें और विलम्ब नहीं होना चाहिये। इस परियोजना के पूरे होने पर हमारी कपास की कमी समाप्त हो जायेगी। अनाज भी बड़ी मात्रा में होने लगेगा।

मुझे पता चला है कि नर्मदा परियोजना के मामले को न्याय निर्णय के लिये न्यायलय के सुपुर्द कर दिया है। इससे मामले में और अधिक विलम्ब होगा।

गुजरात में विशेष कर उत्तर गुजरात में बिजली की बहुत कमी है और कृषि में प्रगति के लिये बिजली आवश्यक है। किसान लोग वहां बिजली की निरन्तर मांग कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में भूतपूर्व गुजरात सरकार ने उत्तर गुजरात में ताप बिजली घर लगाने का निर्णय लिया था। लेकिन

इस मामले में कुछ नहीं हुआ है । चूंकि अब गुजरात में राष्ट्रपति शासन है अतः सरकार को भूतपूर्व राज्य-सरकार का निर्णय क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए ।

कृषि के विकास के लिये हर राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए । गुजरात की भूतपूर्व सरकार ने उत्तर गुजरात में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया था जिसके लिये स्थान का चयन तथा पर्याप्त भूमि का अर्जन भी किया जा चुका है । अतएव उपरोक्त निर्णय को शीघ्र कार्यरूप देने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिए ।

हमें कृषि की उन्नति के लिये देश में कृषि कार्यक्रमों की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए ।

बैंक किसानों को पर्याप्त ऋण नहीं दे रहे हैं । मंत्रीजी कहते हैं कि इस प्रयोजन के लिये काफी राशि का नियतन किया गया है । अतः सभा में जो कुछ निर्णय लिया जाता है, बैंकों द्वारा उसकी तुरन्त क्रियान्विति की जानी चाहिए ।

सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया है, अतः अब किसानों की फसलों का बीमा कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए । छोटे किसानों के हितों की रक्षा के लिये इस योजना को चालू करना आवश्यक है । सरकार को इस ओर समुचित ध्यान देना चाहिए ।

भूतपूर्व गुजरात सरकार ने सिंचाई कर समाप्त कर दिया था किन्तु अभी तक उक्त निर्णय की क्रियान्विति नहीं हुई है, इसलिये सरकार को चाहिए कि वह इस निर्णय की क्रियान्विति करे ।

गुजरात विधान सभा ने थोड़ी भूमि वाले किसानों को लगान से मुक्त करने का निर्णय लिया था अतः गुजरात के राज्यपाल को इस निर्णय को क्रियान्वित करना चाहिए । यह उपयुक्त समय है । मैं इस बात के लिये सरकार से पुनः अनुरोध करूंगा कि वह देश में कृषि-समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान दें और उन्हें हल करने की भरपूर कोशिश करे ।

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar): Sir, I support the demands for grant relating to the Ministry of Agriculture.

The Government should unequivocally make it clear to the people of the country through various publicity media and in different languages that the present ceiling of 30 acres of land will not be lowered so that opposition parties could not take undue advantage of the situation during the ensuing general elections in the states in 1972 by telling the people that the Government was inclined to impose a ceiling on everything and to take steps further to lower the present rate of ceiling on land-holdings.

Most of the Harijans and Adivasis are either landless agriculturists or small land-holders. Whenever steps are taken to allot them lands, big farmers put obstacles in the way and administrative officers at lower levelel, who are in league with them, cancel these attachments. Steps should be takn to check corruption which is rampant everywhere in such cases. There are instances. where low paid employees drawing a salary of Rs. 200/- are in possession of cars, buildings and other landed properties. How did they amass this wealth ? only through corruption.

So far as our banks are concerned, they are not giving sufficient loans to farmers. The procedure to sanction loans is so cumhersome that the farmer has to face a lot of difficulties in fulfllling the prescribed conditions. Besides, bank staff demand bribe before recommending their cases for loans. The loan facilities provided by the Government for the uplift of farmers as also the development of agriculture are actually not being availed of by most of the farmers particularly the small ones.

The rural population has no proper forum to ventilate their grievances. The hon. Miniters, MPs and M. L. As should establish contacts with them so that they may know their problems and genuine difficulties.

There is no denying the fact that we have made a good progress in agricultural field during the last twenty years, yet there remains a lot to be done. The Government should take steps to provide necessary facilities to farmers in respect of tubewells, electricity, irrigation, fertilizers etc.

Minimum wage should be fixed for agricultural labour. Female worker should not be paid less than the male workers as is done at present. Small scale industries should be established in villages and small towns so that they might help to irrigarate our rural economy.

* **श्री एम० सत्यनारायणराव** (करीम नगर) : मेरे से पहले के वक्ताओं ने हमारी अर्थ-व्यवस्था में कृषि के महत्व की बात की है। मेरे विचार में सरकार ने इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान नहीं दिया है। यह अच्छा होता यदि किसी ऐसे व्यक्ति को कृषि मंत्री बनाया जाता जिसे इस विषय में ज्ञान होता। श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने इस मंत्रालय में विशेष रुचि नहीं ली है। इस विषय में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें विशेष प्रयत्न करने होंगे।

आत्मनिर्भरता पाने के लिए हमें जल, खाद, बिजली आदि की व्यवस्था करनी होगी। चुनाव के समय कांग्रेस ने बहुत आश्वासन दिये थे। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कदम उठाये हैं। हमारे देश की भूमि का बड़ा भाग बड़े-बड़े लोगों के पास है। उनमें से अनेक सरकार के साथ सम्बद्ध है। इस कारण से सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है।

आंध्रप्रदेश में भूमि सुधार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक कानून बनाये गये थे परन्तु उनपर बाद की कार्यवाही नहीं की गई है। मेरा सुझाव है कि इस बारे में एक केन्द्रीय कानून बनाया जाये, जो सभी राज्यों में लागू किया जावे। पहले उर्वरक और कृषि विभाग एक ही मंत्रालय में थे परन्तु अब यह भिन्न-भिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत कर दिये गये हैं। यह ठीक नहीं है। उर्वरकों के वितरण में भी बहुत गड़बड़ है। इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

छोटी सिंचाई परियोजनाओं की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। सिंचाई के लिए बिजली का विशेष स्थान है। किसानों को सस्ती दरों पर बिजली सप्लाई की जानी चाहिये।

* तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेज़ी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised translated version based on English transletion of the speech delivered in Telugu.

किसानों को ऋण देने की सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिये । उन्हें ठीक समय पर ऋण मिलना चाहिये ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : यह चर्चा बहुत रूचिपूर्ण रही है ।

सभापति महोदय : आप कल अपना भाषण जारी रखें ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
तीसरा प्रतिवेदन

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 16 जुलाई, 1971/25 आषाढ़ 1893 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday the 16th July., 1971/ Asadha 25, 1893 (शक)

PRINTED AT MODERN PRINTERY LTD., INDORE-2